SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पंद्रहवां संस्करण

नूतन क्षितिज

नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास-रजत-नग पगतल में।
पीयूष-स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में॥

महिला सशक्तिकरण विशेषांक

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
पश्चिम बंगाल, कोलकाता - 700064

पत्रिका परिवार

कुर्सी पर आसीन अधिकारियों के क्रम: श्री अनादि मिश्र, महालेखाकार महोदय (बाएं से तृतीय), श्रीमती अदिति शर्मा, वरिष्ठ उपमहालेखाकार महोदया (बाएं से पंचम), श्री पवन कुमार, वरिष्ठ उपमहालेखाकार महोदय (बाएं से द्वितीय), श्री एम. सतीश, उपमहालेखाकार महोदय (बाएं से प्रथम), श्री एस. सुरेश कुमार, उपमहालेखाकार महोदय (बाएं से चतुर्थ),

पीछे की ओर खड़े अधिकारियों के क्रम: श्री तुफान अधिकारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (बाएं से तृतीय), श्री राजीव दास, वरिष्ठ अनुवादक (बाएं से चतुर्थ), सुश्री दीपान्निता दास, कनिष्ठ अनुवादक (बाएं से द्वितीय), श्री सोनू कुमार, कनिष्ठ अनुवादक (बाएं से प्रथम)

संरक्षक

श्री अनादि मिश्र
महालेखाकार

सम्पादक

श्री तुफान अधिकारी
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सहयोगी सम्पादक मंडल

श्री सुनील कुमार
हिन्दी अधिकारी

श्री राजीव दास
वरिष्ठ अनुवादक

श्री राजा साव
कनिष्ठ अनुवादक

सुश्री दीपान्निता दास
कनिष्ठ अनुवादक

श्री सोनू कुमार
कनिष्ठ अनुवादक

नूतन क्षितिज

स्वत्वाधिकार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तृतीय बहुतलीय कार्यालय भवन,
पाँचवाँ तल, साल्टलेक, कोलकाता - 700064

प्रकाशन

नूतन क्षितिज (हिंदी पत्रिका)

मूल्य

राजभाषा के प्रति निष्ठा

वर्ष

2023

मुख पृष्ठ

महिला सशक्तिकरण

अंक

पंद्रहवां

कंप्यूटर कार्य

हिंदी कक्ष

प्रकाशक

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तृतीय बहुतलीय कार्यालय भवन,
पाँचवाँ तल, साल्टलेक, कोलकाता - 700064

मुद्रक

कोलकाता रेप्रो ग्राफिक्स
36/8बी, साहित्य परिषद स्ट्रीट
कोलकाता - 700 006

प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता का उत्तरदायित्व रचनाकारों का है।

माननीय राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के साथ मुलाकात के दौरान प्र. महालेखाकार (ले. एवं ह.) महोदया एवं महालेखाकार महोदय

लेखापरीक्षा सप्ताह 2022 के दौरान ऑडिट रन के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व क्रिकेटर श्री अरुण लाल

महालेखाकार का संदेश

राजभाषा हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संस्कृति का प्रभावी स्रोत है। राजभाषा में पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य हिंदी के प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रुचि जगाना तथा राजभाषा का व्यापक प्रचार-प्रसार है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये कार्यालय की वार्षिक हिंदी पत्रिका, 'नूतन क्षितिज' का 15वां अंक प्रकाशित किया जा रहा है।

यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष पत्रिका का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण है। नारी को शक्ति का अप्रतिम स्रोत एवं सभ्यता का मेरुदण्ड माना जाता है। मानव जाति का अस्तित्व नारी है, नारी ही परिवार की नींव है। चूँकि परिवार समुदाय की इकाई है और समुदाय राष्ट्र की, अत: यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि नारी ही समाज व राष्ट्र की वास्तविक कर्णधार है।

वर्तमान युग महिला सशक्तिकरण का है। आज महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुँच गयी हैं एवं समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं का विशेष योगदान है।

मुझे यह आशा है कि पत्रिका 'नूतन क्षितिज' कार्यालय के सभी कार्मिकों/अधिकारियों तथा पत्रिका के पाठकों को हिंदी में अभिव्यक्ति के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरुकता को सुदृढ़ करेगी तथा सभी कार्मिक इस कार्य में सक्रिय योगदान करेंगे।

मैं सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का सहर्ष अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पत्रिका में अमूल्य योगदान दिया। साथ ही, पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना सहित पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मंडल, सभी पाठकों एवं रचनाकारों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार

संदेश

'नूतन क्षितिज' का 15वां अंक सभी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और सराहनीय कदम है।

विभागीय पत्रिकाएं कार्यालय की गतिविधियों की जानकारी देने एवं कर्मचारियों की सृजनात्मक विविधता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कार्यालय की प्रतिभा को भी एक मंच प्रदान करती हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए, पत्रिका के इस अंक में संग्रहणीय एवं कलम-साधकों की आकर्षक रचनात्मकता को दर्शाती हुई रचनाओं को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है।

संचार का माध्यम हो या आधिकारिक व व्यवसाय की भाषा, आज देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम हिंदी सशक्त रूप से निभा रही है। राजभाषा हिंदी में कार्य करना हमारा संवैधानिक दायित्व तो है ही, साथ-ही-साथ यह हमारी अस्मिता और अभिव्यक्ति को संपोषित करने का भी साधन है।

हिंदी की विकास यात्रा में नूतन क्षितिज का योगदान सराहनीय है। इस अंक की सफलता हेतु संपादक मंडल, सभी पाठकों एवं रचनाकारों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

अदिति

(अदिति शर्मा)

व. उपमहालेखाकार (प्रशासन)

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि हमारे कार्यालय से प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका 'नूतन क्षितिज' का 15वां अंक (महिला सशक्तिकरण विशेषांक) प्रकाशित किया जा रहा है। गत कई वर्षों से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में हमारा कार्यालय सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है। इस पत्रिका में प्रकाशित लेख, कहानियाँ, कविताएं आदि अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिंदी भाषा की उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।

हिंदी पत्रिका ''नूतन क्षितिज'' राजभाषा हिंदी के प्रति निष्ठा का एक अनुपम उदाहरण है। हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल संपादन में उनके योगदान हेतु हार्दिक अभिनन्दन तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वे हिंदी लेखन के प्रति जागरूक रहकर पत्रिका के प्रकाशन को सफल बनाने में अपना योगदान देने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।

पत्रिका के निरंतर प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं।

पवन

(पवन कुमार कोंडा)

व. उपमहालेखाकार (ए.एम.जी.-IV)

संदेश

मैं कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 15 वें अंक के प्रकाशन पर अपार हर्ष महसूस कर रहा हूँ। रचनाकारों ने इस पत्रिका में रचनात्मकता के सभी पहलुओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा को उद्घाटित किया है। इस पत्रिका के निरंतर प्रकाशन से यह स्पष्ट है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की रुची बढ़ रही है।

इस पत्रिका में रचनाकारों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। मैं पत्रिका के सफल सम्पादन हेतु सम्पादक मण्डली व रचनाकारों को राजभाषा हिंदी के प्रति निष्ठा के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ तथा पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं देता हूँ।

सतीश एम

(सतीश एम.)

उपमहालेखाकार (ए.एम.जी.-II)

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे कार्यालय की हिंदी पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 15वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग भारतीय संस्कृति के विकास तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का परिचायक है। यह न केवल सरकारी कामकाज की भाषा है, बल्कि पूरे देश में विचारों के आदान-प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजभाषा को समर्पित यह पत्रिका हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के सभी कार्मिकों की रचनात्मकता में वृद्धि करेगी तथा राजभाषा के प्रति निष्ठा जगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

एस. सुरेश कुमार

(एस. सुरेश कुमार)

उपमहालेखाकार (ए.एम.जी.-III)

संपादक की लेखनी से

"नूतन क्षितिज" का पन्द्रहवां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है, बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर समन्वय एवं संपर्क भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित है। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी के विकास के लिए विनिर्दिष्ट निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करने का प्रयास करें।

मैं सभी लेखकों एवं पाठकों के प्रति आभारी हूँ कि उनके सहयोग से यह पत्रिका प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रस्तुत अंक को हमने 'महिला सशक्तिकरण' विशेषांक के रूप में संजोने का विनम्र प्रयत्न किया है। सभी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ-साथ विभिन्न रचनाओं से पत्रिका में योगदान देकर इसे पल्लवित-पुष्पित किया है। अतः अनुरोध है कि पत्रिका को और अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठतर रूप देने के लिए अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें उपकृत करें। मैं पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन से जुड़े सभी कर्मियों का सहृदय आभार प्रकट करता हूँ।

आगत त्यौहारों की हार्दिक शुभेच्छा सहित।

तुफान अधिकारी

(तुफान अधिकारी)
संपादक

आपके पत्र

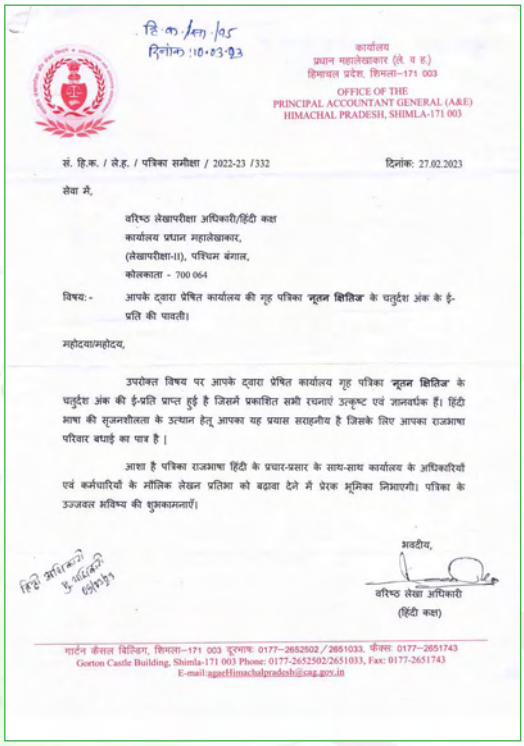

कार्यालय
प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 003

OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 003

सं. हि.क. / ले.ह. / पत्रिका समीक्षा / 2022-23 /332 दिनांक: 27.02.2023

सेवा में,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी कक्ष
कार्यालय प्रधान महालेखाकार,
(लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल,
कोलकाता - 700 064

विषय: - आपके द्वारा प्रेषित कार्यालय की गृह पत्रिका **'नूतन क्षितिज'** के चतुर्दश अंक के ई-प्रति की पावती।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके द्वारा प्रेषित कार्यालय गृह पत्रिका **'नूतन क्षितिज'** के चतुर्दश अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई है जिसमें प्रकाशित सभी रचनाएं उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हैं। हिंदी भाषा की सृजनशीलता के उत्थान हेतू आपका यह प्रयास सराहनीय है जिसके लिए आपका राजभाषा परिवार बधाई का पात्र है |

आशा है पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक भूमिका निभाएगी। पत्रिका के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(हिंदी कक्ष)

गार्टन कैसल बिल्डिंग, शिमला–171 003 दूरभाष: 0177–2652502 / 2651033, फैक्स: 0177–2651743
Gorton Castle Building, Shimla-171 003 Phone: 0177-2652502/2651033, Fax: 0177-2651743
E-mail: agaeHimachalpradesh@cag.gov.in

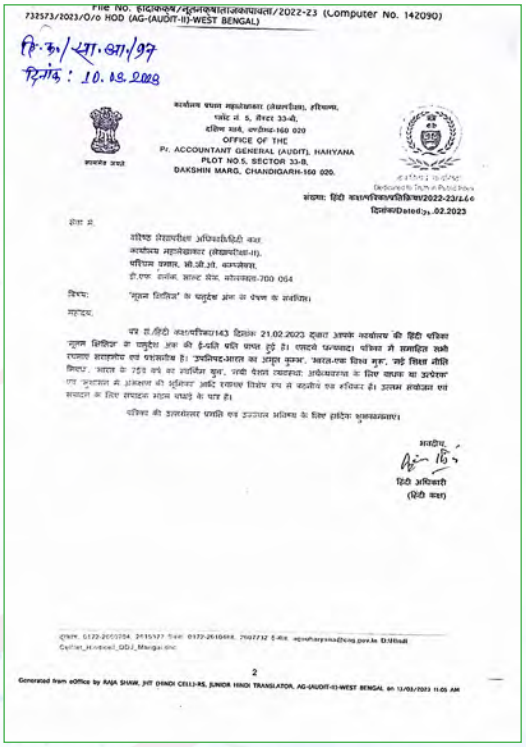

File No. हिंदीकक्ष/नूतनक्षितिजकीपावती/2022-23 (Computer No. 142090)
732573/2023/O/o HOD (AG-(AUDIT-II)-WEST BENGAL)

हि.क./सा.आ./97
दिनांक : 10.03.2023

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा,
प्लॉट नं. 5, सैक्टर 33-बी,
दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़-160 020
OFFICE OF THE
Pr. ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), HARYANA
PLOT NO.5, SECTOR 33-B,
DAKSHIN MARG, CHANDIGARH-160 020.

Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या: हिंदी कक्ष/पत्रिका/प्रतिक्रिया/2022-23/466
दिनांक/Dated:.02.2023

सेवा में,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी कक्ष
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
पश्चिम बंगाल, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स,
डी.एफ. ब्लॉक, साल्ट लेक, कोलकाता-700 064

विषय: 'नूतन क्षितिज' के चतुर्दश अंक के प्रेषण के संबंधित।

महोदय,

पत्र सं.हिंदी कक्ष/पत्रिका/143 दिनांक 21.02.2023 द्वारा आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के चतुर्दश अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। 'उपनिषद-भारत का अमृत कुम्भ', 'भारत-एक विश्व गुरु', 'नई शिक्षा नीति मिशन', 'भारत के 75 वर्ष का स्वर्णिम युग', 'नयी पेंशन व्यवस्था: अर्थव्यवस्था के लिए बाधक या प्रेरक' एवं 'सुशासन में अंकेक्षण की भूमिका' आदि रचनाएं विशेष रूप से पठनीय एवं रुचिकर हैं। उत्तम संयोजन एवं संपादन के लिए संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

हिंदी अधिकारी
(हिंदी कक्ष)

दूरभाष: 0172-2603704, 2615377 फैक्स: 0172-2610468, 2607712 ई-मेल: agauharyana@cag.gov.in D:\Hindi
Cellfiles\Hindicell_ODJ_Mangal.doc

2

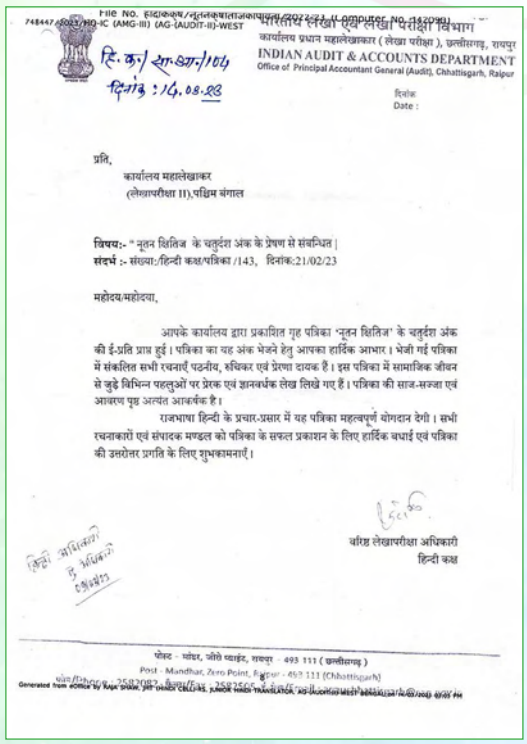

Generated from eOffice by RAJA SHAW, JHT (HINDI CELL)-RS, JUNIOR HINDI TRANSLATOR, AG-(AUDIT-II)-WEST BENGAL on 13/03/2023 11:05 AM

File No. हिंदीकक्ष/नूतनक्षितिजकीपावती/2022-23 (Computer No. 142090)
748447/2023/HQ-IC (AMG-III) (AG-(AUDIT-II)-WEST

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of Principal Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raipur

हि.क./सा.आ./104
दिनांक : 14.03.23

दिनांक
Date :

प्रति,

कार्यालय महालेखाकार
(लेखापरीक्षा II),पश्चिम बंगाल

विषय:- " नूतन क्षितिज के चतुर्दश अंक के प्रेषण से संबन्धित |
संदर्भ :- संख्या:/हिन्दी कक्ष/पत्रिका /143, दिनांक:21/02/23

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के चतुर्दश अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका का यह अंक भेजने हेतु आपका हार्दिक आभार। भेजी गई पत्रिका में संकलित सभी रचनाएँ पठनीय, रुचिकर एवं प्रेरणा दायक हैं। इस पत्रिका में सामाजिक जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक लेख लिखे गए हैं। पत्रिका की साज-सज्जा एवं आवरण पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान देगी। सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएँ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
हिन्दी कक्ष

पोस्ट - मांढर, जीरो प्वाइंट, रायपुर - 493 111 (छत्तीसगढ़)
Post - Mandhar, Zero Point, Raipur - 493 111 (Chhattisgarh)

Generated from eOffice by RAJA SHAW, JHT (HINDI CELL)-RS, JUNIOR HINDI TRANSLATOR, AG-(AUDIT-II)-WEST BENGAL

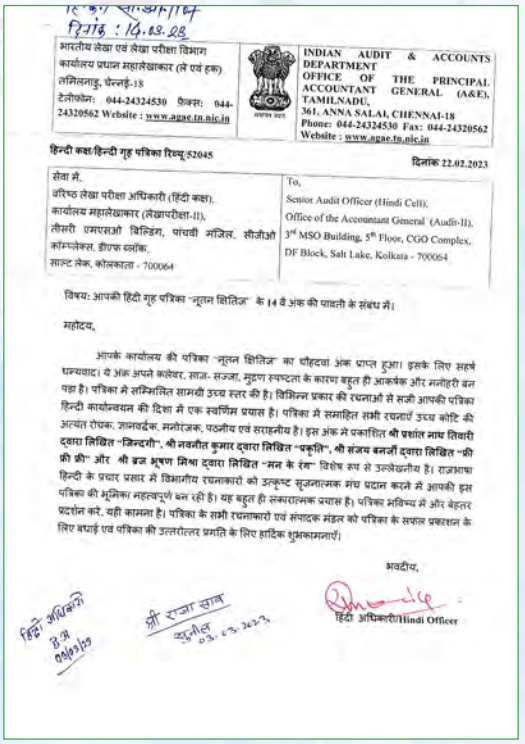

दिनांक : 14.03.23

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले एवं हक) तमिलनाडु, चेन्नई-18 टेलीफोन: 044-24324530 फैक्स: 044-24320562 Website : www.agae.tn.nic.in	INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), TAMILNADU, 361, ANNA SALAI, CHENNAI-18 Phone: 044-24324530 Fax: 044-24320562 Website : www.agae.tn.nic.in

हिन्दी कक्ष/हिन्दी गृह पत्रिका रिव्यू/52045 दिनांक 22.02.2023

सेवा में, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (हिंदी कक्ष), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), तीसरी एमएसओ बिल्डिंग, पांचवी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, डीएफ ब्लॉक, साल्ट लेक, कोलकाता - 700064	To, Senior Audit Officer (Hindi Cell), Office of the Accountant General (Audit-II), 3rd MSO Building, 5th Floor, CGO Complex, DF Block, Salt Lake, Kolkata - 700064

विषय: आपकी हिंदी गृह पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 14 वें अंक की पावती के संबंध में।

महोदय,

आपके कार्यालय की पत्रिका "नूतन क्षितिज" का चौहदवां अंक प्राप्त हुआ। इसके लिए सहर्ष धन्यवाद। ये अंक अपने कलेवर, साज- सज्जा, मुद्रण स्पष्टता के कारण बहुत ही आकर्षक और मनोहरी बन पड़ा है। पत्रिका में सम्मिलित सामग्री उच्च स्तर की है। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी आपकी पत्रिका हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में एक स्वर्णिम प्रयास है। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएँ उच्च कोटि की अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्द्धक, मनोरंजक, पठनीय एवं सराहनीय है। इस अंक में प्रकाशित **श्री प्रशांत नाथ तिवारी द्वारा लिखित "जिन्दगी", श्री नवनीत कुमार द्वारा लिखित "प्रकृति", श्री संजय बनर्जी द्वारा लिखित "फ्री फ्री फ्री" और श्री ब्रज भूषण मिश्रा द्वारा लिखित "मन के रंग"** विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार में विभागीय रचनाकारों को उत्कृष्ट सृजनात्मक मंच प्रदान करने में आपकी इस पत्रिका की भूमिका महत्वपूर्ण बन रही है। यह बहुत ही सकारात्मक प्रयास है। पत्रिका भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करे, यही कामना है। पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय,

हिंदी अधिकारी/Hindi Officer

आपके पत्र

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, कोलकाता शाखा
द्वितीय बहुतलीय कार्यालय भवन, छठा तल, निज़ाम पैलेस,
ए.जे.सी. बोस रोड 234/4, कोलकाता-700020
फोन: ,033-2289/4111/12/13फैक्स: 033-2289-4060
ई मेल:-bresdkolkata@cag.gov.in

संख्या हि.अ./1(17)21/2012-13/2021-22/586

28 FEB 2023
दिनांक:-28.02.2023

सेवा में,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिन्दी कक्ष),
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
पश्चिम बंगाल, पांचवां तल,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, डी.एफ. ब्लॉक,
सॉल्ट लेक,
कोलकाता- 700064

विषय:- हिंदी ई-पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 14वें अंक की अभिस्वीकृति एवं प्रतिक्रिया

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 14वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। सर्वप्रथम इसके लिए सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका का आवरण पृष्ठ आकर्षक है तथा मुद्रण एवं प्रकाशन उत्तम है। संकलित समस्त लेख एवं रचनाएँ सरस एवं पठनीय हैं। विशेषकर श्री ब्रज भूषण मिश्रा का आलेख **'उपनिषद-भारत का अमृत कुम्भ'**, सुश्री स्नेहा कुमारी का आलेख **'हिन्दी दिवस से जुड़ी कुछ बातें'**, डॉ.सुधा शर्मा का आलेख **'हम निहार रहे हैं रूप, हाँफ रही है मछली'**, श्री संतोष कुमार ठाकुर का आलेख **'नयी पेंशन व्यवस्था: अर्थव्यवस्था के लिए बाधक या उत्प्रेरक'**, श्री संजय बनर्जी की कविता **'ची-ची-ची'** और मोहम्मद जमालुद्दीन जिन्ना की कविता **'प्रकृति की वेदना'** अत्यन्त ही उत्कृष्ट एवं सराहनीय है।

पत्रिका के श्रेष्ठ संकलन हेतु संपादक मंडल के सभी सदस्य बधाई के पात्र है। आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "नूतन क्षितिज" इसी तरह निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, यह हमारी शुभकामना है।

भवदीय,
हस्ता-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (राजभाषा)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.),
पंजाब एवं यू.टी., चंडीगढ़-160017
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(A&E) PUNJAB & U.T., CHANDIGARH-160017
फोन : 0172-27002174, फैक्स 0172-2703110
क्रमांक:- हि.अ./पत्रिका समीक्षा/3-12/2022-23/319
दिनांक:-08-02-2023

सेवा में

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिंदी कक्ष
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, डी.एफ. ब्लॉक,
साल्ट लेक, कोलकाता - 700064

विषय:-विभागीय ई-पत्रिका "नूतन क्षितिज" के चतुर्दश अंक की पावती।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित ई-पत्रिका "नूतन क्षितिज" का चतुर्दश अंक प्राप्त हुआ। इस पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ रुचिकर, भावयुक्त एवं उद्देश्यपूर्ण हैं। पत्रिका का आवरण पृष्ठ आकर्षक है। कार्यालयीन गतिविधियों से संबंधित छायाचित्र भी मनमोहक हैं।

सुश्री अन्नपूर्णा वर्मा की "पर सच में क्या आजाद हैं हम?", डॉ. सुधा शर्मा की "हम निहार रहे हैं रूप, हाँफ रही है मछली", श्री सुनील कुमार की "भारत: स्वतंत्रता से अब तक" एवं सुश्री स्नेहा कुमारी की "हिंदी दिवस से जुड़ी कुछ बातें" रचनाएँ विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं।

पत्रिका को सुरुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए संपादकीय मंडल को बधाई। पत्रिका की उत्तरोतर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

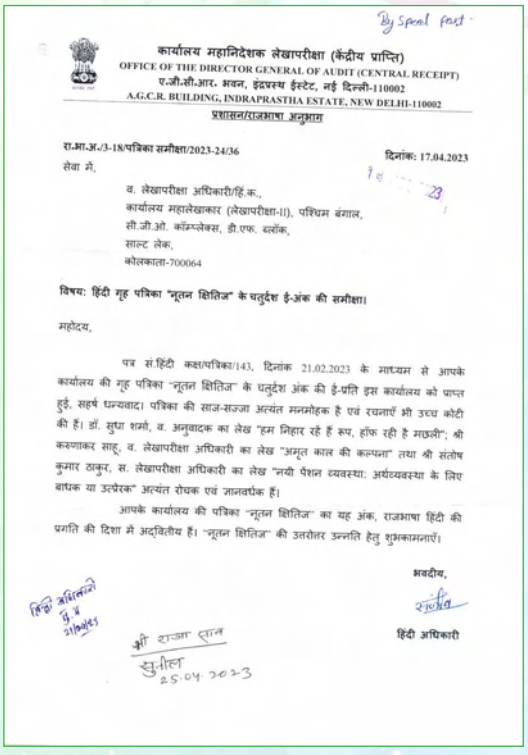

भवदीय
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (हिंदी)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL RECEIPT)
ए.जी.सी.आर. भवन, इंद्रप्रस्थ ईस्टेट, नई दिल्ली-110002
A.G.C.R. BUILDING, INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI-110002
प्रशासन/राजभाषा अनुभाग

रा.भा.अ./3-18/पत्रिका समीक्षा/2023-24/36
दिनांक: 17.04.2023

सेवा में,
व. लेखापरीक्षा अधिकारी/हिं.क.,
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, डी.एफ. ब्लॉक,
साल्ट लेक,
कोलकाता-700064

विषय: हिंदी गृह पत्रिका "नूतन क्षितिज" के चतुर्दश ई-अंक की समीक्षा।

महोदय,

पत्र सं.हिंदी कक्ष/पत्रिका/143, दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से आपके कार्यालय की गृह पत्रिका "नूतन क्षितिज" के चतुर्दश अंक की ई-प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका की साज-सज्जा अत्यंत मनमोहक है एवं रचनाएँ भी उच्च कोटी की हैं। डॉ. सुधा शर्मा, व. अनुवादक का लेख "हम निहार रहे हैं रूप, हॉफ रही है मछली"; श्री करुणाकर साहू, व. लेखापरीक्षा अधिकारी का लेख "अमृत काल की कल्पना" तथा श्री संतोष कुमार ठाकुर, स. लेखापरीक्षा अधिकारी का लेख "नयी पेंशन व्यवस्था: अर्थव्यवस्था के लिए बाधक या उत्प्रेरक" अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं।

आपके कार्यालय की पत्रिका "नूतन क्षितिज" का यह अंक, राजभाषा हिंदी की प्रगति की दिशा में अद्वितीय हैं। "नूतन क्षितिज" की उतरोतर उन्नति हेतु शुभकामनाएँ।

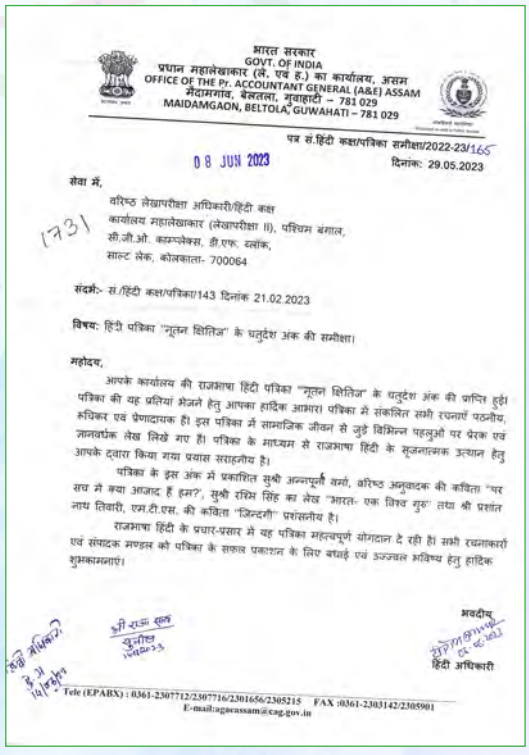

भवदीय,
हिंदी अधिकारी

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) का कार्यालय, असम
OFFICE OF THE Pr. ACCOUNTANT GENERAL (A&E) ASSAM
मैदामगांव, बेलतला, गुवाहाटी – 781 029
MAIDAMGAON, BELTOLA, GUWAHATI – 781 029

पत्र सं.हिंदी कक्ष/पत्रिका समीक्षा/2022-23/165
08 JUN 2023
दिनांक: 29.05.2023

सेवा में,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी कक्ष
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), पश्चिम बंगाल,
सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, डी.एफ. ब्लॉक,
साल्ट लेक, कोलकाता- 700064

संदर्भ:- सं./हिंदी कक्ष/पत्रिका/143 दिनांक 21.02.2023

विषय: हिंदी पत्रिका "नूतन क्षितिज" के चतुर्दश अंक की समीक्षा।

महोदय,

आपके कार्यालय की राजभाषा हिंदी पत्रिका "नूतन क्षितिज" के चतुर्दश अंक की प्राप्ति हुई। पत्रिका की यह प्रतियां भेजने हेतु आपका हार्दिक आभार। पत्रिका में संकलित सभी रचनाएँ पठनीय, रुचिकर एवं प्रेणादायक है। इस पत्रिका में सामाजिक जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक लेख लिखे गए हैं। पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिंदी के सृजनात्मक उत्थान हेतु आपके द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है।

पत्रिका के इस अंक में प्रकाशित सुश्री अन्नपूर्णा वर्मा, वरिष्ठ अनुवादक की कविता "पर सच में क्या आजाद हैं हम?", सुश्री रश्मि सिंह का लेख "भारत- एक विश्व गुरु" तथा श्री प्रशांत नाथ तिवारी, एम.टी.एस. की कविता "जिन्दगी" प्रशंसनीय है।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय
हिंदी अधिकारी

Tele (EPABX) : 0361-2307712/2307716/2301656/2305215 FAX :0361-2303142/2305901
E-mail:agaeassam@cag.gov.in

आपके पत्र

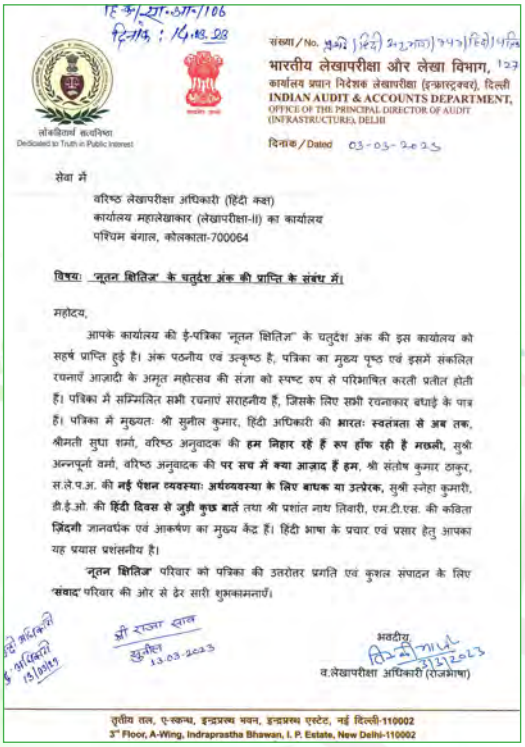

संख्या/No.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (INFRASTRUCTURE), DELHI

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

दिनांक / Dated 03-03-2023

सेवा में

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी कक्ष)
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय
पश्चिम बंगाल, कोलकाता-700064

विषयः 'नूतन क्षितिज' के चतुर्दश अंक की प्राप्ति के संबंध में।

महोदय,

आपके कार्यालय की ई-पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के चतुर्दश अंक की इस कार्यालय को सहर्ष प्राप्ति हुई है। अंक पठनीय एवं उत्कृष्ठ है, पत्रिका का मुख्य पृष्ठ एवं इसमें संकलित रचनाएँ आज़ादी के अमृत महोत्सव की संज्ञा को स्पष्ट रुप से परिभाषित करती प्रतीत होती हैं। पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएं सराहनीय हैं, जिसके लिए सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं। पत्रिका में मुख्यतः श्री सुनील कुमार, हिंदी अधिकारी की **भारतः स्वतंत्रता से अब तक**, श्रीमती सुधा शर्मा, वरिष्ठ अनुवादक की **हम निहार रहे हैं रूप हाँफ रही है मछली**, सुश्री अन्नपूर्णा वर्मा, वरिष्ठ अनुवादक की **पर सच में क्या आज़ाद हैं हम**, श्री संतोष कुमार ठाकुर, स.ले.प.अ. की **नई पेंशन व्यवस्थाः अर्थव्यवस्था के लिए बाधक या उत्प्रेरक**, सुश्री स्नेहा कुमारी, डी.ई.ओ. की **हिंदी दिवस से जुड़ी कुछ बातें** तथा श्री प्रशांत नाथ तिवारी, एम.टी.एस. की कविता **ज़िंदगी** ज्ञानवर्धक एवं आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार हेतु आपका यह प्रयास प्रशंसनीय है।

'नूतन क्षितिज' परिवार को पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं कुशल संपादन के लिए **'संवाद'** परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ।

भवदीय,
व.लेखापरीक्षा अधिकारी (राजभाषा)

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार
बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या
No.
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Accountant General (Audit) Bihar
Birchand Patel Marg, Patna - 800 001
दिनांक/Date :

सेवा में,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिन्दी कक्ष
कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II),पश्चिम बंगाल
सी. जी. ओ . कॉम्प्लेक्स, डी. एफ. ब्लॉक
साल्ट लेक,कोलकाता -700064

विषयः हिन्दी ई-पत्रिका "नूतन क्षितिज" के चतुर्दश अंक का प्रतिभाव ।

महोदय/महोदया ,

आपके कार्यालय की हिन्दी गृह पत्रिका "नूतन क्षितिज" के चतुर्दश (ई-प्रति) की प्राप्ति हुई, एतदर्थ आभार एवं धन्यवाद ।

पत्रिका का आवरण पृष्ठ तथा साज-सज्जा अत्यंत ही आकर्षक है । पत्रिका के इस अंक में शामिल सभी रचनाएँ उत्कृष्ट हैं। सभी रचनाकारों को साधुवाद। श्री संतोष कुमार ठाकुर का कविता "आर्यावर्त तुम्हारा है", प्रशंसनीय है, श्री राजीव कुमार रंजन का निबंध "नई शिक्षा नीति", श्रीमती रश्मि सिंह का लेख "भारत- एक विश्व गुरु" अत्यंत समसामयिक एवं ज्ञानवर्धक है । इसके साथ ही श्रीमती सोनिया की कविता "आजादी का अमृत महोत्सव" तथा श्री नवनीत कुमार की कविता "प्रकृति" विशेष रूप से प्रशंसनीय है ।

हिन्दी पत्रिका "नूतन क्षितिज" कार्यालय की साहित्यिक प्रतिभा को निखारने में एक सशक्त मंच है । यह इसी प्रकार से राजभाषा हिन्दी की प्रगति में अपना योगदान देता रहे, इसी शुभकामना के साथ समस्त रचनाकारों एवं सम्पादकीय मण्डल को पुनः बधाई एवं आभार ।

भवदीय,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिन्दी

दूरभाष/Phone - 2221226, 2221941, 2223725, 2223194, 2506091, 2506283 ई.पी.ए.बी.एक्स./EPABX-2223757, 2228320
फैक्स/Fax : 0612-250 6223, 2506207 ई.मेल/Email-agaubihar@cag.gov.in, पो॰ बॉक्स/P.B. No.-47

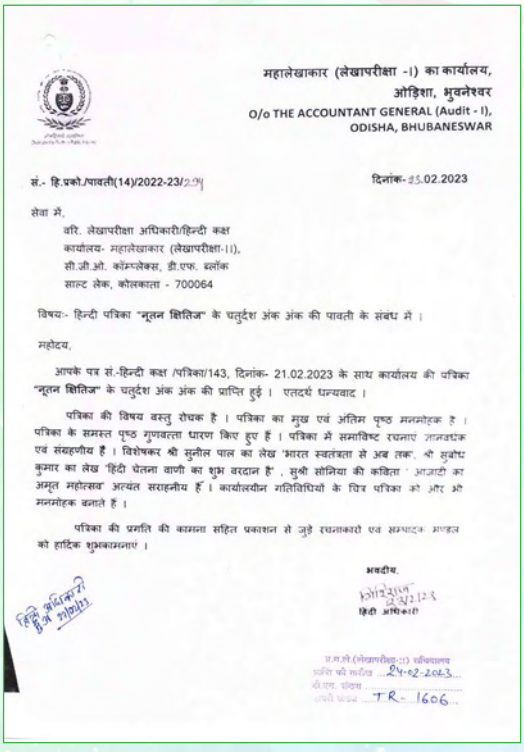

महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) का कार्यालय,
ओड़िशा, भुवनेश्वर
O/o THE ACCOUNTANT GENERAL (Audit - I),
ODISHA, BHUBANESWAR

सं.- हि.प्रको./पावती(14)/2022-23/ दिनांक- .02.2023

सेवा में,
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/हिन्दी कक्ष
कार्यालय- महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, डी.एफ. ब्लॉक
साल्ट लेक, कोलकाता - 700064

विषयः- हिन्दी पत्रिका **"नूतन क्षितिज"** के चतुर्दश अंक अंक की पावती के संबंध में ।

महोदय,

आपके पत्र सं.-हिन्दी कक्ष /पत्रिका/143, दिनांक- 21.02.2023 के साथ कार्यालय की पत्रिका **"नूतन क्षितिज"** के चतुर्दश अंक अंक की प्राप्ति हुई । एतदर्थ धन्यवाद ।

पत्रिका की विषय वस्तु रोचक है । पत्रिका का मुख एवं अंतिम पृष्ठ मनमोहक है । पत्रिका के समस्त पृष्ठ गुणवत्ता धारण किए हुए हैं । पत्रिका में समाविष्ट रचनाएं ज्ञानवर्धक एवं संग्रहणीय हैं । विशेषकर श्री सुनील पाल का लेख 'भारत स्वतंत्रता से अब तक', श्री सुबोध कुमार का लेख 'हिंदी चेतना वाणी का शुभ वरदान है' , सुश्री सोनिया की कविता ' आजादी का अमृत महोत्सव' अत्यंत सराहनीय हैं । कार्यालयीन गतिविधियों के चित्र पत्रिका को और भी मनमोहक बनाते हैं ।

पत्रिका की प्रगति की कामना सहित प्रकाशन से जुड़े रचनाकारों एवं सम्पादक मण्डल को हार्दिक शुभकामनाएं ।

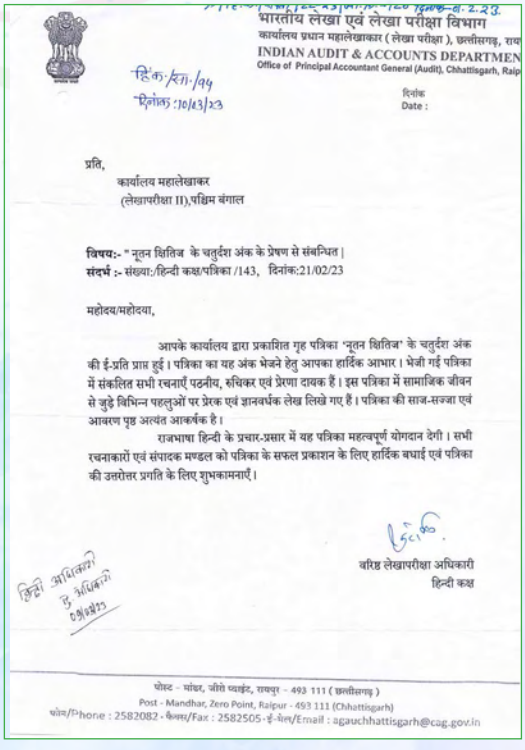

भवदीय,
हिंदी अधिकारी

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, राय
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMEN
Office of Principal Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raip

दिनांक
Date :

प्रति,
कार्यालय महालेखाकार
(लेखापरीक्षा II),पश्चिम बंगाल

विषयः- " नूतन क्षितिज के चतुर्दश अंक के प्रेषण से संबन्धित |
संदर्भ :- संख्या:/हिन्दी कक्ष/पत्रिका /143, दिनांक:21/02/23

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के चतुर्दश अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका का यह अंक भेजने हेतु आपका हार्दिक आभार। भेजी गई पत्रिका में संकलित सभी रचनाएँ पठनीय, रुचिकर एवं प्रेरणा दायक हैं। इस पत्रिका में सामाजिक जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक लेख लिखे गए हैं। पत्रिका की साज-सज्जा एवं आवरण पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान देगी। सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएँ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
हिन्दी कक्ष

पोस्ट - मांढर, जीरो प्वाइंट, रायपुर - 493 111 (छत्तीसगढ़)
Post - Mandhar, Zero Point, Raipur - 493 111 (Chhattisgarh)
फोन/Phone : 2582082 - फैक्स/Fax : 2582505 - ई-मेल/Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in

अनुक्रमणिका

क्रं.सं.	शीर्षक	नाम	विधा	पृष्ठ सं.
1.	महिला सशक्तिकरण – आवश्यकता क्यों?	रश्मि सिंह	लेख	1-2
2.	स्त्री सशक्तिकरण की प्रतीक: रानी लक्ष्मीबाई	स्नेहा कुमारी	लेख	3-4
3.	नारी तुम नहीं अबला	ब्रज भूषण मिश्रा	कविता	5-6
4.	आवाज़ एक बेटी की	प्रिया (अतिथि रचनाकार)	कविता	6
5.	एक कामकाजी महिला की बहुआयामी यात्रा: चुनौतियाँ और संतुलन	प्रीति कुमारी	लेख	7-8
6.	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और संभावनाएँ : वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य	अजय चौधरी	लेख	9-11
7.	अबला नहीं यह नारी है	सोनिया	कविता	12
8.	अबला! तुम सबला नारी हो	संतोष कुमार ठाकुर	कविता	13
9.	भारत की पहली महिला डॉक्टर – कादम्बिनी गांगुली	दीपान्निता दास	लेख	14-15
10.	तिलका मांझी – एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी	सुमन मांझी	लेख	16-17
11.	महिला-सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों?	राजीव दास	लेख	18-20
12.	नारी: महत्व और उत्थान	संतोष कुमार ठाकुर	लेख	21-23
13.	माँ	रिज़वान अहमद	कविता	23
14.	नारी: राष्ट्र निर्माता के रूप में	राजा साव	लेख	24-26
15.	अनुसूचित जनजाति की पहली चुनी गयी राष्ट्रपति-श्रीमती द्रौपदी मुर्मू	सुमन दत्त	लेख	26
16.	नारी सशक्तिकरण- वैदिक काल और मनुस्मृति	ब्रज भूषण मिश्रा	लेख	27-29
17.	महिला सशक्तिकरण की एक अलग परिभाषा	करुणाकर साहू	लेख	30-31
18.	एक रात ऐसी आए	सुजय प्रसाद	कविता	31
19.	महिला विकास एवं विशाखा दिशानिर्देश	संदेश कुमार	लेख	32-33
20.	महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं	मनीष कुमार शर्मा	लेख	34-35
21.	नि:शब्द	सुजय प्रसाद	कविता	35
22.	शक्ति का सशक्तिकरण	कृष्ण शंकर	लेख	36-37
23.	भाषा सीखने एवं इसके क्रमिक विकास में तकनीक की भूमिका	सोनू कुमार	लेख	38-39
24.	नारी सशक्तिकरण	सुबोध कुमार	लेख	40
25.	स्त्री: एक सामाजिक समीक्षा	विक्की प्रसाद गुप्ता	लेख	41
26.	भारत में जी20 सम्मेलन का सफल आयोजन और निहितार्थ	सुनील कुमार	लेख	42-43
27.	महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय	आशुतोष कुमार पाण्डेय	लेख	44
28.	चंद्रयान 3: चंद्र अन्वेषण में भारत की अंतर्दृष्टि	समन्विता बनर्जी	लेख	45
29.	भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में नारी	सुजय प्रसाद	लेख	46-47
30.	जिन्दगी	रिज़वान अहमद	कविता	47
31.	महिला सशक्तिकरण : एक नए समाज की शुरुआत	नवीन कुमार	लेख	48-49
32.	जय हिंदी	संजय सिंह	कविता	49
33.	महिला सशक्तिकरण	राजेश चौधरी	लेख	50-51
34.	हमारे कार्यालय का एक रोचक लेखापरीक्षा निष्कर्ष			52
35.	कार्यालय में वर्षभर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ			53-58

महिला सशक्तिकरण – आवश्यकता क्यों?

रश्मि सिंह
स. ले. प. अ./तदर्थ

सशक्तिकरण की आवश्यकता कमज़ोर वर्ग को होती है न कि शक्तिशाली वर्ग को। आज के वर्तमान युग में महिला सशक्तिकरण चर्चा का विषय है। अर्थात् इस वर्ग को सशक्त करने की आवश्यकता है। भारत की विडंबना है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:", अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, का सोच रखने वाले, नारी को शक्ति का अवतार मानने वाले, जगत जननी मानने वाले हमारे महान भारत देश में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जिसे हम भारतवासी जगह-जगह मोर्चा निकाल कर, लेखनी के द्वारा, खेल के माध्यम से प्रमाणित करने की कोशिश करते रहते हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ:

स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात् स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व है। इस सृजन की शक्ति को विकसित कर उसे सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, न्याय, विचार, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता एवं अवसर का अधिकार देना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता:

आधुनिक युग में एक तरफ कई महिलाएं सम्मानित पदों पर (राजनैतिक तौर से) कार्यरत हैं, स्वतंत्र हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को हर छोटे-बड़े फैसले के लिए पुरुषों की इजाज़त लेनी होती है। उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा जैसे मौलिक सुविधाओं के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है।

शिक्षा के मामले में पुरुषों की साक्षरता दर 81.3% है, जबकि महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 60.6% ही है।

भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोजगारशील हैं। आँकड़ों के अनुसार, भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30% महिलाएं कार्यरत हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% महिलाएं कृषि और इससे जुड़े कार्यों में कार्यरत हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भारत में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20% कम भुगतान किया जाता है।

लैंगिक असमानता को काटने के लिए भी इसकी आवश्यकता है।

भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है जो अभी भी सशक्त नहीं हैं। इसके अभाव में देश का विकास एक प्रश्नचिन्ह है।

महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को देखते हुये इसकी आवश्यकता का आभास होता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली रुकावटें:

सामाजिक मापदंड: पुरानी एवं रुढ़िवादी विचारों के कारण महिला को शिक्षा या रोजगार के लिए घर छोड़ने की आज़ादी नहीं मिलती जिस कारण से वो अपने आप को पुरुषों से कम आँकने लगती हैं।

आर्थिक मापदंड: महिलाओं को उनके आय-व्यय, संपत्ति एवं उनके अन्य आर्थिक मामलों में निर्णय लेने की आज़ादी नहीं होती।

कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण: निजी क्षेत्र जैसे कि सेवा उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न में लगभग 170% का इजाफा देखने को मिला है।

अपराध: महिलाओं के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, ऑनर किलिंग, तस्करी जैसे गंभीर अपराध भी देखने को मिलते हैं। इस कारण शहरी महिलाएं रात को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से कतराती हैं। महिला सशक्तिकरण सही मायने में तभी संभव होगा जब महिलाएं भी पुरुषों की तरह बिना भय के स्वच्छंद रूप से कहीं भी आ जा सकेंगी।

बाल विवाह: वर्ष 2018 में यूनिसेफ के एक रिपोर्ट अनुसार भारत में लगभग प्रति वर्ष 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। फलस्वरूप, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से वयस्क नहीं हो पाती। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इस कुरीति में काफी कमी आई है।

कन्या भ्रूण हत्या: लिंग के आधार पर गर्भपात भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। भ्रूण के लिंग का पता चलते ही माँ की इच्छा के विपरीत उसका गर्भपात करवा दिया जाता है, जिस कारण हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों में स्त्री एवं पुरुष के लिंग अनुपात में काफी अंतर आ गया है।

भारत में महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका:
भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही हैं जो रोजगार, कृषि एवं स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जिसमें मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ मृत्यु दर को कम करने के

लिए चलायी जाने वाली योजना) आदि है। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना एक क्रांतिकारी कदम है जो कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान मे रखकर बनाई गई है। इसके अंतर्गत लड़कियों के बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्रांति 'लड़की एक बोझ है' की सोच को बदलने का प्रयास किया गया है। महिला हेल्पलाइन योजना, उज्ज्वला योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एवं एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप), महिला शक्ति केन्द्र, पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसी योजनाएं इस आशा के साथ चलाई जा रही हैं ताकि एक दिन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की तरह प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त हो।

संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पारित किये गये कुछ अधिनियम:

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956.
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, (1961)
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1987
लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट, 1994.
बाल विवाह रोकथाम एक्ट, 2006.
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट, 2013.

महिला सशक्तिकरण का आधार:

विश्व में नारी आंदोलन व भारत में इसका प्रभाव- सरल शब्दों में नारी आंदोलन की शुरुआत समाज द्वारा नारी को निम्नतर समझने से हुई है। तत्कालीन पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को हीन दर्जा प्राप्त था। यह समाज ही उसके लिए जीवन जीने के नियम और सिद्धांत निर्धारित करता है। नारी आंदोलन किसी पुरुष का नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक विचार का विरोध करता है। नारी आंदोलन लैंगिक असमानता के स्थान पर इस अवधारणा को मानता है कि पुरुष की भाँति नारी भी मनुष्य है तथा सृष्टि के निर्माण एवं सृजन में उसका भी उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का।

नारी आंदोलन का पहला चरण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरु हुआ है। भारत में स्त्री को सशक्त करने के लिए दूसरा दौर 1915 से जाना जाता है। ये वही दौर था जब 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। इस युग में गांधीजी एवं अम्बेडकर द्वारा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास सराहनीय है। गांधीजी बड़े व्यवहारिक रूप से सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन व विधवाओं की समस्या, उनके पुनर्विवाह तथा छुआछूत के उन्मूलन की बात कर रहे थे। डॉ. अम्बेडकर भी इसी दिशा में उन्हें मताधिकार दिलाने, लैंगिक समानता के अधिकारों की बात कर रहे थे। वर्तमान में तीसरा चरण चल रहा है जिसने महिलाओं के सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक भेदभाव को मिटाकर बहुत दूर का सफर तय किया है।

महिला सशक्तिकरण के लाभ: महिला सशक्तिकरण के अभाव में नारी को पुरुष प्रधान समाज में वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वह हकदार है। इस सशक्तिकरण का परिणाम है कि उसने हर कार्य में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है, वो अपने ज़िंदगी से जुड़े फैसले खुद ले रही है, अपने आर्थिक गुजर-बसर के लिए वह पुरुष पर निर्भर नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ रही है और अब पुरुष भी महिलाओं को समझने लगे हैं, उनका हक उन्हें दे रहे हैं, उनके फैसलों की इज़्ज़त कर रहे हैं। कहा भी गया है कि- 'हक मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है।'

भारत में स्त्री की दशा: भारत में महिलाओं को कानूनन आज सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन आज भी इस पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। राजनैतिक क्षेत्र में भी इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक पुरुषों का वर्चस्व रहा है। वर्तमान समय में लोकसभा में कुछ 542 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में केवल 24 सांसद हैं। आर्थिक क्षेत्रों में भी नारी निरंतर संघर्षमयी है। एक लंबे समय से भारतीय पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीम में दिये जाने वाले वार्षिक फीस में भेदभाव था जो अब 2022 में जाकर दूर हुआ है। फिल्म उद्योगों में पुरुष सितारों की फीस की तुलना में महिलाओं की फीस कम है। फिल्म निर्देशन, उद्यमिता एवं कॉर्पोरेट जैसे जगहों पर इक्का-दुक्का उदाहरण छोड़ केवल पुरुषों का ही वर्चस्व है।

उपसंहार: यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उसका आशय यह नहीं है कि पितृसत्तात्मक समाज को मातृसत्तात्मक समाज में बदल दिया जाए। भारत में पूर्वोत्तर की खासी व कुछ अन्य जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा देखने को मिलती है जहां नारी की प्रधानता है। विश्व की कुछ जनजातियों जैसे कि चीन की मोसुओ, कोस्टा रिका की ब्रिब्रि जनजाति, न्यू गुयाना की नागोविसी जनजाति मातृसत्तात्मक है। यहां महिलाएं ही राजनीति, अर्थव्यवस्था व सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े निर्णय लेती हैं।

भारत में सहारनपुर की अतिया साबरी (तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई), वर्षा जबलगेकर (तेज़ाब पीड़ितों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई) एवं पाकिस्तान में मलाला युसुफज़ाई जैसी नारियों का योगदान काबिले तारीफ है। इसके अलावा भारत में अवनी लेखारा (स्वर्ण पदक पैरालिंपिक), पी. वी. सिंधु (स्वर्ण पदक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप), अरुणिमा सिंहा (प्रथम महिला अपंग जिन्होंने माउन्ट एवरेस्ट की चढ़ाई की), गीता गोपीनाथ, अवनी चतुर्वेदी, अरुणा रेड्डी, इंदु मल्होत्रा का योगदान भारत के स्वर्णिम भविष्य में चार चांद लगा रहा है।

यदि समाज को स्वस्थ रूप से विकसित करना है तो समाज स्त्री प्रधान या पुरुष प्रधान होने के बजाय इनसे निरपेक्ष हो तो एक बेहतर सामाजिक संरचना तैयार होगी और सही मायने में स्त्री व पुरुष समान रूप से सशक्त होंगे। स्त्री के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है।

स्त्री सशक्तिकरण की प्रतीक: रानी लक्ष्मीबाई

स्नेहा कुमारी
डी.ई.ओ. (अभिलेख-II)

चमक उठी सन सत्तावन में....
वह तलवार पुरानी थी...
बुंदेलों हर बोलो के मुंह...
हमने सुनी कहानी थी...
खूब लड़ी मर्दानी वह तो....
झाँसी वाली रानी थी

झाँसी की रानी, लक्ष्मीबाई, अपने महल के सातवें माले पर खड़ी हैं। वो ठण्ड पड़ चुकी आँखों के साथ अपनी जलती हुयी झाँसी को देख रही हैं। एक साथ हज़ारों लोगों की चीखें आसमान भेदती हुयी चली जाती हैं। हर तरफ आग, खून, लूटपाट और मौत के घाट उतार दिये गये झाँसी के नागरिक हैं। सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर, ऐसा दृश्य देखकर, किसी की भी रूह काँप सकती है, लेकिन ऐसा वाकई में हुआ था। 1857 की इस क्रांति के चरण को, झाँसी के किले में रानी के साथ ही, अपनी आँखों से देखने वाले मराठी लेखक विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी किताब में ये सब लिखा है। लगभग 12 दिन तक चली इस लड़ाई में, वो झाँसी के किले में रहकर इस रोंगटे खड़े करने वाली घटना के साक्षी बने। अपने समय की ये इकलौती किताब है जो किसी भारतीय ने लिखी है। बाकी सब ब्यौरे अंग्रेज़ों की तरफ से लिखी गयी किताबों और पत्रों में ही मिलते हैं। झाँसी की रानी को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में लड़ने वाला 'इकलौता मर्द' बतलाया था। लेकिन बिठुर की यज्ञशाला में बिन माँ की लड़कों के साथ खेलती छबीली को नहीं पता था कि एक दिन हाथों में तलवार लिए, दांतों से लगाम पकड़, वो भारतीय जनमानस में, महाभारत के अर्जुन से भी बड़ी योद्धा बन जायेगी।

छबीली बिल्कुल अपरंपरागत तरीके से पली-बढीं थी। अपने पिता के साथ बाहर जाया करती, घुड़सवारी सीखी। जब तेरह-चौदह साल की हो गयी, तब उनके पिता को एहसास हुआ कि छबीली की शादी करना कितना मुश्किल काम है। छबीली की कुंडली जहाँ भी भेजते, वहां कुछ न कुछ दिक्कत मिलती। आखिर में गंगाधर राव से छबीली की कुंडली मिली, और उनकी शादी करायी गयी। एक विवाह कर चुके गंगाधर को बेटा चाहिए था। गंगाधर ने छबीली को नया नाम और पहचान तो दिया, लेकिन कड़ी निगरानी में रखा। उसे ताले में कैद कर दिया गया। बचपन में पिता के साथ बाहर घूमने वाली लक्ष्मी पर इसका बुरा असर पड़ा और उनका व्यवहार अजीब हो गया। झांसी के आसपास ये अफवाहें फैली हुयी थीं कि गंगाधर राव महीने के 4 दिन स्त्रियों की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे कोई स्त्री माहवारी के दिनों में करती है, वैसे ही वे चार दिन बाद नहाते, और फिर पुरुषों की वेश-भूषा पहनकर दरबार में आते। एक अंग्रेज़ अधिकारी ने जब ये अफवाहें सुनी, तो उसने राजा से पूछ लिया की वे ऐसा क्यों करते हैं। गंगाधर राव ने जवाब दिया कि अंग्रेज़ों ने इतनी बड़ी-बड़ी रियासतों को अपने अधीन कर लिया है, झाँसी तो फिर भी छोटा है। उन्हें अब स्त्रियों की भांति कमज़ोरी महसूस होती है, इसलिए वह ऐसा करते हैं।

गंगाधर की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई के हाथों में झाँसी को संभालने की ज़िम्मेदारी तो आयी, लेकिन तब तक वो वैसी रानी नहीं थी, जैसा हम उन्हें जानते हैं। उस वक्त वो पूजा-पाठ किया करती थीं। ब्राह्मणों को हर रोज दान करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उन्होंने अंग्रेज़ों से दरख्वास्त की थी कि उन्हें काशी जाने दिया जाये। काशी जाकर वो सर मुड़वाकर एक विधवा की तरह सामान्य जीवनयापन करना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। किले में रहकर ही लक्ष्मीबाई अब सफेद सिल्क साड़ी पहनने लगीं, अपने केश खुले रखने लगीं और सुबह विधवाओं की तरह माथे पर राख पोतने लगीं।

अंग्रेज़ों और रानी के बीच टकराव बढ़ता ही गया, पहले दत्तक पुत्र को लेकर, फिर पेंशन को लेकर और आखिर में काशी न जाने देने को लेकर। इसके बाद झाँसी में अंग्रेज़ों द्वारा गो-हत्या को लेकर रानी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। इन सब चीजों ने रानी को आघात पहुँचाया, और वो बागी बनने पर मजबूर हुयीं। अंग्रेज़ों ने झाँसी को घेर लिया था। वे लगातार हमले कर रहे थे। इसी दौरान, किसी नागरिक को लालच देकर, उन्होंने झाँसी के दक्षिण द्वार से प्रवेश करने का जुगाड़ कर लिया था। रानी एक बार भी विचलित नहीं हुयीं। महल के चक्कर काटतीं, हर मोर्चे पर स्वयं निगरानी रखतीं और सबके खाने-पीने का ध्यान भी। यह सब लगातार 12 दिनों तक चला। इस लड़ाई में उन्होंने पड़ोसी रियासतों को पत्र लिखकर मदद मांगी लेकिन उम्मीद अनुसार उन्हें सहयोग नहीं मिला। लोगों को अपनी मौत सामने दिख रही थी। रानी ने न खाना खाया और न एक पल भी सोयीं। चैत महीने में झाँसी में हल्दी-कुमकुम का त्यौहार होता था। इस बार उनकी उम्मीद की ये आखिरी चैत हो सकती थी, उन्होंने त्यौहार का वो इंतजाम कराया जो कभी नहीं हुआ था। ऐसा आयोजन किसी ने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। आखरी दिनों में उनके ही किसी व्यक्ति ने उनसे धोखा किया और कहा कि अंग्रेज़ों का मनोबल टूट गया है। "इतने दिन से झाँसी के किले से, कोई जवाबी हमला न होने की वजह से वे वापस जाने लगे हैं", यह सुनकर रानी ने राहत की साँस ली, नहायी, खाना खाया और पहली बार मुस्कुराते हुए सोने चली गयीं। 11 दिनों बाद, सेना अपनी रानी को ऐसे देख बहुत खुश हुये, लेकिन ये खबर झूठी निकली। अंग्रेज़ वहां से हटे नहीं थे, बल्कि वे दूसरे गुप्त रास्तों से झाँसी के महल में प्रवेश कर गये थे। रानी को जब ये पता चला तो उन्हें आघात पहुँचा और वे इस सारी मारकाट की ज़िम्मेवार खुद को मानने लगीं।

उस रात पहली बार रानी की आँखों में आंसू थे। सबको किला छोड़कर जाने के लिए कहते हुये उन्होंने यह तय किया कि खुद को महल के साथ बम से उड़ा लेंगी। रानी की ज़िन्दगी का ये बेहद ही कमज़ोर और भावुक पल था। एक बुज़ुर्ग सैनिक के समझाने से रानी ने अपना विचार बदला और 200 लोगों के साथ कालपी चल पड़ीं। रानी को उनके प्रिय सफेद घोड़े पर बाहर जाते हुये देखा गया था। घोड़ों की अच्छी परख के लिए रानी प्रसिद्ध थीं। एक स्त्री होने के नाते सबसे ज़्यादा मुश्किल ये जानना रहा कि जो रानी 12 दिन की लड़ाई में एक आंसू नहीं बहा रही थी, वो माहवारी के चलते फूट-फूटकर रोयीं। दरअसल, लगातार 24 घंटे घोड़ों पर सवार दौड़ती रानी अपनी सहेली झलकारी बाई के साथ जब कालंदी पहुंची तब उन्हें माहवारी आ गयी। झाँसी का महल छोड़ते वक्त रानी ने सिर्फ एक रुपया लिया था। उनके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। इस स्थिति ने उन्हें कमज़ोर कराया लेकिन रानी किसी भी परिस्थिति में अब रुकने वाली नहीं थीं। सफेद पोशाक पहनने वाली रानी माहवारी के वक्त मर्दों के बीच बैठीं। बाद में तात्या टोपे ने उनके लिए कपड़ों का इंतजाम कराया। यहाँ से भी अंग्रेज़ों से लड़ाई हारकर रानी ग्वालियर की तरफ गयीं। वहां के राजा को उन्होंने लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। नहीं मानने पर वहां के राजा को हराकर उन्होंने सेना इकट्ठा किया। यहीं पर रानी की वो तस्वीर बनी जिसमें दोनों हाथों से तलवार भांजते, दांतों से लगाम पकड़े रानी चंडी का अवतार लिये नज़र आयीं। इस लड़ाई में रानी की हार हुयी और वो वीरगति को प्राप्त हुयीं। लेकिन, रानी की इच्छानुसार उनका शव अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगा। लक्ष्मीबाई सिर्फ तलवार भांजने वाली योद्धा नहीं थी। जनता के प्रति उनके मन में असीम स्नेह था।

"खूब लड़ी मर्दानी वो झाँसी वाली रानी थी", ये पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी जी की कविता से ली गयी हैं जो आज भी हर किसी की ज़ुबान पर उतने ही उत्साह और आदर के साथ शोभा पाती हैं, जितना गर्व हम रानीं लक्ष्मीबाई के लिए महसूस होता है। भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई जो "झाँसी की रानी" के नाम से सुप्रसिद्ध हैं, महिला सशक्तिकरण का एक बेजोड़ उदाहरण हैं। भारत के इतिहास में उनके जैसा प्रसिद्ध, दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान दूसरा कोई नहीं हुआ। वे भारत की 'जोन ऑफ़ आर्क' (Joan of Ark) कहलायीं। अपने अंतिम सांस तक वो कहती रहीं –

"हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढियां अपनी आजादी का उत्सव मना सकें।"

इसलिए, वह अकेली दामोदर को लिए निकल गयीं, यह कहते हुये कि मेरी झाँसी नहीं दूँगी।

नारी तुम नहीं अबला

ब्रज भूषण मिश्रा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

नारी तुम कब अबला थी
विस्मृति हुई है, संप्रति, सापेक्ष
जैसे हनुमंत बल का बिसर जाना
तुम्हें आता है फिर से निखर आना
घर छोड़ कर सीता ने जो तप किया
या माता यशोदा ने जो जीवन जीया
जो त्याग हर दिन कोटि माताएं करती हैं
क्या कभी संभव भी है, एक अबला से
इतनी जटिलताओं का शमन जो कर सकती
मानव जन्म का कष्ट जो सह सकती,
त्याग जो भी तुम करती हो, बिना शक्ति साध्य नहीं
जीवन को जो गति मिलती है
उसके लिए एकल पुरुष, आराध्य नहीं
गार्गी और मैत्रेयी रही हो कभी
लक्ष्मीबाई को भी जाने हैं सभी
तुम ही दुर्गा, तुम ही काली की शक्ति हो
गर रहो तुम सन्मार्ग पर, भक्ति हो
यम से भी लाया, सावित्री ने सत्य को
फिर न जागे दैत्य, दो न मौका, असत्य को
रक्तबीज दमन के लिए, तुमने लिया रक्त को है
राम की शक्ति पूजा, क्या समर्पित अशक्त को है?
नारी तुम कब अबला थी
विस्मृति हुई है, संप्रति, सापेक्ष
माता कुमाता न भवति
यह केवल मिथक नहीं, अब तक
अब भी मान रख सकती हो
नारी तुम कब अबला थी
हाँ हुआ है परिवर्तन,
शायद पश्चिम का आँख मूँद नकल व आवर्तन
आँख खोल फिर से जाग जाना
आता है तुम्हें फिर से निखर आना
अब समय रहा समीक्षा का
फिर से आई परीक्षा का, मिल कर सोचो
क्या उचित अपनी संस्कृति का विवर्तन
क्या सुरा ठीक, दोनों ही नर-नारी को,
क्या उचित, कि अगली पीढ़ी, जोहे बाट, अपनी बारी को
क्या इन बातों से नव-पल्लव मन में आदर बसता है
या, धूम्रपान केवल नर को ही डसता है?
क्या माता के दुर्व्यसनों का
प्रभाव नव नंदन पर न पड़ता है?
या अपने नव नंदन पर
पिता ही सारे दुष्प्रभाव जड़ता है?
क्या माता कभी चाहेगी, पुत्र-पुत्री व्यसनी हों?
सभी चाहते, संतान उनके, चरित्र के भी धनी हों
जब भी नर हारा, घर की नारी भी हारी है
नर भी अशक्त होता, जब अशक्त होती नारी है
जीवन के हर पग पर
नर-नारी की ज़िम्मेदारी, कम से कम आधी है
धूम्र-सुरापान, जो अब दिखता है
निष्कर्ष - स्वास्थ्य नहीं, व्याधि है
दोनों में ही अब दृष्टिगोचर हो रहे - ये व्यसन हैं
खोकर स्वास्थ्य खुद बन रहे हम अपने ही दुश्मन हैं
वृद्धों के लिए कम आदर; नारी-नारी में अनबन हैं
नैसर्गिक प्यार भी, अफसोस, हुआ कम ऊष्मण है
सुता का प्यार, कहीं एक तरफा - बहू भारी दुश्मन है
शब्दों में पा रहे पाठ अब नव नंदन है

ठंडे बस्तों में जा रहे सजीव उदाहरण हैं
पहले कब, अब सचमुच होती हो, अबला
नारी तुम कब अबला थी
विस्मृति हुई है, संप्रत्ति, सापेक्ष
जैसे हनुमंत बल का बिसर जाना
आँख खोल फिर से जाग जाना
आता है तुम्हें फिर से निखर आना

सुनीति के एक शब्द ने, ध्रुव को ध्रुव किया
मातृ आशीष ने प्रह्लाद को भक्त जीवन दिया
कुछ सोचो तुम ध्रुव, प्रहलाद की माता हो
त्याग, बलिदान, पवित्रता एवं माधुर्य की दाता हो
सदियों से रही जो कीर्ति, तुम न कमज़ोर करो
नव नंदन की नैतिकता में, प्रयास पुरजोर भरो
अगणित मील के पत्थर, आज भी पाए हैं
पर सोचो क्या-क्या और क्यू-क्यूँ गवाएं हैं
नर, नारी के होने से होता पूरा है
एक के अशक्त होने से दूजा होता अधूरा है,
हम सब का आत्म-निरीक्षण ही सशक्तिकरण कर पाएगा
एक हो कमज़ोर तो क्या दूसरा भी सशक्त रह पाएगा

तुम पूरक हो नारी,
तुम कब अबला थी
विस्मृति हुई है, संप्रत्ति, सापेक्ष
जैसे हनुमंत बल का बिसर जाना
आँख खोल फिर से जाग जाना
आता है तुम्हें फिर से निखर आना।

आवाज़ एक बेटी की

सुश्री प्रिया (अतिथि रचनाकार)

मैं संघर्ष पथ पर चल रही एक उज्ज्वलित रोशनी हूँ,
पग मेरा बढ़ता जाता है, जहाँ ये रोशन होता है,
अंधेरों की परवाह नहीं, वह देख मुझे छिप जाता है,
जहाँ से निकले पग ये मेरे, नयी राहें बनती जाती हैं,
मैं एक ऐसी रोशनी हूँ, राहें मेरी खुद प्रशस्त हो जाती हैं।

समाज में फैली बेड़ियों ने मेरे पग को रोकना चाहा था,
भूल ये उनकी अपनी थी,
जो अपने प्रतिबंधों को मुझ पर थोपना चाहा था,
मुझको यूं भार बतला कर,
जाने क्या परिवर्तन वो चाह रहे थे,
डर, कमज़ोरी, भार जाने किन-किन आभूषणों से
अलंकृत कर अपने विकास की बाधा बतला रहे थे।

वो मुझे चहारदीवारी में कैद रखना चाहते थे,
आभा मेरी तेज़ थी, खिड़कियों से बाहर निकलने लगी
आखिर वो चहारदीवारियां कब तक रोकती मुझे,
जब अंधेरों से निकल
उजाला फ़ैलाने की चाहत मुझमें जगने लगी,
अब मैं भी उनकी चाहत उनकी खुशी हूँ,
कहते हैं आज लोग मैं एक उज्ज्वलित रोशनी हूँ।

एक कामकाजी महिला की बहुआयामी यात्रा: चुनौतियाँ और संतुलन

प्रीति कुमारी
लेखापरीक्षक

पिछली शताब्दी में, समाज में महिलाओं की भूमिका में उल्लेखनीय विकास हुआ है। उनमें से सबसे उल्लेखनीय विकास कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। जैसे-जैसे महिलाएं परिवार के भीतर अपनी भूमिकाओं के साथ-साथ करियर को भी अपनाती जा रही हैं, वे चुनौतियों, जिम्मेदारियों और आकांक्षाओं की एक जटिल जाल को पार कर रही हैं। यह निबंध एक कामकाजी महिला के बहुमुखी जीवन, उसके सामने आने वाली चुनौतियों, उसके करियर और परिवार के बीच के नाजुक संतुलन, उसके द्वारा सामना किये जाने वाले मानसिक और शारीरिक तनाव और काम और पारिवारिक जीवन दोनों की ज़िम्मेदारियों को संभालने के अनूठे अनुभव की पड़ताल करता है।

कामकाजी महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ:

लैंगिक विभेद और रूढ़िवादिता: प्रगति के बावजूद, लैंगिक विभेद और रूढ़िवादिता कई कार्यस्थलों में बनी हुयी है, जो एक महिला के अवसरों, कैरियर विकास और मान्यता को प्रभावित करती है। ये विभेद उनके व्यावसायिक विकास में बाधा डालता है और उनके आत्मविश्वास को कम करता है। कुछ कार्यस्थल के वातावरण कामकाजी महिलाओं के लिए अनुपयुक्त होते हैं। इससे उनके करियर में आगे बढ़ना या काम में सहज महसूस करना मुश्किल हो जाता है।

लैंगिक वेतन असमानता : लैंगिक वेतन असमानता एक अहम मुद्दा बना हुआ है, महिलाएं अक्सर समान भूमिकाएं निभाने के लिए भी अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम कमाती हैं। यह वित्तीय असमानता एक महिला की आर्थिक स्वतंत्रता और समग्र कल्याण को प्रभावित करती है।

ग्लास सीलिंग: कई कामकाजी महिलाओं को 'ग्लास सीलिंग ' का सामना करना पड़ता है, जो एक अदृश्य बाधा है जो संगठनों के भीतर उच्च पदों पर उनकी प्रगति को रोकती है। यह बाधा उनकी क्षमता को सीमित करती है और उन्हें नेतृत्व की भूमिका तक पहुंचने से रोकती है।

कार्य-जीवन असंतुलन : घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ अपने करियर को साथ लेकर चलने से अक्सर कार्य-जीवन में असंतुलन पैदा होता है। व्यावसायिक आकांक्षाओं और व्यक्तिगत दायित्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना एक सतत चुनौती है। प्राथमिकताओं की बाजीगरी: काम और घर दोनों जगह जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करने से मानसिक तनाव हो सकता है। जीवन के दोनों क्षेत्रों में उच्च अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है।

प्राथमिकताओं का आकलन: काम और घर दोनों जगह ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करने से मानसिक तनाव हो सकता है। जीवन के दोनों क्षेत्रों में उच्च अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है।

डबल शिफ्ट: 'डबल शिफ्ट' की अवधारणा घरेलू कामकाज और देखभाल की ज़िम्मेदारियों के बाद सवैतनिक रोज़गार में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, कार्यभार से शारीरिक थकावट होती है।

काम और परिवार में संतुलन:

समय प्रबंधन : कामकाजी महिलाओं के लिए प्रभावी समय प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। कार्य की समय-सीमाओं, बैठकों और प्रस्तुतियों को पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और संगठन की आवश्यकता होती है।

सहायता प्रणालियाँ: साझेदारों, विस्तारित परिवार और बच्चों की देखभाल सेवाओं सहित मज़बूत सहायता प्रणालियाँ, महिलाओं को उनके करियर और परिवार दोनों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विश्वसनीय समर्थन के बिना, संतुलन को बनाये रखना बेहद मुश्किल हो जाता है।

सुविधाजनक कार्य व्यवस्थाएँ: सुविधाजनक कार्य व्यवस्थाएँ, जैसे दूरस्थ कार्य या सुविधाजनक कार्य-समय, महिलाओं को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए सशक्त बना सकती हैं। ये व्यवस्थाएँ स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देती हैं और बेहतर कार्य संतुष्टि में योगदान करती हैं।

सीमाएँ निर्धारित करना : काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करना महत्वपूर्ण है। निजी समय के

दौरान काम से छुट्टी लेना तरोताज़ा होने और पारिवारिक ज़रूरतों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आवश्यक है।

भूमिका संघर्ष : पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं को आधुनिक करियर आकांक्षाओं के साथ संतुलित करने से आंतरिक संघर्ष पैदा हो सकता है। दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का दबाव अपराधबोध और अपर्याप्तता की भावनाओं को जन्म दे सकता है।

बर्नआउट सिंड्रोम : काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच प्रबंधन की मांग के कारण बर्नआउट सिंड्रोम (Burnout Syndrome:- एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से थका होने की साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी थका रहता है) का जोखिम भी बढ़ रहा है । थकावट, भावनात्मक अलगाव और नौकरी के प्रदर्शन में कमी ये सभी बर्नआउट के सामान्य लक्षण हैं।

परिवार और बच्चों को संभालना:

पालन-पोषण की चुनौतियाँ: कामकाजी माताएँ अक्सर अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समय और देखभाल प्रदान करने की चुनौती से जूझती हैं। स्कूल के शेड्यूल, पाठ्येतर गतिविधियों और पालन-पोषण में तालमेल बिठाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

अपराधबोध और भावनात्मक तनाव: काम की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय न बिता पाने का अपराधबोध कामकाजी माताओं के लिए भावनात्मक रूप से परेशान करने वाला हो सकता है। उनमें कहीं न कहीं ये एहसास होने लगता है कि काम में उलझकर वो बच्चों से कहीं दूर तो नहीं हो गईं।

मल्टी-टास्किंग: कामकाजी महिलाएं अक्सर एक साथ कई काम करने में माहिर हो जाती हैं और कार्य से संबंधित कार्यों से लेकर अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में सहजता से बदलाव करती हैं। यह कौशल प्रभावशाली होते हुये भी मानसिक और शारीरिक थकान में योगदान कर सकता है।

विजय और सशक्तिकरण:

व्यावसायिक पूर्ति: चुनौतियों के बावजूद, कई कामकाजी महिलाओं को अपने करियर में अत्यधिक संतुष्टि मिलती है। पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करना और अपने चुने हुये क्षेत्रों में योगदान देना महिलाओं को सशक्त बनाता है और उनके आत्म-सम्मान को बढ़ाता है।

रोल मॉडलिंग (Role Modelling): कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल (Role model) की भूमिका निभाती हैं, जो कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सपनों को साकार करने की आकांक्षा को दर्शाती हैं। ये रोल मॉडल युवा पीढ़ी को लैंगिक बाधाओं को तोड़ने एवं अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

समुदाय और सहायता नेटवर्क: कई कामकाजी महिलाओं को अन्य कामकाजी माताओं के नेटवर्क में सांत्वना और मार्गदर्शन मिलता है। अनुभव, सुझाव और सलाह साझा करने से समुदाय की भावना बढ़ती है और महिलाओं को याद आता है कि वे अपने संघर्षों में अकेली नहीं हैं।

निष्कर्ष :

एक कामकाजी महिला का जीवन उसकी सहनशीलता, दृढ़ संकल्प और तेज़ रफ़्तार से बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने की क्षमता का प्रमाण है। पेशेवर आकांक्षाओं और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के लिए सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन और निरंतर समायोजन की आवश्यकता होती है। बाधाओं के बावजूद, कामकाजी महिलाएं लगातार जीत हासिल कर रही हैं, अपने करियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं और समाज की प्रगति में योगदान दे रही हैं। यह जरूरी है कि समाज और कार्यस्थल आवश्यक सहायता प्रणाली और संवेदना प्रदान करने के लिए विकसित हों, जिससे कि कामकाजी महिलाएं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सक्षम बन सकें। चुनौतियों के बावजूद कामकाजी महिलाएं बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। वे मज़बूत, सहनशील और दृढ़निश्चयी हैं। वे अन्य महिलाओं के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह हैं, जो यह सिखाती हैं कि एक सफल करियर एवं हँसते-खेलते पारिवारिक जीवन के मध्य सामंजस्य के साथ जीना संभव है।

नारी यदि वर्तमान के साथ भविष्य को भी अपने हाथ में ले ले तो वह अपनी शक्ति से बिजली की तड़प को भी लज्जित कर सकती है।

– डॉ. रामकुमार वर्मा

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और संभावनाएँ: वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य

अजय चौधरी
व. लेप. अ.

परिचय:

सभ्यता के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी) का महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना प्रौद्योगिकी दुनिया भर में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृतियों को नयी आकार देने एवं परिवर्तन की प्रेरक शक्ति के रूप में उभरी है। इसका इतिहास मानव जाति की प्रगति और ज्ञान की खोज से जुड़ा हुआ है। जैसे-जैसे हम आईटी के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की स्थिति का पता लगाते हैं, तो यह स्पष्ट होता जाता है कि इसका प्रभाव दूरगामी है।

सूचना प्रौद्योगिकी का ऐतिहासिक विकास:

सूचना प्रौद्योगिकी का वर्तमान स्वरूप आज की या एक–दो वर्षों की देन नहीं है, अपितु यह सैकड़ो वर्षों के सतत् विकास का परिणाम है। 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे ज्ञान का व्यापक प्रसार संभव हो सका। बाद में संदेशों के त्वरित संचार के लिए टेलीग्राम का आविष्कार हुआ। कालांतर में रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने दूर-संचार के क्षेत्रों में नयी क्रांति लायी। विकास के उत्तरोत्तर चरणों के साथ आज हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। हालाँकि, यह 20वीं सदी की डिजिटल क्रांति थी जिसने आईटी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर और इंटरनेट के आगमन ने एक तकनीकी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया जिसने उद्योगों, संचार और दैनिक जीवन को बदल दिया और आसान कर दिया। आज हम घर बैठे बहुत सारे सुविधाओं, जैसे टिकट बुक करना, बैंकिंग सेवाएं, खरीद-बिक्री आदि का लाभ उठा पा रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी का वैश्विक प्रभाव:

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने कनेक्टिविटी और पहुंच का एक अभूतपूर्व युग लाया है। इंटरनेट ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक जोड़ने का काम किया है, जिससे निर्बाध संचार और भौगोलिक सीमाओं के पार भी विचारों को साझा करना संभव हो गया है। ई-कॉमर्स ने हमारे खरीदारी करने के तरीकों में परिवर्तन लाया है, सीमा की बाधाओं को तोड़ा है और बाज़ार का विस्तार भी किया है। सोशल मीडिया (व्हाट्सैप्प, ट्विट्टर आदि) ने मानवीय संपर्क को पुनर्परिभाषित किया है और सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान की है, जिसने न सिर्फ सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाया बल्कि गलत सूचना के प्रसार से संबंधित चुनौतियाँ को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है।

स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वित्त, विनिर्माण और मनोरंजन जैसे उद्योगों में आईटी महत्वपूर्ण रुप में उभर कर सामने आया है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स ने दक्षता और सटीकता को बढ़ाया है; साथ-ही नौकरी विस्थापन और सूचनाओं की गोपनीयता के बारे में चिंताएं भी बढ़ाई हैं।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी:

भारत ने अपने समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति के साथ आईटी को विकास के उत्प्रेरक के रूप में अपनाया है। 1990 के दशक में प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना और सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के साथ देश में सूचना प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता बढ़ी। देश के कुशल कार्यबल और लागत प्रभावी समाधानों ने बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर्षित किया, जिससे भारत एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रुप मे उभर कर सामने आया है।

आउटसोर्सिंग उद्योग, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर विकास और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, ने भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। "आईटी बूम" ने अवसरों की एक नई लहर पैदा की और भारत की सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालाँकि, इस क्षेत्र को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कौशल को लगातार उन्नत करने और विकसित प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होने की आवश्यकता।

सूचना तकनीकी अधिनियम 2000

सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के तहत सरकार ने इसे कानूनी रूप दे दिया है ताकि इसका कोई दुरुपयोग न कर सके तथा

दुरुपयोग करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि कुछ विवादित अधिनियम जैसे धारा-66ए का दुरुपयोग किया गया लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 2015 में इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया क्योंकि इससे संविधान द्वारा प्रदत मूल अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुछेद 19(1) (ए) का हनन हो रहा था। भारत सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा-69ए के तहत अब तक देश और समाज के लिए असुरक्षित लगभग दो सौ से भी ज्यादा ऐप्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, अनुभाग-70 के तहत CERT-In (कम्प्युटर इमर्जेंसी रेस्पौंस टीम-भारत) को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में साइबर घटनाओं पर जानकारी संग्रह करने, विश्लेषण और प्रसार तथा साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और सावधान करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

रोजगार पर आईटी क्षेत्र का प्रभाव:

1. रोजगार सृजन:

प्रारम्भ में लोगों का ऐसा मत था कि सूचना प्रोद्योगिकी के पदार्पण से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लेकिन आईटी क्षेत्र रोज़गार के अवसरों का प्रचुर उत्पादक बन कर उभरा है। प्रौद्योगिकी के सॉफ्टवेयर विकास, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण और सिस्टम प्रशासन जैसे उद्योगों में प्रवेश के साथ प्रोग्रामर और इंजीनियरों से लेकर परियोजना प्रबंधकों जैसे विविध प्रकार के पद उभर कर सामने आए हैं। इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की मांग ने एक प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार का सृजन किया है। आज भारतीय सॉफ्टवेयर ईंजीनियर माइक्रोसॉफ़्ट, अडोब, ट्वीट्टर, गूगल जैसे संस्थाओं में कार्यरत हैं और देश का नाम रौशन कर रहे हैं।

2. कौशल विकास:

आईटी की निरंतर विकसित होती प्रकृति के लिए निरंतर सीखने और कौशल उन्नयन की आवश्यकता होती है। आईटी क्षेत्र के पेशेवरों को नवीनतम तकनीकों, कार्यप्रणाली और रुझानों से अवगत रहना आवश्यक है। परिणामस्वरूप, आजीवन सीखना आईटी रोजगार की आधारशिला बन गया है, जो निरंतर आत्म-सुधार और अनुकूलनशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

3. दूरस्थ कार्य और लचीलापन:

आईटी क्षेत्र दूरस्थ कार्य और दूरसंचार प्रथाओं में सबसे आगे रहा है। कार्य प्रक्रियाओं, सहयोग उपकरणों और संचार प्लेटफार्मों के डिजिटलीकरण ने रोजगार व्यवस्थाओं में अधिक लचीलेपन की अनुमति दी है। इस बदलाव ने पेशेवरों को भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए दूर से काम करने और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया है। कार्य को लचीले ढंग से संपादित करने में समय और अर्थ दोनों की बचत होती है। आज हम घर बैठे बहुत सारे सुविधाओं जैसे टिकट बुक करना, बैंकिंग सेवाएं, खरीद- बिक्री आदि का लाभ उठा पा रहे हैं। कोरोना के काल में यह वरदान साबित हुआ था।

4. पारंपरिक उद्योगों पर प्रभाव:

पारंपरिक उद्योगों में आईटी के उपयोग से इसके परिचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है और इनकी उत्पादक्ता भी बढ़ी है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, वित्त और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है।

नीतियाँ और अवसर:

1. कौशल में असमानता:

आईटी क्षेत्र की तीव्र वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों में से एक कौशल का बेमेल होना है। इस अंतर को पाटने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सूचना तकनीकी से संबन्धित प्रशिक्षण को यदि प्रोत्साहित किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

2. समावेशिता और विविधता:

आईटी क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से समावेशिता और विविधता के मुद्दों से जूझता रहा है। उद्योगों में बिशेषकर ग्रामीण महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले लोगों को अक्सर कम अवसर मिल पाता है। व्यापक प्रतिभा को उभारने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रौद्योगिकी विकास समावेशी और विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, इन असमानताओं को संबोधित करना आवश्यक है।

3. नौकरी विस्थापन बनाम नौकरी सृजन:

आईटी क्षेत्र द्वारा लाए गए स्वचालन और डिजिटलीकरण ने नौकरी विस्थापन के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। जबकि कुछ नियमित कार्य स्वचालित हो सकते हैं, आईटी क्षेत्र नई भूमिकाएँ और अवसर

भी पैदा करती है। नौकरी विस्थापन से प्रभावित लोगों के लिए बदलाव को सुविधाजनक बनाने और उन्हें नई भूमिकाओं के लिए आवश्यक कौशल से विभूषित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

भविष्य

1. निरंतर विकास:

आईटी क्षेत्र में नवप्रवर्तन की गति धीमी होने की संभावना छिन्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, संवर्धित वास्तविकता और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां उद्योगों को फिर से परिभाषित करने और नए रोजगार के अवसरों को पैदा करने में सक्षम है। इन प्रगतियों हेतु कार्यबल को तैयार करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

2. नैतिक और सामाजिक विचार:

जैसे-जैसे आईटी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, नैतिक और सामाजिक विचार तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। जिम्मेदार एवं निष्पक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु गोपनीयता संबंधी चिंताओं और डेटा सुरक्षा को संबोधित किया जाना चाहिए। जुलाई-2023 में सरकार द्वारा व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा बिल, 2023 को लोकसभा में पारित करना एक सराहनीय कदम है। यह सूचनाओं के अनुचित उपयोग पर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करेगी।

संभावनाएँ:

सूचना प्रौद्योगिकी का सफर रोमांचक और जटिल दोनों है। 5जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी उभरती प्रोद्योगिकियों ने परंपरागत तकनीकियों में अभूतपूर्व रूप से बदलाव लाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई) और मशीन लर्निंग(म.ल.) से स्वचालन और निर्णय लेने की क्षमताओं के और भी बड़े स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। इन तकनीकों की सहायता से स्वयं-संचालित और स्वयं-सीखने वाले यंत्र, जो मानवों के साथ मिलकर काम करेंगे और समस्याओं का समाधान ढूँढने में मददगार सिद्ध होंगे।

भारत में, डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य राष्ट्र के डिजिटल परिवर्तन के लिए आईटी का लाभ उठाना, ई-गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता और सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना है। चूँकि भारत डिजिटल विभाजन को पाटना चाहता है और समेकित विकास के लिए आईटी की शक्ति का उपयोग करना चाहता है, इसलिए उसे साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग से संबंधित चुनौतियों का भी सुचारु रूप से समाधान करना होगा।

निष्कर्ष:

सूचना प्रौद्योगिकी का इतिहास और भविष्य मानव नवाचार और प्रगति की एक उल्लेखनीय यात्रा प्रस्तुत करता है। अपनी साधारण शुरुआत से लेकर अपने वर्तमान वैश्विक प्रभाव तक, आईटी ने नित नए-नए ऐसे आयामों से दुनिया को सुसज्जित किया है जो कभी अकल्पनीय थे। भारत में आईटी क्षेत्र ने आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी देश के विकास में योगदान जारी रखने के लिए सक्षम है।

जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, यह जरूरी है कि हम इसकी जटिलताओं को जिम्मेदारीपूर्वक और नैतिक रूप से सुलझाएं। सूचना प्रौद्योगिकी का भविष्य अपार संभावनाएं रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, नवाचारिक तकनीक आदि ने विभिन्न क्षेत्रों में नए दरवाजे खोले दिये हैं, लेकिन साथ ही हमें सुरक्षित और नैतिक तरीके से इसका उपयोग करने की जरूरत है।

हम प्राचीन भारत की नारियों को आदर्श मानकर ही नारी का उत्थान और सशक्तीकरण कर सकते हैं।

– स्वामी विवेकानंद

अबला नहीं यह नारी है

सोनिया
स. ले. प. अ./तदर्थ

बीज से प्रकृति का सृजन
यह कर देती है,
गंगा की तरह बहकर
धरती को पावन कर देती है।

दीयों की तरह जगमगाकर,
हर घर को रौशन कर देती है।
बगिया के फूलों की तरह,
जीवन को खुशबू से भर देती है।

बरखा के बूंदों की तरह,
हर रोम को पुलकित कर देती है,
मंझधार में फंसी नाव को,
यह किनारे कर देती है।

ये बिजली है ये आंधी है,
कभी ये चंदा की शीतल चांदनी है,
तो कभी सूर्य की तेज किरण,
अश्रु इसके हथियार हैं,

ये कभी नहीं लाचारी है,
अबला नहीं यह नारी है।

खाली पड़े मकान को यह,
घर बना कर देती है,
जीवन के हर पन्ने को,
रंगों से भर देती है।

माँ के रूप में ये,
ममतामयी होकर विभोर कर देती है,
पत्नी रूपी दोस्त बनकर,
जीवन के हर पथ पर साथ निभाती है।

बहन के रूप में ये,
सच्ची आलोचक बन जाती है,
बेटी बनकर हर घर को,
अपनी खिलखिलाहट से जगमगा देती है।

इस संसार में प्रकृति का रूप है
ये शक्ति स्वरूपा दुर्गा है ये काली है

दुर्बल इसकी काया सही पर
ये नहीं कभी बेचारी है,
अबला नहीं यह नारी है।।

मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से आंकता हूं।

– बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर

अबला! तुम सबला नारी हो

संतोष कुमार ठाकुर
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

अबला! तुम सबला नारी हो
सकल सृष्टि में तुम न्यारी हो
सावन-सा तुम मन-भावन हो
भगीरथी जल-सा पावन हो
धीर धरा सम हृदय है तेरा
नव पल्लव-सा कोमल चेहरा
ज्वाला भी तुम, चंदन भी तुम
दया की देवी, दंडक भी तुम
सुवासित मधुर मंजरी भी तुम
अलंकार भी, अहंकार भी
प्रेम-पथिक, सहचारी तुम हो
नारायण की शक्ति तुम हो
सकल भक्तों की भक्ति तुम हो
माता-पिता का मान भी तुम हो
सास-श्वसुर सम्मान भी तुम हो
कोमल काया तुम ही माया
कोमलता सबको ही भाया
सुंदरता की मूरत तुम हो
सकल जगत की सूरत तुम हो
तिरस्कार भी, पुरस्कार भी
सर्वोत्तम उपहार तुम्हीं हो
तुमसे ही परिवार हमारा
शिशु का संपूर्ण संसार तुम्हीं हो।
आत्मजा, श्वसा, भार्या, माता
रूप तेरा है देवी स्वरूपा
अनुसूया-सी ममता पाली
तुम ही दुर्गा तुम ही काली
देव-मनुज के रक्षक तुम ही
और दनुज के भक्षक तुम ही
मीरा-सी तुम हरि-प्रिया हो
लक्ष्मी बाई सी रिपु-संहारी
तुलसी, कालि का ज्ञान तुम्हीं हो
अज्ञान सदा तुमसे है हारी
अंतरिक्ष को नाप चुकी हो
गिरि-शिखर को चूम चुकी हो
फिर क्यों खुद को अबला कहती हो
क्यों तिरस्कार तुम अब सहती हो, जब
सबके जीवन की ज्योत तुम्हीं हो
ऊर्जा, शक्ति का स्रोत तुम्हीं हो
निर्माण तुम्हीं, विध्वंस तुम्हीं
स्थूल तुम्हीं ,गतिशील तुम्हीं
करती आशा तुम पूरी हो और
सकल सृष्टि की धुरी तुम्हीं हो
कब तक तुम अबला बैठोगी
कौन तुम्हें आ सँभालेगा ?
जाम्बवंत न अब आएगा
अपनी शक्ति निज पहचानो
अबला! तुम सबला नारी हो।

भारत की पहली महिला डॉक्टर: कादम्बिनी गांगुली

सुश्री दीपान्निता दास
कनिष्ठ अनुवादक

साल 1898 की बात है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि 27 जून थी। उस दिन गांगुली सदन पर मातम छाया हुआ था। द्वारकानाथ गंगोपाध्याय का सुबह ही निधन जो हुआ था।

परन्तु, उस स्त्री के लिए तो एक कॉल आया था! इसी पति ने उन्हें एक दिन यह सिखाया था कि रोगी के आगे और कोई नहीं होना चाहिए। यही पति उनकी सफलता के वास्तुकारों में से एक था, जिनकी वजह से एक दिन उन्होंने चिकित्सीय विद्या में सरकारी डिग्री हासिल की थी। देश ही नहीं, विलायत जाकर भी उन्होंने मेडिकल की डिग्री प्राप्त की थी। आज की महिलाएं जहां काम और परिवार को संतुलित करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में, एक स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने के लिए विलायत तक चली गयीं थीं। उस पति का आज निधन हुआ था। लेकिन, अगर बुलावा आने के बाद भी वह जाने में असमर्थ होती, तो वह न केवल स्वयं का, बल्कि पूरी समाज व्यवस्था के समक्ष उसके लिए खड़े होने वाले उस देवतुल्य पति का अपमान होता। उसने अपना मन बना लिया। वहां पास ही में एक ज़मींदार का घर भी था, जहाँ एक होने वाली माँ प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उस ओर ही चल पड़े कादम्बिनी गांगुली के कदम। आखिर, पर्दानशीन बंगाल में उनके अलावा उस युवती को बचाने के लिए और कौन ही था?

कादम्बिनी गंगोपाध्याय। भारत की पहली महिला डॉक्टर जिन्होंने 19वीं सदी में रूढ़िवादी बंगाल में क्रांति ला दी थी। उस समय, कादम्बिनी भारत और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की पहली दो महिला स्नातकों में से एक थीं। वर्ष 1983 में बेथ्यून कॉलेज (Bethune College) से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात्, कादम्बिनी ने चिकित्सा का अध्ययन करने का फैसला किया। एक लड़की की ऐसी इच्छा सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक पुरुष-प्रधान समाज में, जहां महिलाएं यह माना करती थीं कि एक-दूसरे के समक्ष आना भी पाप है, वहां एक छोटी लड़की न केवल उनके साथ चिकित्सा का अध्ययन करेगी, बल्कि मानव शरीर को काटने एवं उसका विश्लेषण करने में भी शामिल होगी – उस समय के लिए यह एक आपत्तिजनक परन्तु अत्यंत रोमांचकारी विषय था।

परन्तु, दो व्यक्ति इस बात से आश्चर्यचकित नहीं हुये – कादम्बिनी के पिता, और चचेरे भाई।

वे समाज के इसी कंटकाकीर्ण दृष्टिकोण के बीच कादम्बिनी के साहसिक कार्य को विश्वास में बदलने के प्राथमिक वास्तुकार थे। बाद में, शिक्षक-चिकित्सक द्वारकानाथ गंगोपाध्याय उनके साथ खड़े हुये थे। धर्मविश्वास के तौर पर ब्रह्म समाज को अपनाने वाले द्वारकानाथ हमेशा से स्त्री शिक्षा के समर्थक रहे थे। जब पूरा समाज, यहां तक कि मेडिकल कॉलेज (Medical College) के कुछ शिक्षक और सहपाठी भी न केवल चौंक गये, बल्कि दुविधाग्रस्त होकर रह गये, तब केवल वह ही एक तरह से उनके साथ खड़े रहे। अपने निरंतर प्रोत्साहन के साथ, कादम्बिनी ने अपने बाकी सहपाठियों के अनुरूप चिकित्सा का अध्ययन जारी रखा। सुनने में ऐसा भी आया था कि वह एक भी कक्षा, लेक्चर से कभी भी अनुपस्थित नहीं रहती थीं। यहां तक कि, मासिक धर्म की असहनीय पीड़ा को नजरअंदाज करते हुये भी वह कॉलेज में उपस्थित रहा करती थीं।

इस मेडिकल कॉलेज में एक बंगाली प्रोफेसर थे, जो कादम्बिनी की मेडिकल की पढ़ाई के विषय को कतई स्वीकार नहीं कर पाये थे। सुनी-सुनायी है कि उन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा में मात्र 1 अंक कम देकर कादम्बिनी को फेल कर दिया था। उस समय ब्रिटिश डॉक्टर, डॉ. जेम कोट्स आगे आये थे। वह तब कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे। अनुभवी और उदारवादी सोच वाले वह डॉक्टर समझ गये कि कादम्बिनी के खिलाफ कितनी सोची समझी साज़िश चल रही थी। इसे समझते हुये उन्होंने सीनेट (senate) की बैठक में इस मुद्दे को उठाया। उस बैठक में, कादम्बिनी को सर्वसम्मति से 'लाइसेंटियेट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी' (Licentiate in Medicine and Surgery) का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था।

लेकिन उस घटना के बाद, अंतिम परीक्षा के दौरान उन्हें पुन: अनुत्तीर्ण किया गया। तब, डॉ. कोट्स ने फिर से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने कादम्बिनी को 'ग्रेजुएट ऑफ बेंगॉल मेडिकल कॉलेज' (Graduate of Bengal Medical College) की डिग्री से सम्मानित किया, जिसके चलते उन्हें चिकित्सीय विद्या में उत्तीर्ण घोषित करने के उपरान्त एक पेशेवर डॉक्टर करार दिया।

उनकी ओर से मंज़ूरी मिलने के पश्चात्, कादम्बिनी ने आगे

चलकर एक पेशेवर डॉक्टर के रूप में अपनी शुरुआत की। वह पूरे ज़ोर-शोर से सर्जरियां किया करती थीं। उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस भी की थी। रात हो या दिन, जब मरीज़ के घर से कॉल आया करता था तो उन्हें समय नहीं दिखता था, वह टट्टू घोड़े से खींची गाड़ी में वहां पहुँच जाया करती थीं। यहां तक कि, वह मरीज़ों को देखने के लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिया करती थीं।

बेशक, इसके लिए उन्हें कम अपमान सहन नहीं करना पड़ा था। न केवल उनका मौखिक रूप से अपमान हुआ, बल्कि उन्हें शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ा। यहां तक सुना जाता है कि उन पर मानव मल फेंकने का दु:साहस भी किया गया था। अपितु, कादम्बिनी के मन में इनमें से किसी का कभी कोई असर नहीं हुया। वह हमेशा अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहा करती थीं। मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद, उन्होंने अपनी पसंद से द्वारकानाथ से शादी की। उनके पति अपनी मृत्यु पर्यन्त उनके साथ थे। यहां तक कि, जब कादम्बिनी ने आठ बच्चों के होते हुये विलायत जाने और मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने का फैसला किया, तो यह द्वारकानाथ ही थे जिन्होंने उन्हें इस दिशा में आत्मविश्वास दिलाया। कादम्बिनी जब तीन महीने में तीन मेडिकल डिग्रियां प्राप्त करके लौटीं, तो एक समय पर मेडिकल कॉलेज में अनुत्तीर्ण होने के कारण मेडिकल की पढ़ाई करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाने वाले भी उस दिन स्तंभित रह गये। जब वह विलायत से लौटीं, तब कादम्बिनी का सबसे छोटा बेटा एक गोद में खेलने वाले शिशु के समरूप था। कादम्बिनी के विदेश से लौटने के पश्चात्, वह अपनी मां को नहीं पहचान पाया।

अपनी व्यक्तिगत जीवन के इन सभी अनुभवों का बोझ अपने हृदय तल में दबाते हुये, कादम्बिनी फिर से मरीज़ों का उपचार करने निकल जाया करती थीं। रात में कॉल पर जाने के लिए समाज के स्वरक्षक उन्हें 'वेश्या' कहकर संबोधित करने की ज़हमत करने में भी नहीं चूके। उनके बारे में यहां तक कहा गया कि पैसे फेंकोगे तो युवा डॉक्टर की देखभाल मिल जायेगी। उनके एवं उनके पति के बारे में इससे जुड़े हुये बदसूरत कार्टून बंगवासी समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये थे, जिसमें कादम्बिनी की तुलना वेश्याओं से की गयी थी। उस कार्टून में द्वारकानाथ को भेड़ के स्वरूप में चित्रित किया गया था। कादम्बिनी से अपने खुद का अपमान काफी हद तक सहन कर लिया गया था, परन्तु अपने देवता जैसे पति के सम्मान के साथ ऐसा अपमानजनक खिलवाड़ होते देखकर कादम्बिनी अत्यंत क्रोधावेश में आ गयीं थीं। वह तुरन्त कोर्ट हाउस के द्वार तक दस्तक देने पहुँच गयीं। तब, उस संपादक को अदालत में घसीटा गया। मुकदमे में बंगवासी अख़बार के संपादक को छह महीने की जेल और जुर्माने की सज़ा सुनायी गयी। तब जाकर कहीं कादम्बिनी शांत हुयीं।

न केवल अपने पति की मृत्यु के दिन, कादम्बिनी ने अपनी मृत्यु की सुबह को भी एक रोगी की चिकित्सा को ही समर्पित किया था। वह दिन था 23 अक्टूबर, 1923। उस दिन सुबह उन्होंने एक सर्जरी की थी। फिर अचानक वह बीमार महसूस करने लगीं। उन्होंने अपनी बड़ी बहू को यह बताया। कुछ ही क्षणों में, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गयी। इसके तुरन्त बाद, बंगाल क्रांति का एक अध्याय समाप्त हो गया। हालांकि, अपने जीवन के साथ, कादम्बिनी ने मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा के दरवाज़े हमेशा के लिए महिलाओं की भविष्य की पीढ़ियों के लिए चिकित्सीय अध्ययन करने हेतु खुले रख दिये।

महिलाओं को कमजोर मानना अपराध है, यह पुरुषों का महिलाओं के प्रति अन्याय है। शक्ति का अर्थ यदि नैतिक/आत्मिक शक्ति से है तो महिलाएं पुरुषों से असीमित रूप से श्रेष्ठ हैं।

– महात्मा गांधी

तिलका मांझी - एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी

सुमन मांझी
लेखापरीक्षक

आज की तेज़ भागती दुनिया और कठिन प्रतिस्पर्धी रोज़मर्रा की जिंदगी में युवाओं को हमारी समृद्ध विरासत और अतीत को याद करने के लिए मुश्किल से ही समय मिल पाता है। भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई एक अनूठी कहानी है, जो हिंसा से प्रभावित नहीं है। बल्कि एक कथा जो पूरे उपमहाद्वीप में वीरता, बहादुरी, सत्याग्रह, समर्पण और बलिदान की विविध कहानियों से भरी है। ये कहानियाँ समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत और परम्पराओं की रचना करती है।

उन कहानियों को फिर से बनाने और सामने लाने का उद्देश्य, जो अतीत की धुंधली यादों के रूप में है, आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम के रूप में काम करेंगी। जब तक हम अपने गुमनाम नायकों को प्रगति और विकास की इस यात्रा पर नहीं ले जाते, तब तक भारत की भावना अधूरी है, उनके लोकाचार और सिद्धांतों को याद किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कई बहादुर पुरूष और महिलाएँ अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े और अपने देशवासियों के दिलों में अमर हो गये। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी प्रिय भूमि, जंगलों और प्रकृति, जो उनकी आजीविका का स्रोत है, की खातिर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये आदिवासी या भूमि के पहले निवासी थे, जिनकी भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये वे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने उत्पीड़कों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपनी जनजातियों को एकजुट किया और लाखों लोगों को लड़ने और ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उनके बलिदान, सम्मान, निष्ठा और सबसे बढ़कर ज़बरदस्त साहस की कहानियों ने 'स्वतंत्रता' शब्द के बारे में हमारी समझ को और अधिक सार्थक बना दिया है। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी 'जबरा पहरिया' उर्फ़ तिलका मांझी थे।

राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के किनारे पर स्थित है। ये पहाड़ियां घने जंगलों वाले क्षेत्र में हैं। सदियों से जैव-विविधता और खनिजों से समृद्ध इन पहाड़ियों के लोग शांत जीवन जीते थे और किसी को भी परेशान नहीं करते थे। जंगल और प्रकृति उन्हें उनकी ज़रुरत की हर चीज उपलब्ध कराती थी। आक्रमणकारी भारत आये, शासन किया और चले गये, लेकिन इन पहाड़ों की जनजातियों को कभी परेशान नहीं किया गया। यह तब बदला जब ईस्ट इण्डिया कंपनी ने 1964 में बक्सर की लड़ाई जीती और बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा झारखण्ड की वास्तविक शासक बन गयी। कंपनी ने आदिवासियों पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया, जिसका भुगतान करना उनके लिए असंभव था।

"ये लोग हैं कौन? हम उन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं?" एक 15 साल का बच्चा बोला। "वे अंग्रेज़ों के लिए काम करने वाले जमींदार हैं। यदि हम कर का भुगतान नहीं करेंगे तो वो हमारी ज़मीन छीन लेंगे", इतने में एक युवक बोला। इस पर, उस बच्चे ने बोला, "लेकिन यह हमारी ज़मीन है"। "हाँ, लेकिन यही कानून है", युवक उदासी के साथ बोला। "ऐसा कानून जो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया है। हमें उन्हें कुछ भी क्यों देना चाहिए?", बच्चा इस अन्याय पर उबलते हुए बोला। उस बच्चे का नाम जबरा पहरिया था। जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, जबरा ने अपनी जनजाति के छोटे समूहों को संबोधित करना शुरू कर दिया।

यह वर्ष 1770 था। बंगाल और आसपास के सभी क्षेत्र भीषण अकाल से जूझ रहे थे। लेकिन कंपनी ने टैक्स बढ़ा दिया। लोग भूख से मर रहे थे और कर न चुकाने के कारण कोड़े खा रहे थे। अब तक जबरा अपने गाँव का नेता बन गया था। अब उसकी उपाधि 'मांझी' या 'मुखिया' की हो गयी थी। "अगर वे हमारे पैसे लेते हैं; तो मैं इसे उनसे वापस लेने जा रहा हूँ", जबरा अपने गुट को संबोधित करते हुए बोला।

अपनी तरह की पहले साहसी हमले में, जबरा और उसके लोगों ने जबलपुर में ईस्ट इण्डिया कंपनी के खज़ाने में छापा मारा। और सारा धन उठाकर जबरा और उसके आदमी वहां से निकलने लगे। "रूकना! आप कौन हैं?", एक अंग्रेज़ सिपाही बोला। जबरा ने मुड़कर देखा और बिना कुछ बोले चला गया। "एह! कैसी क्रोधित लाल आँखे!" सिपाही डर कर बोला। यही जबरा का पहचान बन गया और तभी से उन्हें 'तिलका मांझी' के नाम से जाना जाने लगा। तिलका ने कंपनी से जो कुछ भी चुराया, उसे ग्रामीणों में बाँट दिया। निस्संदेह, अंग्रेज़ बहुत क्रोधित थे। बंगाल के गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग्स् (Warren Hastings) ने तिलका और उनके लोगों को पकड़ने के लिए एक विशेष बल भेजा। लेकिन, आदिवासी इलाके में अंग्रेज़ों का आदिवासियों से कोई मुकाबला नहीं था। तिलका और उनके लोग कब्ज़ा करने से बच गये लेकिन साधारण आदिवासियों पर अत्याचार किया गया। "जब हमारे लोग पीड़ित हों, तो छुपन-छुपाई नहीं खेल सकते। हमें अपनी उपस्थिति का एहसास अवश्य कराना चाहिए।"

यह 1778 था। एक साहसी कदम में, तिलका और उनके कुछ लोगों ने रामगढ़ छावनी में पंजाब रेजिमेंट पर हमला किया। पूरी तरह से अनजान होने के कारण, कंपनी के लोग भाग गये, यह पहली बार था कि भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया था और जीत हासिल की थी। यह 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह से 79 वर्ष पहले की बात है। तब अंग्रेजों ने अपनी पसंदीदा, 'फूट डालो और राज करो' की रणनीति का सहारा लिया।

उन्होंने ऑगस्टस क्लीवलैंड (Augustus Cleveland) को उस क्षेत्र के कलेक्टर के रूप में भेजा जो एक युवा, आकर्षक, लेकिन चतुर अधिकारी था। "मैं शांति स्थापित करने आया हूँ, इस वर्ष के लिए आपका कर माफ़ कर दिया गया है।" ऑगस्टस आदिवासियों के समूह को संबोधित करते हुये बोले। "कितना महान आदमी है!" इतने में एक आदिवासी युवक बोला। "आपमें से कुछ लोग सिपाही भी बन सकते हैं। उन्हें नियमित वेतन मिलेगा। तिलका मांझी से कहो, वह भी एक अच्छा सिपाही बन सकता है", ऑगस्टस बोला। "वेतन... आपके पैसों का हम क्या करेंगे? हम आदिवासी हैं, हम जंगल और पहाड़ियों पर रहते हैं। क्या आप नहीं देख सकते हैं कि वह आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है?" समूह में खड़ा एक युवक दूसरे युवक को बोला, "हम इस लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं, तिलका एक सिपाही बन सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।" दूसरा युवक बोला, "नहीं! अंग्रेज़ हमें विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अंत में उनके ग़ुलाम बनकर रहेंगे!" पहला युवक समझाते हुए बोला, कई जनजातियों को प्रलोभन दिया गया और क्लीवलैंड द्वारा उन्हें शामिल करने की योजना बनायी गयी। तिलका का गुट कमजोर पड़ने लगा। लेकिन, 1784 में कई और लोग तिलका के साथ खड़े हुये। तिलका और उनके लोगों ने भागलपुर में तैनात कंपनी सैनिकों पर हमला किया। वहीँ पर ऑगस्टस तैनात थे। "फायर! उन्हें भागने न दें", ऑगस्टस बोला। वह बन्दूक लेकर बाहर आया। "कहाँ है तिलका मांझी? मुझे सबसे पहले उसे पकड़ना है", ऑगस्टस गुस्से में चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, तिलका ने एक ज़हरीला तीर चलाया जो ऑगस्टस की छाती को छेद कर पार हो गयी और कुछ महीने बाद उनकी मृत्यु हो गयी।

विरोध में अंग्रेजों ने एक ताकतवर सेना भेजा, विद्रोह को दबाने के लिए। सेना ने उस जंगल को चारों तरफ से घेर लिया जहाँ तिलका और उनके लोग छिपे हुये थे। सारे ज़रुरत के सामानों को जंगल जाने से रोका गया। तिलका के लोगों ने इसका सामना करने का सोचा लेकिन जल्द ही वे भूखे और कमज़ोर पड़ने लगे। "हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें अपना रास्ता निकालना होगा। करो या मरो की स्थिति है", तिलका ने अपने लोगों को संबोधित करते हुये कहा। वे कुछ सप्ताह तक बहादुरी से लड़े, लेकिन 12 जनवरी 1785 को आख़िरकार तिलका को पकड़ लिया गया। "इस छोटे से आदमी ने इतना आतंक मचाया। इसे घोड़े से बांध दो और हम इसे घसीटते हुये कलेक्टर के घर ले जायेंगे", अफसर ने सिपाही को आदेश दिया। तिलका मांझी को चार घोड़ों से बाँधकर भागलपुर तक घसीटा गया। उनमें दृढ़ता और साहस ऐसी थी कि इस कठिन परीक्षा के बाद भी वे जीवित थे। अगले दिन उन्हें फांसी पर लटका दिया गया।

1771 से 1784 तक, तिलका ने अपने लोगों को संगठित किया और निडरता से संघर्ष किया, इतिहास ने भले ही उन्हें हक़ नहीं दिया, लेकिन वह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले व्यक्ति थे। साल 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। वो आज भी जिंदा हैं, उनके साथी आदिवासियों के दिलों में जिन्होंने उन्हें कई गाने समर्पित किये हैं:-

"उन्होंने आप पर कोड़े बरसाए,
उन्होंने आपको घोड़े से घसीटा,
फिर भी आप मारे नहीं जा सके,
उन्होंने भागलपुर की जनता के बीच,
आपको रस्सी पर लटका दिया,
फिर भी ज़मींदार और अंग्रेज़ डरते थे
तुम्हारी क्रोधित आँखों से,
तुम मारे जाने के बाद भी नहीं मरे
मंगल पांडे नहीं,
आप आधुनिक भारत के प्रथम विद्रोही थे।"

महिला-सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों ?

राजीव दास
वरिष्ठ अनुवादक

आदिम युगीन मानव समाज स्त्री-पुरुष के भेदभाव से रहित था। सब साथ मिलकर शिकार करते, खाते और रहते थे। शिकार के लिए गुफाओं से बाहर जाने की आवश्यकता होती थी। बच्चों को जन्म और जीवन देने का वरदान प्रकृति से स्त्री को ही मिला है। शिशुओं के लालन-पालन के दायित्व के कारण कालान्तर में नारी की भूमिका घर की चार-दीवारी तक सीमित होने लगी।

प्रगति, परिवर्तन और विकास के क्रम में पुरुष की प्रधानता बढ़ती गई और स्त्री की भूमिका गौण होती गई। इतना ही नहीं परंपराओं और रीति-रिवाजों की आड़ में कुछ ऐसी अवैज्ञानिक और तर्कहीन मान्यताओं ने जनमानस के मस्तिष्क में गहरी जड़े जमा लीं जिनसे मुक्ति पाना अब भी एक चुनौती है। किसी भी संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए विकास के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पुरुष या महिला की श्रेष्ठता साबित करना नहीं है, अपितु उन उपायों को सुनिश्चित करने की पहल करना है जिससे विकास मानकों की प्राप्ति में महिलाएं और पुरुष बराबर योगदान कर सकें।

हम महिला-सशक्तिकरण शब्द ही पढ़ते-लिखते और सुनते हैं, 'स्त्री सशक्तिकरण' नहीं, क्यों?

वस्तुत: प्रश्न का उत्तर इन शब्दों की व्युत्पत्ति में ही छिपा है। 'स्त्री' शब्द की व्युत्पत्ति 'स्त्यै' धातु से हुई है, जो संचय, धारण करने, मृदुलता आदि का बोधक है। 'स्त्यै' धातु में ड्रप् प्रत्यय लगाकर बननेवाला शब्द 'स्त्री' की व्याख्या अनेक आचार्यों ने अपने तरह से की है। गर्भ-धारण केवल स्त्री ही कर सकती है और इस तरह वह स्वयं के अंदर जीवन-धारण करने का सामर्थ्य रखती है। 'स्त्री' शब्द की व्याख्या करते हुए यास्क ने जहाँ इसे लज्जा (लज्ज्+अ+टाप्) से अभिभूत नारी माना, वहीं पाणिनि ने इसे 'शब्द' इकट्ठा करनेवाली, संचय करनेवाली अथवा 'गप्पनी-बकवादी' माना। पतंजली ने स्त्री को 'शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध' आदि गुणों का समुच्चय माना। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल अर्थ एक है- 'संचय करनेवाली' परंतु व्याख्याएँ भिन्न हो गईं। हालाँकि ये सभी व्याख्याएँ देह तक सिमट गईं। अस्तु, यह इन आचार्यों की सीमा नहीं, अपितु इनके युगों, समाजों की सीमा थी।

अब महिला शब्द को देखते हैं- 'महिला' शब्द की व्युत्पत्ति 'मह्' धातु से हुई है। मह्+इलच्+टाप् = महिला, जिसका अर्थ है – आदर, पूजा करना, महनीय, इत्यादि। इस तरह यह शब्द आदर का भाव लाता है और स्त्री को देह की परिधि से ऊपर उठाकर मस्तिष्क और बुद्धि से जोड़ता है। वैसे इसका अर्थ पति का सम्मान (सम्+मान अर्थात बराबर मान, अधिक अथवा कम मान नहीं) करनेवाली भी बताया गया। तब भी हमें 'महिला सशक्तिकरण' शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, स्त्री सशक्तिकरण का नहीं। (संदर्भ- भाषा संशय शोधन)

अब सशक्तिकरण शब्द के अर्थ को समझ लेते है: सशक्तिकरण शब्द का विच्छेद है स+शक्ति+करण। जिसमें 'स' उपसर्ग है। शक्ति संज्ञा है। विशेषण तथा करण प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है – **सशक्तिकरण।** इसका ध्वनी अर्थ है शक्ति सहित गत्यात्मकता (गति)। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। निर्बल के सबल बनने की प्रक्रिया। एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो, सामाजिक संदर्भों में जिस पर संतानोत्पत्ति तथा व्यवसाय आदि से संबंधित विषयों पर घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का दबाव न हो।

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ-साथ विकास की सहभागी माना जाए।

महात्मा गाँधी के अनुसार: "हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनके वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए।"

सिमोन द बोउअर के अनुसार: "स्त्री, पुरुष प्रधान समाज की कृति है। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए पुरुषों ने उसे जन्म से ही अनेक नियमों के सांचे में ढालता चला गया। जहाँ उसका व्यक्तित्व दबता चला जाता है।"

उपन्यासकारों में सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद और उनके साहित्य सृजन ने स्त्रियों को अलग ही मुकाम दिया। उन्होंने बड़ी शिद्दत से समाज की समस्याएं उजागर की है। उनकी कलम ने नारी को कमजोर अबला नहीं बनाया बल्कि सबल और सशक्त बनाया। 'बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस कोख ने पुरुषों को जन्म दिया उस नारी को पुरुषों ने कैसे अबला बना दिया। जो जन्म के लिए भी स्त्री की कोख के लिए मोहताज़ है उन्होंने उस स्त्री को सर्वथा महत्वहीन बना दिया'।

प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से स्त्रियों को पारिवारिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में सशक्त किरदार में दर्शाया है। प्रेमचंद स्त्रियों को चाहरदीवारी में कैद नहीं करते अपितु उन्हें घर से बाहर भी निकालते हैं और चाहरदीवारी के अंदर भी उनकी महत्ता को स्थापित करते हैं। प्रेमचंद लिखते भी हैं: "जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है लेकिन यदि नारी में यह गुण आ जाए तो वो कुल्टा बन जाती है।"

भारतीय संस्कृति विश्व विख्यात है। भारतीय संस्कृति में नारी की अनन्य साधारण महत्ता है। नारी के हर रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में दिखाई देता है। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि नारी ही साहित्य निर्मित का मूल है। हिंदी साहित्य में भी नारी अनेक रूपों में दिखाई देती है।

विभिन्न कालों में महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति

मध्ययुग में भक्तों ने नारी के प्रति आदरभाव व्यक्त करते हुए नारी को आदर्श तक पहुँचाने का प्रयास किया; किंतु उत्तर मध्यकाल में नारी जीवन दीन हीन बन गया। इस प्रकार भारतीय साहित्य में 'नारी-चित्रण' के कई रूप झलकते हैं।

वैदिक काल : वेदों में स्त्रियों का उल्लेख सम्मानजनक ढंग से किया गया है। वैदिक काल में जिन विदुषी महिलाओं की चर्चा होती है उनमें गार्गी, सूर्या, अपाला, लोपामुद्रा, रोमशा आदि के नाम प्रमुख है। ऋगवेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से 30 नाम महिलाओं के हैं। अथर्ववेद में कहा भी गया है – "नव वधु तू जिस घर में ज रही है वहां की सम्राज्ञी है, तेरे सास, ससुर, देवर व अन्य व्यक्ति तुझे सम्राज्ञी समझते हुए आनंदित होंगे।" (अथर्ववेद 14/14)

बौद्ध काल : भगवान बुद्ध ने संघ में जातिवाद या लिंग भेद को कोई स्थान नहीं दिया। उनकी दृष्टि में सभी लोग समान थे। महात्मा बुद्ध द्वारा संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाना एक युगांतकारी घटना थी।

मध्यकाल : सातवीं शताब्दी के अंत में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया जिसके साथ ही देश में मुसलमान शासकों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। इसी युग में विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए स्त्रियाँ जौहर की अग्नि में भस्म होने लगीं। इस युग में अनेक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। इनमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बांझ जैसी कुरीतियों ने समाज को चारों ओर से जकड़ लिया।

भारत में महिलाओं के शिक्षा के प्रयास आधुनिक काल के शुरुआती दौर में ही हुए जिसका प्रसार अब लगातार देखने को मिलता है। आज के भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियाँ भी अब पढ़ने जाने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत अवधारणाएं अभी भी बलवती हैं जिनके बावजूद निचली जाति की लड़कियां भी अब प्राथमिक विद्यालय की ओर रुख कर रही हैं जो कि एक सकारात्मक संकेत है लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी घरेलू काम-काज तक ही सीमित हैं। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थितियों में अंतर आज भी विद्यमान है। पूरे देश में महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने में इस तरह के मौजूद अंतर को पाटना अभी बेहद जरूरी है।

भारत में महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण योजनाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं :

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना - वर्ष 2015
- लिंग आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकने के लिए
- बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना
- बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना
- वन-स्टॉप सेंटर योजना- वर्ष 2015
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर सहायता और सहायता प्रदान करना।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर/एनसीआर) दर्ज करने में सुविधा/सहायता करना
- महिलाओं/लड़कियों को मनो-सामाजिक सहायता एवं परामर्श प्रदान करना
- महिला हेल्पलाइन योजना- वर्ष 2016
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं को टोल-फ्री 24 घंटे दूरसंचार सेवा प्रदान करना।
- पुलिस/अस्पताल/एम्बुलेंस सेवाओं/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)/संरक्षण अधिकारी (पीओ)/ओएससी जैसी उपयुक्त एजेंसियों को रेफरल के माध्यम से संकट और गैर-संकट हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करना।

- हिंसा से प्रभावित महिला को उस स्थानीय क्षेत्र की विशेष स्थिति में, जहां वह रहती है या कार्यरत है, उपलब्ध उचित सहायता सेवाओं, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- उज्जवला - वर्ष 2016
- व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना।
- पीड़ितों को उनके शोषण के स्थान से बचाने और उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखने की सुविधा प्रदान करना।
- पीड़ितों को आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श सहित चिकित्सा उपचार, कानूनी सहायता और मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी बुनियादी सुविधाएं/आवश्यकताएं प्रदान करके तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह से पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।
- स्वाधार गृह – वर्ष 2018
- संकटग्रस्त महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा उपचार और देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना।
- महिलाओं को कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) 2017
- महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना जहां उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता, शिक्षा, मार्गदर्शन, रोजगार आदि तक पहुंच हो।

देश में ब्लॉक और जिला स्तर पर इन अवसरों को सुविधाजनक बनाना

महिला सशक्तिकरण के आयाम :

महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए इसके विभिन्न आयामों को समझने की आवश्यकता है। इस धारणा के मूल में स्त्री पुरुष को एक दूसरे का पूरक समझते हुए समतामूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना निहित है। इस प्रक्रिया के अनेक आयाम है जैसे:-

1. **शैक्षिक सशक्तिकरण:** शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। परिवार में संतान की प्रथम गुरू अर्थात् उसकी माता यदि सुशिक्षित हो तो भावी पीढ़ी के शिक्षित होने की संभावना कई गुणा बढ़ जाती है। एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ-साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विसंगतियों से लड़ने का एक मात्र हथियार भी शिक्षा ही है, इसके इस्तेमाल से स्त्रियां परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकती हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि शिक्षित स्त्री परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी राय देने के साथ-साथ निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी कर सकती है। आज यह सकारात्मक परिवर्तन प्रत्येक समाज में देखा जा रहा है। लोग बच्चियों को पढ़ाने में रूचि लेने लगे है। आवश्यकता यह है कि उनके युवा होने पर भी यह रूचि बनी रहे तथा पढ़ाई समाप्त होने पर ही उनके विवाह की चर्चा हो।

2. **शारीरिक/स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण** : यह सर्वविदित है कि स्वास्थ्य से बढ़ा कोई धन नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहता है तो उसके कार्य और निर्णय अधिक व्यावहारिक और तार्किक होते हैं और इसलिए वह जीवन में अधिक सफल होता है। इसके अलावा, अच्छे स्वास्थ्य का हमारे व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्त्री कभी सबको खिलाकर सबसे पीछे खाने की परम्परा का निर्वहन करती है तो कई बार जीरे फिगर की चाहत के कारण वह उपयुक्त आहार नहीं ले पाती है। परिणामस्वरूप स्त्री का शरीर कमजोर तथा रोगी हो जाता है। शरीर से कमजोर महिलाएं प्राय: गर्भवती होने पर अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं। कमजोर माँ की संतान भी कमजोर होती है और उसका जीवन रोगों से संघर्ष करने में बीतता है, उसका स्वस्थ विकास नहीं हो पाता ।

3. **आर्थिक सशक्तिकरण :** वर्तमान युग स्वावलंबी होने पर अत्यधिक बल देता है। महिलाओं को भी अपनी योग्यता के अनुसार अर्थोपार्जन करने की ओर उन्मुख होना चाहिए। महिलाओं के आर्थिक रूप से सबल होने से परिवार में समृद्धि आती है, साथ ही वह अपनी कई इच्छाओं (पहने-ओढ़ने, खाने-पीने, घूमने-फिरने) को अपनी मर्जी से पूरा कर पाती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला बुरे वक्त में किसी की मोहताज नहीं होती, उसे किसी के सामने अपने तथा बच्चों के पालन-पोषण के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता।

इसी प्रकार सामाजिक विकास, राजनैतिक भागीदारी, विधिक, एवं भावनात्मक स्वालंबन जैसे बहुआयामी दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण वर्तमान युग की आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्यता है। महिला समाज को सम्मान और प्रतिष्ठा से जीने की आजादी और बराबरी की हकदारी दिए बिना समाज में बड़ा गुणात्मक बदलाव लाना संभव नहीं होगा।

नारी : महत्व और उत्थान

श्री संतोष कुमार ठाकुर
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

नारी भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित सभी रचनाओं में शायद सर्वोत्तम कृति है। एक सुशीला स्त्री सभी गुणों की खान होती है। तभी तो सनातन संस्कृति में आदि काल से ही स्त्री को विशेष स्थान दिया गया है। स्त्री के बिना सृष्टि की पूर्णता व गतिशीलता की परिकल्पना भी असंभव है। स्त्री व पुरुष एक–दूसरे के पूरक हैं। शायद इसी कारण से दोनों नाम साथ–साथ लिए जाते हैं, यथा सीता–राम, राधे–कृष्ण, गौरी–शंकर आदि। किन्तु, स्त्री का स्थान पुरुषों से ऊपर रखा गया है। कहा भी गया है –

न स्त्रीरत्नसमा रत्नम्।

अर्थात् स्त्री–रत्न के समान दूसरा कोई रत्न नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि स्त्री ही संसार का सर्वोत्तम रत्न है। इसीलिए एक अकेली कन्या के पोषण को दस पुत्रों के लालन-पालन से अधिक फलदायी माना गया है –

दशपुत्रसमा कन्या दशपूत्रांप्रवर्धयन ।
यत्फलम् लभते मर्त्यस्तल्लभ्यं कन्ययैकया ।।

परिवार, समाज व राष्ट्र के निर्माण में स्त्री का योगदान : परिवार, समाज, व राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। आदिकाल से ही स्त्रियों ने इस नव-निर्माण तथा इसकी निरंतर प्रगति में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। हम जानते हैं कि स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज का तथा स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का आधार है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मूल रूप से स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ राष्ट्र का आधार है। किन्तु, यहाँ हम भूल जाते हैं कि एक स्वस्थ परिवार के निर्माण में एक स्त्री का क्या योगदान है! परिवार यदि बच्चे की प्रथम पाठशाला है, तो माता प्रथम गुरु है और गुरु का हाथ ही बच्चों के चरित्र निर्माण में उसकी पीठ पर सबसे अधिक प्रेम और वात्सल्य के साथ लगा होता है। इसीलिए कहा गया है-

नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा ।

अर्थात् नारी ही समाज की कुशल वास्तुकारा है। जिस प्रकार एक कुशल वास्तुकार के द्वारा बनाया गया घर सुख, शांति, और समृद्धि का द्योतक होता है, उसी प्रकार एक सुशीला स्त्री द्वारा पोषित परिवार व समाज सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर होता है ।

परिवार, समाज, राष्ट्र और मानव-मात्र के कल्याण में नारी का योगदान सदा से ही अतुलनीय रहा है। नारी को बुद्धि, विवेक, समृद्धि और शक्ति की स्वरूपा माना गया है । जब-जब धरा पर अज्ञान-रूपी अंधकार ने ज्ञान-रूपी उजाले को ओझिल किया है, तब-तब माता सरस्वती उस अंधकार से निकालने हेतु अपने दूत भेजती रही है। उसी प्रकार माता लक्ष्मी हमें समृद्धि प्रदान करती आई है। आदिकाल से ही जब-जब मानव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हुआ है, तब-तब दुर्गा, काली, चंडी जैसी मातृ-शक्ति का आविर्भाव जगत के कल्याण के लिए हुआ है-

अतुलम् तत्र तत्तेज: सर्वदेवशरीरजम्।
एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्त लोकत्रयं त्विषा।।

परवर्ती काल में भी रज़िया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाएँ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लोहा लेने में पीछे नहीं रहीं। स्वतन्त्रता के उपरांत भी इन्दिरा गाँधी, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल जैसी नारियों के राष्ट्र-निर्माण में योगदान को नकारा नहीं जा सकता है।

हाल के वर्षों में पी टी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, कल्पना चावला, सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, पी वी सिंधू, साक्षी मलिक जैसी महिलाएँ करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं ।

आर्थिक प्रगति में भी महिलाओं का योगदान कम नहीं है। भले ही इनके श्रम को पूरी तरह से मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता है किन्तु, सकल घरेलू उत्पाद में इनके योगदान को दरकिनार नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक अपना सारा श्रम परिवार की देखभाल में झोंक देती हैं नारियाँ, किन्तु असंगठित क्षेत्र होने के कारण तथा श्रम का पूर्ण मौद्रीकरण न हो पाने के कारण सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान परिलक्षित नहीं हो पाता है।

कहा जाता है कि देवी–देवताओं से भी कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं। उसी प्रकार नारियों में भी कुछ कमियाँ पायी जाती हैं। आज अक्सर देखा जाता है कि पारिवारिक विघटन में नारियों की अहम भूमिका होती है। इसका सीधा और सरल उदाहरण भाई-भाई के बीच 'हम' की भावना की जगह विवाहोपरांत 'मैं' की भावना का घर कर जाना है। जैसे-जैसे भौतिकवादी सोच का उदय हुआ, निजी स्वार्थ परमार्थ पर हावी होने लगे। स्त्रियाँ भी इससे अछूती नहीं रहीं। पहले जहाँ पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलने में घर की स्त्रियों

को आनंद की अनुभूति होती थी, वहीं अब वह अपने पति और बच्चों तक ही सीमित रहने लगी हैं। यहाँ तक कि सास-श्वसुर भी उनके लिए बोझ बनने लगे हैं। यहीं से परिवार में पहले मतभेद, फिर मनभेद और अंत में जाकर वैर उत्पन्न होता जाता है। यही वैर अंत में पारिवारिक विघटन का मुख्य कारक साबित होता है।

किन्तु, जब हम निर्माण और विघटन में स्त्रियों के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान के सामने विघटन में इनके योगदान तुच्छ प्रतीत होते हैं। अतः इनके योगदान का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। अनगिनत अच्छाइयों का भंडार नारी-शक्ति ही सच में राष्ट्र का कल हैं –

नार्यस्तु राष्ट्रस्य श्वः।

सचमुच, नारी ही राष्ट्र के निर्माण-रूपी इमारत की नींव है। वही हमारी जीवन-दात्री है। तभी तो कहा गया है-

नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः।
नास्ति मातृसमा त्राणम् नास्ति मातृसमा प्रपा।।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारी की स्थिति : नारी सृष्टि का अभिन्न अंग है। कोई भी समाज, राष्ट्र या वैश्विक संगठन हो, सबने नारी के महत्व को माना है। भारत तो सदा से ही इसका अग्रणी रहा है। जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारी की स्थिति की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि हमारी संस्कृति सदा से ही नारी को नारायणी मानती रही है और उन्हें उच्च स्थान पर सुशोभित करती आई है। स्त्रियों का सम्मान हमारे आचरण का मुख्य अंग है। हमें बचपन से ही नारियों के सम्मान की शिक्षा दी जाती है और हमें सिखाया जाता है-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैत्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः ।।

अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ उनका आदर नहीं होता है, वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं।

प्राचीन काल के इतिहास को जब हम खंगालते हैं तो पाते हैं कि कई सभ्यताओं में हमारा समाज मातृसत्तात्मक रहा है। हालाँकि, समय के साथ परिवर्तन होते गए और आज अधिकांश समाज पितृसत्तात्मक हो गया है। किन्तु, एक सभ्य समाज में आज भी स्त्री का सम्मान उतना ही है जितना कि एक सभ्य समाज में होना चाहिए। भारतीय समाज, यदि कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाय, सदा ही महिलाओं के सम्मान के लिए जान की बाजी लगाने तक को तैयार रहता है। इतिहास गवाह है कि जहाँ माता सीता के सम्मान की रक्षा के लिए लंका पर चढ़ाई हुई, वहीं दूसरी ओर द्रौपदी के अपमान का बदला महाभारत युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था।

हमने सदा ही नारियों को फलने-फूलने के अवसर दिये हैं, अन्यथा गार्गी, मैत्रेयी, भारती जैसी विदूषियों के उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलते।

किन्तु, जैसे-जैसे हम पर भौतिकता का नशा सवार होता गया हम अपने नैतिक मूल्यों को भूलते चले गए। सम्मान देने या इसकी रक्षा की बजाय आज स्त्रियों को उपभोग की वस्तु समझा जाने लगा। उनके खिलाफ यौन अपराध बढ़ने लगे। आज उनका अकेले सड़क पर निकलना उनकी सुरक्षा के लिए खतरा माना जाने लगा है।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आज भी उन्हें आर्थिक रूप से अपने पिता, भाई, पति, पुत्र आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। हालाँकि आज सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है और महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की राह में अग्रसर हैं। तथापि, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं की संख्या उँगलियों पर गिनने लायक हैं। इसके पीछे मूल रूप से महिलाओं में आज भी शिक्षा का अभाव है। आज भी न्यायपालिका, विधायिका आदि में महिलाओं कि भागीदारी संतोषजनक नहीं है।

सुधार के उपाय : किसी भी समाज के पिछड़ेपन का मूल कारण उसकी अशिक्षा है। अतः शिक्षा के स्तर में सुधार नारी सशक्तीकरण का प्रमुख उपाय हो सकता है। आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु शैक्षणिक व तकनीकी प्रशिक्षण व प्रोत्साहन प्रदान कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। रोजगार के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराकर तथा आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें लघु व कुटीर उद्योग के माध्यम से उनका आर्थिक सशक्तीकरण किया जा सकता है। बेटे-बेटियों के बीच का विभेद खत्म करने हेतु सामाजिक जागरूकता पैदा होने से भी नारियों को उसका उचित सम्मान मिल सकता है। परिवार में बचपन से ही बच्चों में नैतिकता का मूल्य भर देने से महिलाओं के प्रति सम्मान में वृद्धि होगी, जो महिलाओं को भविष्य में विशेष सुरक्षा प्रदान करेगा और वे अधिक सशक्त हो सकती हैं। नारियों की बौद्धिक क्षमता के बारे में कभी भी कोई शक नहीं रहा है। किन्तु, उचित अवसर के अभाव में यह कुंठित हो जाती है। जिस तरह जल को पात्र से बाहर निकाल देने पर वह अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है, उसी प्रकार स्त्रियों को संकीर्णता और बंधन से मुक्त कर देने पर वह अपनी प्रगति के पथ का निर्माण स्वयं कर सकती हैं। किन्तु, हमें ध्यान यह भी रखना होगा कि पूर्ण स्वतन्त्रता (स्त्री हो या पुरुष) समाज में अराजक स्थिति उत्पन्न करती है। ऐसे में पारिवारिक-सामाजिक बंधन कमजोर हो जाते हैं। अतः माता-पिता का भी कर्तव्य है कि स्वतन्त्रता के साथ ही बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का उचित ज्ञान उपलब्ध कराया जाय, तभी सही अर्थों में नारी, समाज और राष्ट्र सशक्त हो पाएगा।

किए गए प्रयास : भारत सदा से ही नारियों की महत्ता को समझता आया है। यही कारण है कि सरकार ने कानून के माध्यम से व अन्य सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता फैलाकर नारियों के उत्थान के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, परिवार-नियोजन कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना, आशा योजना, लखपति दीदी योजना, कार्यरत महिला छात्रावास योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, स्वाधार गृह, स्टेप (सपोर्ट टु ट्रेनिंग एंड एम्प्लोयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमन), महिला शक्ति केंद्र, उज्ज्वला योजना जैसे कई पहल नारियों के सशक्तीकरण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। महिलाओं के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं। सरकारी संस्थानो में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थानों आदि में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालाँकि इन प्रयासों का प्रत्यक्ष लाभ वर्तमान के बच्चे व युवा पीढ़ी के जीवन में दृष्टिगोचर होगा।

प्रयासों की प्रभावकारिता : सरकार तथा समाज के साझे प्रयास से आज महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आज महिलाएँ गृह कार्य से लेकर युद्ध के मैदानों तक अपना परचम लहरा रही हैं। महिलाओं की साक्षारता दर में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। वे आज समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक को नाप रही हैं। हालाँकि पुरुषवादी सोच आज भी इनके मार्ग में रोड़े अटकाकर प्रगति की गति को धीमा अवश्य कर रही है। फिर भी, आज की नारी सभी बाधाओं को चीरती हुई उद्घोष कर रही हैं-

बालिका अहं बालिका नव-युग जनिता अहं बालिका।
नाहमबला दुर्बला अदिशक्ति अहमम्बिका।।

निष्कर्ष : परिवार, समाज और सरकार के साझा प्रयास से नारियों की स्थिति में सुधार अवश्य हो रहा है, किन्तु प्रयास का लाभ समाज की अंतिम नारी तक पहुँचाने में अभी भी मीलों का सफर तय करना है। आज भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा-व्यवस्था ग्रामीण व तहसील क्षेत्रों में दूभर है। शहरी क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सर्व-सुलभ नहीं है। साथ ही, अधिकांश पुरुषों कि सोच में अभी भी अधिक बदलाव नहीं आया है। अतः आज आवश्यकता है पुरुषवादी सोच को त्यागने की तथा स्त्रियों के पैरों की बेड़ियों को काटकर उसे खुले आसमान में उड़ान भरने की आज़ादी देने की। साथ ही शैक्षणिक स्तर में सुधार की, ताकि शिक्षा का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। शिक्षित समाज स्वतः ही नारी को सशक्त बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करेगा।

माँ

रिजवान अहमद
स. ले. प. अ./तदर्थ

माँ वह शब्द है जिसका रहस्य कोई भी न जान पाया है
माँ के बगैर कोई भी न अपने आप को पहचान पाया है

माँ है तो हम अपने जीवन की कल्पना कर पाये हैं
मरते-मरते भी माँ ने ज़िंदगी जीने को सिखलाया है

नाम लेना भगवान का कभी-कभी हम भूल जाते हैं
पर माँ का नाम लेना कब कौन कहां भूल पाया है

माँ की ममता व महानता का अंदाज़ा कैसे कोई करे
किस दिन माँ ने हम सब को खिलाये बगैर खाया है

हम कितना भी छुपाएं माँ हर दुख को पहचान लेती है
आँखों में लालिमा सोने से आया है या रोने से आया है

माँ का हक़ भी भला हम सब से कब कहां अदा होगा
हमें सूखे पे सुला के कितनी रातें खुद गीले पर गुज़ारा है

बड़े होकर हमें एक दूसरे के सुख दुःख में काम आना है
ये पहला सबक माँ ने हम सबको अपनी गोद में पढ़ाया है

कभी हो सके भगवान ही कहीं नाराज़ हमसे हो जाये
नाराज़ हो माँ हम से ऐसा कभी न कोई समय आया है

हमारी सारी तीखी कड़वी बातें माँ हँस के सुन लेती है
पृथ्वी पर ईश्वर का रोल निभाने का बीड़ा माँ ने उठाया है

सारे घर का ख्याल रखना न जाने कब कहां से सीखा है
इस निःस्वार्थ सेवा सत्कार को माँ ने क्या खूब निभाया है

न जाने कौन सी मिट्टी से बनाई गयीं है हम सब की माँएं
मुस्कुराते हुये अपने हर आंसुओं को हम सब से छुपाया है

नारी: राष्ट्र निर्माता के रूप में

श्री राजा साव
क. अनुवादक

अर्द्ध सत्य तुम, अर्द्ध स्वप्न तुम, अर्द्ध निराशा-आशा
अर्द्ध अजित–जित,
अर्द्ध तृप्ति तुम, अर्द्ध अतृप्ति-पिपाशा
आधी काया आग तुम्हारी, आधी काया पानी
अर्धांगिनी नारी! तुम जीवन की आधी परिभाषा।

कवि गोपालदास 'नीरज' की ये पंक्तियां मानव जीवन में नारी की महत्ता को पूर्णतः परिभाषित करती है।

हमारे यहां शास्त्रों में 'मनु महराज' ने कहा है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता;' अर्थात् जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है और हम मानते है कि देवता कार्यसिद्धि में सहायक होते है, इसलिए कहा जा सकता है कि जिस समाज में नारी विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, वहां प्रगति की संभावनाएँ अत्यधिक बढ़ जाती है। डॉ बी.आर.आम्बेडकर ने कहा भी था-"मैं किसी समुदाय का विकास महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूँ।" निःसंदेह घर-गृहस्थी का निर्माण, नारी के योगदान के बिना कोई भी निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता है। वह माता, बहन, बेटी, पत्नी एवं मित्र रूपी विविध स्वरूपों में पुरुषों के जीवन के साथ अत्यंत आत्मिक रूप से संबंधित है।

नारी ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, आदि शक्ति है, सद्गुणों की खान है और वह सब कुछ है जो इस प्रकट विश्व में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नारी वह सनातन शक्ति है, जो अनादि काल से उन सामाजिक दायित्वों का वहन करती आ रही है, जिन्हें पुरुषों का कन्धा संभाल नही पाता। माता के रूप में नारी ममता, करुना, वात्सल्य जैसे सद्गुणों से युक्त है। महादेवी वर्मा की शब्दों में- "स्त्री में माँ का रूप ही सत्य, वात्सल्य ही शिव और ममता ही सुन्दर है।"

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आधी आबादी अर्थात स्त्री की भूमिका को अनदेखा नही किया जा सकता है। यदि किसी कारण से आधी आबादी निष्क्रिय रहती है, तो उस राष्ट्र के समुचित विकास की कल्पना नही की जा सकती, लेकिन भारतीय समाज में उत्तर वैदिककाल से ही महिलाओं की स्तिथि निम्न होती गई और मध्यकाल तक आते-आते समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों ने स्त्रियों की स्तिथि को बद से बदत्तर बना दी।

आधुनिकता के आगमन एवं शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्तिथि में सुधार लाना प्रारम्भ किया, जिसका परिणाम राष्ट्र की समुचित प्रगति के पथ पर उनका अग्रसर होने के रूप में सामने है। आधुनिक युग में स्वाधीनता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई, विजयालक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरु, सुचेता कृपलानी, मणिबेन पटेल, अमृता कौर जैसी स्त्रियों ने आगे बढ़कर पूरी क्षमता एवं उत्साह के साथ देश सेवा के कार्यों में भाग लिया।

वर्तमान समय में देश में नारियों का एक ऐसा भी वर्ग है, जो शिक्षित, सज्जग और जागरूक है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पुरुष रूपी बैशाखी की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने अधिकार और सामर्थ्य का पूर्ण ज्ञान है। समाज में महिलाओं की प्रस्तिथि एवं उनके अधिकारों में वृद्धि महिला सशक्तिकरण है। महिला, जिसे कभी मात्र भोग एवं संतान उत्पति का जरिया समझा जाता था, आज पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कन्धा मिलाकर खड़ी है। जमीन से आसमान तक कोई क्षेत्र अछूता नही है, जहां महिलाओं ने अपना जीत का परचम न लहराया हो।

नारी संबंधी व्याख्या में आज तीन अवधारणाओं को प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम- 'नारीत्व' अर्थात 'जननिक' (Genetic) आधारित पुरुष एवं नारी के बीच शारीरिक एवं जैविक अंतर का स्पष्टीकरण। जिसे स्त्री ने स्वीकार करके अपनी जीवन-शैली को उसी के अनुरूप ढाला। इस तरह नारी के चाल-चलन, आदत, तौर-तरीके, आचार-व्यवहार, पहनावा के मापदंड बनते चले गए। द्वितीय- 'नारीयता'- जो समाज एवं संस्कृति के द्वारा नारी का विशिष्ट निर्माण है, जिसके माध्यम से उसकी प्रस्थिति, भूमिका, पहचान, सोच एवं मूल्यों को गढ़ा जाता है। जन्म से ही बालिका को क्षमा, भय, लज्जा, सहनशीलता, सहिष्णुता, नमनीयता आदि गुणों को आत्मसात करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस तरह के समाजीकरण का निर्धारण पुरुष प्रधान मानसिकता वाले समाज द्वारा किया जाता है। तृतीय- 'नारीवादी'- यह विचारधारा पुरुष एवं स्त्री के बीच की असमानता को अस्वीकार करके नारी के 'सशक्तिकरण' की प्रक्रिया को बौद्धिक एवं क्रियात्मक रूप प्रदान करती है। आज के वैश्वीकरण के दौर में नारीवादी परिप्रेक्ष्य बहुआयामी स्वरुप धारण कर चूका है। एक ओर जहां अप्रसांगिक विचारधारा को चुनौतियां मिल रही है, वहीं दूसरी ओर पुरुष मानसिकता द्वारा प्रदत्त सामाजिक- सांस्कृतिक परिस्तिथियों को नाकारा जा रहा है।

आज की स्त्री में छटपटाहट है आगे बढ़ने की, जीवन एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की, अपने अविराम अथक परिश्रम से पूरी दुनिया में सवेरा लाने की और एक ऐसी सशक्त लेख लिखने की, जिसमें महिला को अबला के रूप में न देखा जाए। वास्तव में भारत ही नहीं पुरे विश्व में मुख्यतः व्याप्त पुरुष प्रधान समाज ने एक ऐसी सामाजिक संरचना निर्मित की, जिसमें प्रत्येक निर्णय लेने संबंधी अधिकार पुरुषों के पास ही सीमित रहे। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक 'आधी दुनिया' के प्रति ऐसा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण रखा गया, जिसमे कभी भी स्त्रियों को एक 'व्यक्ति' के रूप में स्वीकार ही नहीं किया।

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।"

मैथिलीशरण गुप्त जी की ये पंक्तियां स्त्री के जीवन का सजीव चित्रण है। जहां समाज की आधी आबादी को 'व्यक्ति' का दर्जा ही प्राप्त नहीं हो, वहां उसके साथ 'व्यक्ति' जैसे व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। फलस्वरूप स्त्रियों को केवल एक 'अवैतनिक श्रमिक' एवं 'उपभोग की वस्तु' के रूप में देखा गया। 'मनुष्यता' की अपेक्षा एक मनुष्य के प्रति हो सकती है, एक वस्तु के प्रति नही। इसलिए कभी समाज ने उसे 'नगरवधु' बनाया, तो कभी 'देवदासी' कभी चाहरदीवारी में कैद रहने वाली कुलीन मर्यादापूर्ण 'घर की बहु' बनाया, तो कभी बाजार में बिकने वाली 'वैश्या'। पुरुष मानसिकता ने कभी भी उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखा। किन्तु आज के इस दौर में स्त्रियां इस परंपरावादी विचारधारा को छोड़ आगे निकल आई है। आज स्त्रियां पुरुषों की सहचर बन चुकी है, अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों के साथ खुलकर गरिमापूर्ण जीवन जीना पसंद करती है। घर से बाहर निकलने एवं कामकाज करने वाली स्त्री घरेलू स्त्रियों से अलग अपनी एक भाषा चाहती है, इसलिए पुरुषों की दुनिया में खलबली मच गई है।

महिलाओं को दोयम दर्जे का प्राणी न केवल भारतीय समाज में, बल्कि पुरे विश्व के पुरुष प्रधान समाजों में माना जाता रहा है। यही कारण है कि आज भी विश्व की समूची संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी 25% से भी कम है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी, 2023 तक 11.3% देशों में महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं। 151 देशों में से 17 में, राजशाही आधारित प्रणालियों को छोड़कर) और 9.8% देशों (193 में से 19 देशों में) में महिला शासनाध्यक्ष हैं। यह एक दशक पहले की तुलना में वृद्धि है जो क्रमशः 5.3% और 7.3% थे। नए आंकड़ो से यह भी पता चलता कि संसद के महिला अध्यक्षों की संख्या 2021 में 20.9% की तुलना में बढ़कर 22.7% हो गई।

उत्तर वैदिककाल से ही महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रस्तिथि निरंतर निम्न होती गई। 'मनु' जैसे नीति निर्धारक ने तो स्त्रियों के बारे में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि-

पिता रक्षति कौमार्य, भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षति स्थविरे पुत्राः, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति।।

अर्थात "बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, जवानी में पति तथा बुढ़ापे में पुत्र, इसलिए स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं है।" धीरे- धीरे मध्यकाल तक आते-आते उनके सभी अधिकार छीन लिए गए। उन्हें पुरुषों के उपयोग की वस्तुमात्र बना दिया गया। पर्दा प्रथा के आगमन के साथ-साथ उनकी स्तिथि और दयनीय होती गई, लेकिन समय के साथ आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा के विकास एवं प्रसार के बाद महिलाओं के लिए एक बार फिर विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय स्त्रियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को निरंतर सुदृढ़ किया। 'श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित' विश्व की पहली महिला थीं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनीं। सरोजिनी नायडू स्वतन्त्र भारत में पहली महिला राज्यपाल थीं, जबकि सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री। श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा राष्ट्र को दिए जाने वाले योगदान को भला कौन भूल सकता है, जो लम्बे समय तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं।

चिकित्सा का क्षेत्र रहा हो या इंजीनियरिंग का, सिविल सेवा का क्षेत्र रहा हो या बैंक का, पुलिस हो या फौज, वैज्ञानिक हो या व्यवसायी प्रत्येक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर स्त्रियां आज सम्मान के साथ आसीन हैं। किरण बेदी, कल्पना चावला, मीरा नायर, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, बच्छेन्द्री पाल, संतोष यादव, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, पीवी सिन्धु, पीटी ऊषा, कर्णम मल्लेश्वरी, लता मंगेश्कर आदि की क्षमता एवं प्रदर्शन को भुलाया नहीं जा सकता। आज नारियां पुरुषों के कंधे-से-कन्धा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और देश को आगे बढ़ा रही है।

राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों का सबसे बड़ा योगदान घर एवं परिवार को सँभालने के रूप में हमेशा रहा है। किसी भी समाज में श्रम विभाजन के अंतर्गत कुछ सदस्यों का घर एवं बच्चों को संभालना अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। अधिकांश स्त्रियां इस दायित्व का निर्वाह बखूबी करती रही हैं। घर को सँभालने के लिए जिस कुशलता एवं क्षमता कि आवश्यकता होती है, उसका पुरुषों के पास सामान्यतया आभाव होता है, इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि स्त्री शिक्षित नहीं होगी, तो आने वाली पीढियां अपना लक्ष्य प्राप्त नही कर सकती। एक शिक्षित स्त्री पुरे परिवार को शिक्षित बना देती है।

निश्चित रूप से नारियों ने अनेक बाधाओं के बावजूद नई बुलंदियों को छुआ है और घर के अतिरिक्त भी स्वयं को स्थापित किया है। उन्होंने अपनी सफलताओं के ऐसे झण्डे गाड़े है कि पुरानी रूढ़ियाँ हिल गई हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है, जो महिलाओं की भागीदारी से अछुता हो। उसकी स्तिथि में आया अभूतपूर्व सुधार उसे हाशिए पर रखना असंभव बना रहा है। नारी के जुझारूपन का लोहा सबको मानना पड़ रहा है।

यद्यपि महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है, परन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। सभी आयु-समूहों में महिलाओं की जीवन-शैली में सुधार किया जाना अति आवश्यक है। आज भी अधिकांश नारियां आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित बनी हुई है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक दृष्टि से भी उनकी प्रस्तिथि पुरुषों के सामान नहीं है।

वास्तव में, शक्ति और अधिकार तब तक उनकी सहायता नही कर सकते, जब तक महिलाएं स्वयं अपनी मानसिकता को ऊपर उठाकर दृढ़ प्रयास नही करेंगी। 'महात्मा गांधी' की ये पंक्तियाँ उनके लिए हमेशा प्रेरणा स्त्रोत रहेंगी- "स्त्री तो एक मूर्तिमान बलिदान है। वह जब सच्ची भावना से किसी काम का बीड़ा उठाती है, तो पहाड़ो को भी हिला देती है।"

एक पुरुष को शिक्षित करो, सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है। एक नारी को शिक्षित करो, एक पीढ़ी शिक्षित होती है।

– ब्रिगम यंग

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू — भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली प्रथम आदिवासी महिला

सुमन दत्त
लिपिक/टंकक

हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को भारत केओड़िशाराज्यके मयूरभंज जिले के बैदापोसी गाँव में एक संथालपरिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंचि नारायण टूडू है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के गठन के बाद 2015 से2021 तक राज्यपाल का कार्यभार संभाला।

उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ थाऔर उनके कुल 3 बच्चे थे, दो बेटाऔर एक बेटी। हालांकि उनकी निजी जिंदगीज्यादा खुशहाल नहीं रही,क्योंकि उनके पति और उनके दोनों बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटी का नाम ईतिश्री मुर्मूहै, जिनका विवाह गणेश हेम्ब्रम से हुई हैं।

व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन

- जब उन्होंने कुछ समझना सीखा, तो उनके माता-पिता ने उन्हें एक स्थानीय स्कूल में दाखिला करवा दिया, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से पूरी की।

- स्नातक की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने ओडिशा सरकार के बिजली विभाग में एक जूनियर सहायक के रूप में नौकरी की। जहां उन्होंने 1979 से 1983 तक अपनी सेवा प्रदान की। इसके बाद उन्होंने 1994 से 1997 तक राइरान्गपुर के अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में बतौर एक शिक्षिका के रूप में अपना योगदान दिया।

- 1997 में स्थानीय पार्षद का चुनाव जीत कर उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया। उसी वर्ष वह भाजपा के एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष बनी।

- उन्होंने 6 मार्च 2000 से6 अगस्त 2002 तक ओड़िशा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में परिवहन और वाणिज्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभाला।

- उन्होंने 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक ओड़िशा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग संभाला।

- 2002 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चाकिराष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहीं।

नारी सशक्तिकरण — वैदिक काल और मनुस्मृति

ब्रज भूषण मिश्रा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

नर और नारी एक ही सिक्के के दो पहलू या कह लीजिए एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं। एक पहिये का थोड़ा भी ठीक नहीं होना पूरी गाड़ी की स्थिति पर असर डालता है तथा तदनुरूप समाज भी अपने को अलग तथा स्वस्थ नहीं रख सकता है। दोनों पहियों के स्वास्थ्य के लिए नर और नारी दोनों जवाबदेह हैं। एक के बीमार होने से दोनों पर ही असर होता है। भारतीय समाज मे नारी की तत्कालीन स्थिति पर प्राचीन ग्रंथ प्रकाश डालते हैं जिसे पढ़कर आज का समाज आत्म निरीक्षण कर सकता है। अति प्राचीन भारतीय ग्रंथों के समकालीन वैश्विक ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं हैं या सामाजिक विकास की पीढ़ी में बाकी विश्व काफी पीछे था ठीक से कहा नहीं जा सकता। परंतु संकेत यही मिलते हैं कि बाकी विश्व काफी पीछे था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना 700 वर्ष ईसापूर्व में की गई थी। 500 ईसापूर्व तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केन्द्र था तब विश्व इतिहास मे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। सुप्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा तक्षशिला से की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450ई में हुई थी। सातवीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरण इसके बारे मे बताते हैं। ऐसी विशद जानकारी विश्व में अन्यत्र नहीं प्राप्त होती है। इसी दौरान भारतीय धर्म ग्रंथों का अन्य भाषाओं मे अनुवाद विदेशियों द्वारा किया गया। अनेक धर्म ग्रंथों को नष्ट भी कर दिया गया ।

प्राचीन भारतीय समाज में नारी का स्तर काफी ऊंचा था और वे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकती थी। धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की बात अलग, उन्हें क्रियाएं संपन्न कराने वाले मुनियों और पुरोहितों का दर्जा प्राप्त था।' उस समय की नारी अनेक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थी। ऋग वैदिक काल मे महिलाओं को उस काल के उच्च ज्ञान को ग्रहण करने की भी अनुमति थी। उस समय उच्च ज्ञान को ब्रह्मज्ञान कहा जाता था।

नारी के स्तर का इससे भी अंदाज लगा सकते है कि संतानें अपनी मां के नाम से जानी जाती थीं-जैसे कौशल्यानंदन, सुमित्रानंदन, देवकीनंदन, गांधारीनंदन, कौन्तेय व गंगापुत्र आदि। अन्य कार्यों में भी पत्नी का नाम पति से पहले होता था - लक्ष्मीनारायण, गौरीशंकर, सीताराम व राधाकृष्ण इत्यादि। किसी अन्य धर्म-संस्कृति ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे।

वेदों के मुख्य विषय है - कर्म उपासना और ज्ञान । वेदों में नारी की शिक्षा शील गुण कर्तव्य और अधिकारों का विशद् वर्णन है। इस प्रकार का वर्णन संभवतः संसार के किसी भी धर्मग्रंथ में नहीं है। चारों वेदों में सैकड़ों नारी विषयक मंत्र दिए गए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में नारी का समाज में विशेष स्थान था। पुरुषों की भांति उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में बराबर का स्थान प्राप्त था। स्त्रियाँ राजनीतिक सामाजिक तथा प्रशासनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 वैदिक विदुषियों का उल्लेख है। वेदों में नारी के गौरव का अनेक प्रकार से वर्णन है। नारी को ज्ञान-विज्ञान में निपुण होने के कारण ब्रह्मा बताया गया है।

मनुस्मृति को एक विवादास्पद ग्रंथ माना जाता है जिस पर हिंदू समाज के नियम-कानून कुछ हद तक आधारित हैं परंतु उसमे नारी विषयक श्लोक विस्मयकारी हैं और जो अभी भी प्रासंगिक हैं। कुछ श्लोकों का संकलन नीचे उद्धरित है।

1. समाज में नारी को देवी सम पूज्य होने का सम्मान

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तजाफलाः क्रियाः।

जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। जहाँ उनका आदर नहीं होता या इनका अपमान होता है, वहाँ सारे धर्म-कर्म निष्फल हो जाते हैं। - मनुस्मृति (3.56)

2. माता का स्थान सर्वोपरि

उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता।
सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते।।

अर्थात: दस उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य होता है, सौ आचार्यों से बढ़कर पिता होता है और पिता से हजार गुणा बढ़कर माता गौरवमयी होती है। -मनुस्मृति(2.145)

3 . परिवार में स्त्रियों की महत्ता

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः

पिता, भाई, पति या देवर को अपनी कन्या, बहन, स्त्री या भाभी को हमेशा यथायोग्य मधुर-भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचने देना चाहिए।
-मनुस्मृति (3.55)

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च
यस्मिन्नेव नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥

जिस परिवार में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से सुखी होती है,वहां कल्याण निश्चित रूप से स्थायी होता है।

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ।।

जिस कुल में स्त्रियां अपने पति व परिजनों के अत्याचार से पीड़ित रहती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है इसके विपरीत जहां ऐसा नहीं होता है और स्त्रियां प्रसन्नचित्त रहती हैं, वह कुल प्रगति करता है। (परिवार की पुत्रियों, बधुओं, नवविवाहिताओं आदि जैसे निकट संबंधिनियों को 'जामि' कहा गया है) -मनुस्मृति (3.57)

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ।।

जिन घरों में पारिवारिक स्त्रियां निरादर-तिरस्कार के कारण असंतुष्ट रहते हुए शाप देती हैं, यानी परिवार की अवनति के भाव उनके मन में उपजते हैं, वे घर कृत्याओं के द्वारा सभी प्रकार से बरबाद किये गये-से हो जाते हैं। -मनुस्मृति(3.58)

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।
भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ।।

जो अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, वे स्त्रियों का सदा सम्मान करें। - मनुस्मृति (3.59)

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ।।

जिस कुल में पत्नी पति से और पति भी पत्नी से संतुष्ट हो उस कुल का भला सुनिश्चित है। ऐसे परिवार की प्रगति अवश्यंभावी है। - मनुस्मृति (3.60)

प्रजनार्थं महाभागा पूजार्हा गृहदीप्तय।
स्त्रिय श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन॥

स्त्रियाँ पूजा के योग्य हैं, महाभाग हैं, घर की दीप्ति हैं; कल्याणकारिणी हैं। धर्म कार्यों की सहायिका हैं।- मनुस्मृति (9.26)

4 . सुविवाह का अधिकार

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्तुमत्यपि।
न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्।।

चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमार रहें परन्तु असदृश अर्थात् परस्पर विरुद्ध गुण, कर्म, स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिये। - मनुस्मृति (9.89)

5 . स्वायतत्ता का अधिकार

अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैवं नियोजयेत्।
शौचे धर्मऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥

धन के संग्रह, व्यय, वस्तु तथा पदार्थो की शुद्धि आदि की जिम्मेवारी एवं धर्म के अनुष्ठान्न आदि मे स्त्री को पूर्णस्वायत्तता मिलनी चाहिए। - मनुस्मृति (9.11)

6. संपत्ति में अधिकार

मातुस्तु यौतकं यत् स्यात् कुमारीभाग एव सः ।
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम् ॥

माता की निजी संपत्ति पर केवल उसकी कन्या का अधिकार है। - मनुस्मृति (9.131)

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ।
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ १३० ॥

पुत्र-पुत्री एक समान-लोग समझते हैं कि यह आज का नारा है परन्तु वैदिक काल में ही पुत्रेण दुहिता समा कहकर पुत्र-पुत्री की समानता घोषित कर दी थी।पैतृक सम्पत्ति में पुत्र-पुत्री के समान अधिकार माने गए हैं। - मनुस्मृति (9.130)

न भोगं कल्पयेत्स्त्रीषु देवराजधनेषु च ।। ३३०

महिलाओं, राज्य और मंदिर से संबंधित संपत्ति के संबंध में प्रतिकूल कब्जे की कोई दलील मान्य नहीं है। - मनुस्मृति (330)

7 . स्त्रियों को प्राथमिकता

चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः ।
स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥

स्त्री , रोगी, भारवाहक, अधिक आयुवाले, विद्यार्थी, वर और राजा को पहले रास्ता देना चाहिए। - मनुस्मृति (9.138)

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः ।
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान् भोजयेदविचारयन् । ।

नवविवाहिताओं , अल्पवयीन कन्याओ, रोगी और गर्भिणी स्त्रियों को, आए हुए अतिथियों से भी पहले भोजन कराएं।
-मनुस्मृति (9.138)|

8 .दहेज का विरोध

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः ।
नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥

जो पति, पिता आदि सम्बन्धी-वर्ग मोह-वश स्त्री-धन से (बेटी अथवा स्त्री आदि के) भूषण, वस्त्र और सवारी इत्यादि बेचकर गुजर करते हैं, वे पातकी नरक गामी होते है। इस तरह विवाह में मनुस्मृति किसी प्रकार के लेन देन को मना करती है ताकि स्त्री धन लेने की कोई हिम्मत न करे और लालच की भावना न जागे।
- मनुस्मृति (3.52)

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः।
अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम्॥

दहेज सहित विवाह को आसुरी या दानवी विवाह की संज्ञा दी गई है और मनुस्मृति इसका निषेध करती है। - मनुस्मृति (3.54)

9. स्त्रियों को पीड़ित करने पर कठोर दंड

कूटशासनकर्तृंश्च प्रकृतीनां च दूषकान्।
स्त्रीबालब्राह्मणघ्नांश्च हन्याद् विट्सेविनस्तथा॥

स्त्री, बालक और ब्राह्मणों को मारने वालों और शत्रु की सेवा करने वालों को राजा मार डाले। - मनुस्मृति (9.232)

पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः ।
मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति ॥

विशेषतः नारियों का अपहरण करने पर प्राणदंड मिलना चाहिए। — मनुस्मृति (8.323)

वशाऽपुत्रासु चैवं स्याद् रक्षणं निष्कुलासु च ।
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥

स्त्रियों की संपत्ति अपने कब्जे में लेनेवाले, चाहें उसके अपने ही क्यों न हों, उनके लिए भी कठोर दण्ड का प्रावधान है।
-मनुस्मृति (8.28)

जीवन्तीनां तु तासां ये तद् हरेयुः स्वबान्धवाः ।
तांशिष्यात्चौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥

अकेली स्त्री जिसकी संतान न हो या उसके परिवार में कोई पुरुष न बचा हो या बीमार हो तो ऐसी स्त्री की सुरक्षा का दायित्व शासन का है। -मनुस्मृति (8.29)

स्त्री के जीवन में आनेवाली हर छोटी-बड़ी कठिनाई का ध्यान रखते हुए उनके निराकरण के स्पष्ट निर्देश दिये हैं। नारियों के प्रति किए जाने वाले हत्या, अपहरण, दुराचार आदि अपराधों के लिए मृत्युदंड एवं देश निकाला जैसी कठोर सजाओं का प्रावधान मिलता है।

इस प्रकार मनुस्मृति में नारी जाति के प्रति आदर और श्रद्धा उच्च कोटि की है। मनु जैसे महापुरुष ऐसी परस्पर विरोधी बात नहीं लिख सकते। अवश्य इन ग्रंथों में बाद में मिलावट की गई है जो परस्पर विरोधी होने के कारण प्रमाणित होती है। बहुत सारे मनिषियों ने इसकी प्रशंसा की है। बहुत सारे देश अभी भी मनु को उनका यथोचित सम्मान देते हैं। यहाँ तक की एंटी क्राइस्ट में नीत्शे ने मनुस्मृति की भूरी-भूरी प्रशंसा की है और यह भी कहा है कि वह तो महज मनु के रास्ते पर चल रहे हैं, “जब मैं मनु की कानून की किताब पढ़ता हूं, जो अतुलनीय बौद्धिक और बेहतर रचना है, यह आत्मा के खिलाफ पाप होगा अगर उसका उल्लेख बाइबिल के साथ किया जाए।”

हमारे देश में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नही रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। परंतु भारत का प्राचीन काल स्त्रियों की स्थिति का स्वर्णिम काल था।

जिय बिनु देह नदी बिनु वारि. तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ।

– गोस्वामी तुलसीदास

महिला सशक्तिकरण की एक अलग परिभाषा

करुणाकर साहू
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

महिला सशक्तिकरण का अर्थ यही है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शक्तिक्शाली बनाना है और ज्यादा क्षमता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य यही है की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में आगे ले जाना है। महिला सशक्तिकरण करने का कारण क्या है? महिलाएं जन्म से मृत्यु पर्यंत विभिन्न प्रकार की समस्याओं तथा असुविधाओं से पीड़ित होती हैं। उनको समाज में दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा प्रताड़ित तथा पीड़ित होना पड़ता है। वे भ्रूण हत्या, असमानता, यौन हिंसा, अशिक्षा, दहेज़ प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, मानव तस्करी इत्यादि अनेक असामाजिक कर्मों का शिकार होती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाती थीं। उनको पढ़ाई करने के लिए निरुत्साहित किया जाता था। उनके बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाए जाते थे। उन्हें नौकरी तथा अन्य कार्य करने के लिए हतोत्साहित किया जाता था जिसके कारण समाज में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा हमेशा पीछे रह जाती थीं। लेकिन अब उनकी उन्नति के लिए सरकार ने केंद्र और राज्य में अनेक प्रयास किये हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में उनको आरक्षण प्रदान किये जाने के साथ-साथ नौकरी करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था मौजूद है।

पहले महिलाएं घर में घूँघट देकर रहती थीं। बच्चा पैदा करना, उसका पालन पोषण करना और घरेलू काम करना, इसी में उनका जीवन कट जाता था। उन्हें पढ़ाई में इतनी सुविधा नहीं मिलती थी। बेटी के जन्म होने के कारण घर में अशांति भी होती थी। किसी-किसी जगह में देखा जाता था कि बेटी जन्म होने के कारण पुरुष दूसरी शादी करना चाहता था ताकि घर में बेटा का जन्म हो। महिलाओं के प्रति जो संकीर्ण मनोभाव तथा अवहेलना समाज में था, उसको हटाने के लिए सरकारी तथा सामाजिक स्तर पर बहुत प्रयास किया गया है। सबसे पहले पुरुष को शिक्षित करना जरूरी है। भ्रूण हत्या, यौन हिंसा, दहेज़ प्रथा, बलात्कार इत्यादि घटनाएं पुरुषों के कारण घटती हैं। इसके लिए पुरुषों को ज्यादा शिक्षित होना तथा महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना अत्यंत जरूरी है। केवल महिला का सशक्तिकरण कर देने से ये दुष्कर्म बंद नहीं हो सकते हैं।

देश में बड़े-बड़े पदों पर महिलाओं ने खुद को प्रतिष्ठित किया है जिसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सभापति तथा अनेक विशिष्ट एवं सम्माननीय पद शामिल हैं। लेकिन इससे यह कह देना उचित नहीं होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया है। बल्कि अपने घर में मां, बेटी, पत्नी सबको सम्मान देना, समान अधिकार देना एवं मुक्त चिंतन धारा तथा मुक्त परिवेश देना अत्यंत जरूरी है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को ऐसे सम्मान देना चाहिए जैसे उनको यह महसूस हो कि समाज उन्हें अच्छी नज़रों से देखता है। महिलाओं की एक बड़ी समस्या यह भी है कि रात को यातायात करने में वे असुरिक्षत महसूस करती हैं। हम भी अपने बहू बेटियों को रात होने से पहले घर वापस आने के लिए बोलते रहते हैं। भारत में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो निर्भया काण्ड था, उससे सब को सीख लेनी चाहिए। इसके पीछे कारण तो पुरुष ही है और पुरुष ही इसका जिम्मेदार है। अगर पुरुष शिक्षित हो जाएं और महिलाओं से अपने परिवार की भाँति आचरण करने लगे तब पुरुष प्रधान समाज में महिला खुद को कभी असुरक्षित महसूस नहीं करेगी। मेरे विचार से महिला सशक्तिकरण का जो पहला काम है वह है महिलाओं को सुरक्षा देना। इसके लिए पुरुष जाति को शिक्षित करने के साथ-साथ असामाजिक तत्वों को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। जिससे कोई दूसरा ऐसे कार्य करने के बारे में कभी न सोचे। लेकिन आजकल भारत में यह दिखता नहीं है। बलात्कारी को पकड़ने में कई दिन लग जाते हैं। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया में कई महीने व साल लग जाते हैं। अगर दंड मिलता भी है तो कई साल के बाद, जब तक लोग उस घटना को भूल चुके होते हैं। फिर अगर दुष्कर्म करने वाले को सजा नहीं मिली तो दुष्कर्म करने से पहले लोगों में डर नहीं रहेगा। निर्भया काण्ड में आठ साल के बाद दोषियों को सजा हुई। निकट अतीत में अनेक मामले ऐसे हुए हैं जहाँ पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। इससे समाज में क्या संदेश जाता है? महिला सशक्तिकरण का फलाफल फिर क्या हुआ?

मैं इस बात में यकीन नहीं रखता कि केवल महिलाओं को कुछ कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सुविधा देकर हम उन्हें सशक्त बना सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य यह नहीं है कि उनको पुरुषों के साथ समान दर्जा प्रदान किया जाए। अगर महिलाएं यह समझे कि वो पुरुष से किसी प्रकार से कम है या पुरुषों से किसी प्रकार से कम नहीं होनी चाहिए तब उनके मन में पुरुष के साथ प्रतियोगिता करने का मनोभाव जागने लगेगा। जैसे पत्नी पढ़-लिखकर एक बड़ा अधिकारी बनने के बाद अगर पति को

छोटा समझने लगे तो यह धीरे-धीरे कलह में परिवर्तित हो जाएगा। इसके फलस्वरूप एक सुखी परिवार ध्वंसाभिमुखी हो जाएगा। क्या यही सशक्तिकरण है? क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में देखा जाता है कि जहाँ महिलाएं रोजगार करती हैं उसके परिवार में ख़ुशी कम होती है। यद्यपि यह सत्य पूरी तरह से नहीं है। जो परिवार सुखी है वह महिलाओं के द्वारा ही संभव हो पाता है। विशेषकर जहाँ महिलाएं परिवार को अच्छी तरह से संभाल लें, वहां ख़ुशी की लहर हमेशा बरक़रार रहती है। बच्चों का स्वस्थ परिवेश में देखभाल होता है। इससे उनके मन में समाज के प्रति आदर बना रहता है। महिलाओं का सम्मान करना वह परिवार से ही सीखते हैं। अगर हर परिवार इस तरह से सोचने लगे तो सारी दुनिया संस्कारी बन जाएगी। हर स्त्री खुद को जन्म से ही सुरक्षित महसूस करेगी। समाज में पुरुष और महिला के अन्दर विभेद उसके मन में शुरू से नहीं रहेगा । कोई भी व्यक्ति महिला की कोख से जन्म लेता है, फिर कैसे वह दुराचारी बन जाता है यह सोचने की बात है?

जीवन में शांति से रहना सबका उद्देश्य है। समाज में शांति कायम रहे यही सबका लक्ष्य होना चाहिए। पति-पत्नी के बीच विवाद होना कोई नई बात नहीं है। यह विवाद कभी-कभी तलाक तक भी पहुँच जाता है। न्यायालय में बहुत से तलाक से संबंधित केस लंबित पड़े हुए हैं। चाहे तलाक का आवेदन किसी ने भी किया हो, प्रभावित दोनों परिवारों के लोग ही होंगे। आजकल माता-पिता को अच्छी बहुएं मिलना मुश्किल हो जाता है। कहीं-कहीं तो पत्नी ही अपने पति के मृत्यु का कारण बन जाती है। इसका समाधान क्या महिला सशक्तिकरण द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य केवल नारी को सशक्त करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि अपने परिवार व पूरे समाज तथा देश को शक्तिशाली बनाने के साथ-साथ शांति स्थापित करने के उद्देश्य के साथ होना चाहिए। दिनभर परिश्रम करके जब हम घर लौटते हैं और घर जाकर हमें शांति न मिले तो हमने शक्तिशाली बनकर आखिर क्या हासिल कर लिया?

एक रात ऐसी आए

सुजय प्रसाद
लेखापरीक्षक

देकर पता इंतज़ार का
कर गया आबाद
वे जो मिले थे
एक लंबे सफर के बाद
अब याद बहुत आती है तुम्हारी,
बस ऐसा लगता है कहीं से तुम दिख जाओ,
या कहीं से तुम्हारी आवाज़ सुन लूँ
या तुम्हारे संग गुजारे उन चंद लम्हों को,
फिर से महसूस कर लूँ।
बस एक ही ख्वाहिश है अब
एक रात ऐसी आए
जब बरसात का मौसम हो
एक हाथ में चाय
और दूसरे हाथ में तेरा हाथ आए।
लिखे नज़्म है जो मैंने तेरे लिए
तुझे एक-एक करके सुनाऊँ मैं
कितना तड़पा हूँ तेरे लिए
उस तड़पन को आँसुओं से बयां करूँ मैं।
अगर तुम समझ पाते
मेरी चाहत की इन्तहा
तो हम तुमसे नहीं
तुम हमसे मोहब्बत करते
बस एक ही ख्वाहिश है अब
एक रात ऐसी आए।।

महिला विकास एवं विशाखा दिशानिर्देश

संदेश कुमार
स. लेखापरीक्षा अधिकारी

"जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। पक्षी के लिए एक ही पंख से उड़ना संभव नहीं है।" – स्वामी विवेकानंद

भारत के पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आये हैं। महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव की वजह से आधी आबादी को अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। महिलाओं के विरुद्ध किये गए विभिन्न अपराधों को भारतीय दंड संहिता, अपराधिक कानून संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्यापक संशोधन करते हुये अपराधिक कानून संहिता संशोधन अधिनियम 2013 बनाया गया है |

विशाखा दिशानिर्देश:

राजस्थान की यह घटना जिसमें जयपुर के निकट भटेरी गाँव की एक महिला भंवरी देवी ने बाल विवाह विरोधी अभियान में हिस्सेदारी की बहुत बड़ी कीमत चुकायी थी। वर्ष 1992 में उनके साथ बलात्कार किया गया और साथ ही, उन्हें अन्य मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। उनके मामले में कानूनी फैसलों के आने के बाद विशाखा और अन्य महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। इसमें आग्रह किया गया था कि कामकाजी महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संविधान की धारा 14,19 और 21 में कानूनी प्रावधान किये जाएं।

महिला समूह विशाखा और अन्य संगठनों की ओर से इस याचिका को *विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार* (*Vishakha and Others v/s State of Rajasthan*) के मामले के तौर पर जाना जाता है। इस मामले में कामकाजी महिलाओं को यौन अपराध उत्पीड़न और प्रताड़ना से बचाने के लिए कोर्ट द्वारा विशाखा दिशा-निर्देशों को जारी किया गया और अगस्त 1997 में इस फैसले के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को एक बुनियादी परिभाषा प्रदान की गयी।

हाल ही में ऐसे बहुत से मामले सामने आये हैं जिनमें महिलाओं और विशेष कर उच्च शिक्षित युवा महिलाओं ने इस आशय के मुकदमे दर्ज किए हैं कि जिनमें उन्हें यौन प्रताड़ना का शिकार बनाया गया है। कार्यस्थल या अन्य स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न या उनकी प्रताड़ना रोकने के लिए पर्याप्त कानून हैं लेकिन या तो इन कानूनों को लेकर जागरूकता नहीं है या फिर महिलाएं ऐसे मामलों से बचना चाहती हैं। लेकिन तेजपाल मामले और लॉ इंटर्न की शिकायत से जुड़े मामले की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद यह महसूस किया जाने लगा है कि देश में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य, 1997 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किया गया। हालांकि, इस संदर्भ में अभी भी पर्याप्त जागरूकता और कठोरता से क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने की ज़रुरत है।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस दिशानिर्देश का पालन करवाकर किसी भी कार्यस्थल का वातावरण महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक इन नियम कानूनों के पर्याप्त क्रियान्वयन का प्रश्न है, तो अब भी ऐसा नहीं लगता कि कार्यालयों, निकायों, कारखानों तथा अन्य तरह के कार्यस्थलों में इसका क्रियान्वयन पूरी तरह से किया जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा होता तो महिलाओं को कोई शिकायत ही नहीं होती।

किन परिस्थितियों में एक महिला कार्यस्थल पर किन स्थितियों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। यह स्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं:-

यदि किसी महिला पर शारीरिक संपर्क के लिए दबाव डाला जाता है या फिर अन्य तरीकों से उस पर ऐसा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है या बनाया जाता है।

यदि किसी भी सहकर्मी, वरिष्ठ या किसी भी स्तर के कार्मिक द्वारा उससे यौन संबंध बनाने के लिए अनुरोध किया जाता है या फिर उस पर ऐसा करने का दबाव डाला जाता है।

किसी भी महिला की शारीरिक बनावट, उसके वस्त्रों आदि को लेकर भद्दी, अश्लील टिप्पणी की जाती है तो यह भी कामकाजी महिलाओं के अधिकार का हनन है।

यदि किसी भी तरह के मौखिक या अमौखिक तरीके से यौन प्रकृति का अशालीन व्यवहार किया जाता है।

ये संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 की धारा 2 (डी) को भी इसके अंतर्गत रखा है।

विशाखा मामले पर न्याय करते हुए न्यायालय का यह भी मानना है कि वर्तमान सिविल और दण्ड कानूनों को देखते हुए महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर विशिष्ट सुरक्षा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही, ऐसे किसी दूरगामी और प्रभावी कानून को बनाने में समय लग सकता है, इसलिए जरूरी है कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

"नारी माँ है, बहन है और पत्नी है
जो हमारी सुरक्षा हर जगह करती है
जन्म से लेकर मृत्यु तक,
फिर भी वो हमारे बीच असुरक्षित है,
जिसे बदलने की जिम्मेदारी पुरुष और महिला,
दोनों की है।"

स्त्री का शारीरिक सामर्थ्य भले ही कम हो, उसकी वाणी में असीम सामर्थ्य है।

– लक्ष्मीबाई केलकर

महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं

मनीष कुमार शर्मा
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)

प्रस्तावना

आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है, खासतौर से पिछड़े और प्रगतिशील देशों में, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान काफी बाद में हुआ कि महिलाओं की तरक्की और सशक्तिकरण के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं को पाकर ही वे अपने सामजिक स्तर को ऊँचा कर सकती हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं

सामाजिक मापदंड: पुरानी और रुढ़िवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने की आजादी नहीं होती है। ऐसे वातावरण में रहने वाली महिलाएं स्वयं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर एवं असहाय समझने लगती हैं। परिणामस्वरूप, वे अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम साबित होती हैं।

कार्यक्षेत्र में मानसिक एवं शारीरिक शोषण: कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। निजी क्षेत्रों, जैसे कि सेवा उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, शैक्षणिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। समाज में पुरुषों के वर्चस्व के कारण महिलाओं के लिए समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पिछले कुछ समय में कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़नों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। यह देश के लिए एक चिंता का विषय है। इन समस्याओं के कारण कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की समकक्षता में कमी दर्ज की जा सकती है।

लैंगिक भेदभाव: भारत में अभी भी कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक स्तर पर काफी भेदभाव किया जाता है। कई क्षेत्रों में तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होती है। इसके साथ ही उन्हें स्वच्छंद रूप से कार्य करने या परिवार से जुड़े फैसले लेने की भी आजादी नहीं होती है। उन्हें सदैव हर कार्य में पुरुषों की अपेक्षा कम सक्षम ही माना जाता है। इस प्रकार के भेदभावों के कारण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्थिति प्रभावित होती है जिसके परिणामस्वरूप महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया बाधित होती है।

भुगतान में असमानता: भारत में महिला सशक्तिकरण का एक और मुख्य बाधक भुगतान में असमानता है। हमारे देश के कुछ असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है। खासतौर से दिहाड़ी मजदूरी वाले जगहों पर इसकी समस्या सबसे अधिक है। समान कार्य को समान समय पर करने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है। इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य के शक्ति असमानता को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि, सरकारी कार्यालयों में ऐसी समस्याएँ कम हैं, परन्तु गैर सरकारी संस्थाओं/ असंगठित क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं हमेशा दृष्टिगोचर होती हैं।

अशिक्षा: अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएँ भी महिला सशक्तिकरण में काफी बड़ी बाधाएं हैं। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में लड़कियां शिक्षा के मामले में लगभग लड़कों के समान हैं, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में बहुत कम है। इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं ग्रामीण रुढ़िवादी सोच है। हमारे देश में महिला शिक्षा दर करीब 64 प्रतिशत है जबकि पुरुषों की शिक्षा दर करीब 80 प्रतिशत है। भारत में अभी भी ऐसी अनेक ग्रामीण लड़कियां मौजूद हैं जो विद्यालय जाती तो हैं, परन्तु उनकी पढ़ाई कई कारणों से बीच में ही छूट जाती है और वह दसवीं कक्षा भी नहीं पास कर पाती हैं।

बाल विवाह: पिछले कुछ दशकों से सरकार द्वारा लिए गए कुछ प्रभावी फैसलों के कारण हमारे देश में बाल-विवाह जैसी कुरीति में काफी हद तक कमी आयी है लेकिन 2018 में यूनिसेफ (UNICEF) के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है। कम उम्र में शादी हो जाने की वजह से महिलाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध: हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध कई सारे घरेलू हिंसा के साथ दहेज़, ऑनर किलिंग और तस्करी जैसे गंभीर अपराध देखने को मिलते हैं। हालांकि, यह काफी अजीब है कि शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की अपेक्षा अपराधिक हमलों की अधिक शिकार

होती हैं। यहाँ तक कि कामकाजी महिलाएं भी देर रात में अपनी सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं करना चाहती हैं। सही मायनों में महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और पुरुषों की तरह वह भी बिना किसी भय के स्वच्छंद रूप से कहीं भी आ जा सके।

कन्या भ्रूणहत्या: कन्या भ्रूणहत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात, भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कन्या भ्रूणहत्या का अर्थ लिंग के आधार पर होने वाली भ्रूणहत्या से है, जिसके अंतर्गत कन्या भ्रूण का पता चलने पर बिना माँ की सहमति के ही गर्भपात करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण ही भारत के कुछ राज्यों में स्त्री और पुरुष के लिंगानुपात में काफी ज्यादा अंतर आ गया है। हमारे महिला सशक्तिकरण के यह दावे तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हम कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य अपराध को जड़ से मिटा नहीं देते।

हमारे देश में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से कुछ योजनाएं निम्नवत है-

(i) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

(ii) महिला हेल्पलाइन योजना

(iii) उज्ज्वला योजना

(iv) सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन (स्टेप)

(v) महिला शक्ति केंद्र

(vi) सुकन्या समृद्धि योजना

निष्कर्ष

जिस तरह भारत सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाले देशों में काफी अग्रणी है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के इस कार्य को भी समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसके द्वारा ही देश में लैंगिक समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। एक वाक्य में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है :-

पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबंध के बिना खुद का निर्णय लेना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है।

नि:शब्द

सुजय प्रसाद
लेखापरीक्षक

माँ तू क्यों नि:शब्द हो गयी हो
अपनी नि:शब्दता की बाँध तोड़ो ना
पलकों पे आँसू हैं मेरे
माँ तुम उसे हटाओ ना।।

अब नींद नहीं आती आँखों में
तू लोरी मुझको सुनाओ ना।
तू क्यों इतनी दूर चली मुझसे
कि अब याद तेरी रुलाती है
कि अब याद तेरी रुलाती है।

दीवाली पे न दीये जले
फीका लगे अब रंग होली का।
मैं जानता हूँ अब न आओगी तुम
फिर भी दिल की धड़कन तुझे बुलाती है।
हो सके तो तू लौट आ माँ
तेरी याद बहुत आती है
तेरी याद बहुत आती है।

थक हार कर शाम को जब
मैं घर वापस आता हूँ।
पूरे घर में बस एक
तेरी कमी पाता हूँ।
मगर ख्यालों से अब तू
बाहर कहां आती है
हो सके तो लौट आ माँ

तेरी याद बहुत आती है।
तेरी याद बहुत आती है।।

शक्ति का सशक्तिकरण

कृष्ण शंकर
स. लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)

सृष्टिकर्ता ने जब इस धरा का निर्माण किया था तो उन्हें पता था वह प्रत्येक स्थान पर नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्त्री की रचना की और फिर इस सृजन को आगे बढ़ाने का दायित्व उन्हें दे दिया।

शिव भी शक्ति के बिना शव बन जाते हैं, विष्णु लक्ष्मी रहित होकर श्रीहीन हो जाते हैं तथा ब्रह्मा सरस्वती से अलग होकर जड़ हो जाते हैं। मंत्र के आह्वान में सभी देवी-देवताओं का स्मरण कर उन्हें बुलाया जाता है। विसर्जन के समय उन्हें ***स्वस्थानम् गच्छ*** का उच्चारण कर पूर्व स्थान पर जाने की प्रार्थना की जाती है। लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती के लिए यह ***इह रमस्व*** अर्थात यहीं निवास करें की विनती की जाती है।

नदियों के नाम प्रायः स्त्रीवाचक ही हैं। किसी भी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। संभवतः नदियों तथा स्त्रियों दोनों का उद्देश्य सृजन करना है। सती अनुसूया ने अपनी शक्ति के बल पर त्रिदेवों को बालक रूप में बदल दिया था। आठवीं सदी में आदि शंकराचार्य से जब मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे तो उनकी पत्नी उभय भारती ने कहा अभी ये आधे ही हारे हैं। अर्धांगिनी होने के नाते आपको मुझे भी परास्त करना होगा तथा शंकराचार्य जब परास्त होने लगे तब शंकराचार्य ने उनसे समय माँगा। बाद में भारती के हार स्वीकार करने के बाद ही वह सबसे बड़े विद्वान तथा दार्शनिक बने।

विद्योत्तमा के द्वारा घर से निकाले जाने के कारण ही कालिदास परम ज्ञानी पंडित और साहित्य के विद्वान बन पाए। तुलसीदास को भी ज्ञान पत्नी ने ही दिया तथा उसके बाद ही वे सर्वश्रेष्ठ कवि और दार्शनिक बने। माता सीता के सहयोग के कारण ही राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम कहलाए।

सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र, जिसे सवितृ देव (सावित्री) को समर्पित किया गया है और जिससे श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा की जाती है, के बल पर ऋषि विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग की रचना कर दी थी। वेदों में स्त्री यज्ञ समान पूजनीय है। वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली, सुख–समृद्धि लाने वाली, विशेष तेज वाली, देवी, विदुषी, सरस्वती, इन्द्राणी, उषा-जो सबको जगाती है, इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिए गए हैं।

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका।
सुधा त्वं अक्षरे नित्ये तृधा मात्रात्मिका स्थिता ॥॥

वैदिक काल में कई विदुषी हुई हैं जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, आत्रेयी, इत्यादि। वैदिक काल में स्त्रियों की विद्वता का उदाहरण हमें अनेक शास्त्रार्थों में मिलता है। उदाहरणार्थ बृहदारण्यक उपनिषद् में विदेह के राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने अन्य ऋषिगण शास्त्रार्थ में परास्त हो चुके थे, परन्तु गार्गी से उन्हें पराजय ही हाथ लगी। इस प्रकार के विचार-विमर्श में केवल अविवाहित स्त्रियाँ ही नहीं बल्कि विवाहित स्त्रियाँ भी इसमें भाग लेती थीं।

व्याकरण में भी लिंग निर्माण के विचार में जो चीजें सौन्दर्य, इज्जत, प्रकृति, प्रेम की ओर इंगित करती है वह व्याकरण की दृष्टि से स्त्रीलिंग ही मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुषों और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर समान मात्रा में सम्मान मिलता था।

ज्योतिष दृष्टिकोण से शुक्र तत्व की अधिकता के कारण स्त्री बारीक़ से बारीक़ चीजों का ध्यान रख सकती हैं। परंपरा, रीति-रिवाजों से बचाने और आगे बढ़ाने का दायित्व स्त्री के कंधो पर ही होता है। एक पत्नी के रूप में वह सती सावित्री है, जो अपने पति के लिए यमराज तक से भिड़ जाने की हिम्मत रखती है। अपने सतीत्व और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह तक कर लेने से भी नहीं झिझकती है।

माँ के रूप में स्त्री की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसमें वह बच्चों के सही विकास में सहायक होती है और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा तथा संस्कार देने की प्राथमिक जिम्मेदारी संभालती है। एक समर्पित माँ के रूप में, उसका योगदान न केवल बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल में होता है, बल्कि उनकी शिक्षा और मानसिक विकास में भी। अगर घर में स्त्री पढ़ी-लिखी हो, तो यह घर के सभी सदस्यों को शिक्षित और संस्कारी बना सकती है। ऐसा करके, वह समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करती है और सभी को एक समृद्धि और उच्चतम स्तर के जीवन गुजारने का अवसर प्रदान करती है। एक माँ के रूप में वह अपने संतान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा सकती है। संतान चाहे जैसी भी हो, माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए कहा भी गया है:

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।

अर्थशास्त्र में कोई पैमाना नहीं है जो स्त्री के काम को नाप सके तथा उसका सही मूल्यांकन कर सके। अतः यह आवश्यक है कि हम समझें कि स्त्री का योगदान व्यापारिक दृष्टिकोण से भी नहीं

मापा जा सकता। आर्थिक मापदंडों के परे, स्त्रियों का समाज में समर्पण, सहयोग, और साझा योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। उनका घर के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भी होता है जैसे कि पारिवारिक निर्णयों में, समुदाय में सेवाएँ देने में और सामाजिक परिवर्तन में। स्त्रियों की सामाजिक भूमिका और उनके योगदान की महत्ता केवल वित्तीय पैमानों से बाहर जाकर समझी जा सकती है।

सूचना तकनीकी के आगमन से, महिलाएं नए दौर में आई नौकरी और पारिवारिक कार्यों में संतुलन स्थापित करने का अवसर प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अब प्रौद्योगिकी के सहयोग से नौकरी और घर के बीच एक संतुलित जीवन जी सकती हैं। डिजिटल युग में, उन्हें अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में और साथ ही कैरियर को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है। यह तकनीकी उन्हें नौकरी, उद्यमिता, और स्वतंत्रता के क्षेत्र में नई दिशाओं में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जो पूर्व में संभव नहीं था।

परिवार को बांधने और जोड़ने का दायित्व सिर्फ स्त्री के द्वारा ही संभव है। उनका योगदान एक परिवार के सभी सदस्यों को एकता, समर्पण, और सहयोग की भावना के साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण है। उनकी संवेदनशीलता, परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता और समाज में समर्पण की भावना से वे परिवार के सभी आवश्यक पहलुओं को समाहित करती हैं। उनके परिश्रम, संघर्ष, और स्नेह भावना से परिवार की मजबूती बनती है और उन्हें परिवार के हर सदस्य के साथ संवाद करने और उनकी आवश्यकताओं को पहचानने की क्षमता मिलती है। स्त्रियों का यह सामर्थ्य न केवल परिवार में हमारे साथी सदस्यों के साथ एक दृढ़ संबंध बनाने में मदद करता है, बल्कि समाज में भी उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है जो एक समृद्ध और सशक्त समाज के निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है।

लगभग सभी परीक्षाओं में महिलाएँ बिना किसी शुल्क दिए परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भर सकती हैं। विभिन्न परीक्षाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। विभिन्न चुनाव में भी महिला आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं को समर्पित कई योजनाएँ भी हैं। लेकिन आधी आबादी जो पुरुषों की है उनको समर्पित कोई भी योजना नहीं है। महिला-केंद्रित योजनाएं, महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ, आदर्श रूप से इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों जैसे अनुच्छेद 14,15,21 और 44 का उल्लंघन न हो। धारा 498ए महिलाओं के कल्याण के लिए पेश की गई थी लेकिन झूठे मामले दर्ज करके इसका काफी दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी कारण इसे अदालत ने इसे “कानूनी आतंकवाद" तक की संज्ञा दे दी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में 498A के एक लाख छतीस हजार मामले दर्ज होने की जानकारी दी थी। ऐसा माना गया है कि 100 में 17 मामले ही सही पाए जाते हैं। जबकि बाकी मामलों में या तो समझौता हो जाता है या फिर फर्जी पाए जाते हैं। इसी तरह कई कानून जो महिलाओं के हित के लिए बनाए गए थे उसका धड़ल्ले से उल्लंघन महिलाओं द्वारा ही किया जा रहा है।

रेल, बस, मेट्रो यात्रा में भी महिलाओं के लिए अलग से स्थान आरक्षित रहता है। यह काफ़ी सरहानीय कदम है। लेकिन बचे हुए स्थान में बिना लिंग भेदभाव के कोई भी स्थान ग्रहण कर सकता है। भगवान भी अगर यात्राओं में गलती से आ गए तो बचने के लिए उन्हें अर्द्ध नारीश्वर का रूप धारण करना होगा।

आवश्यकता है कानून को ऐसा बनाया जाये जिससे कि महिलाओं के हितों की सुरक्षा भी हो जाये और कोई इसका दुरुपयोग भी ना कर सके।

स्त्रियाँ सदा से ही शक्तिशाली रही हैं। सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने वाली कभी अबला नहीं हो सकती है। संभवतः वह अपने असीम सामर्थ्य को भूल गई हैं। सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य समानता तक लाना उचित है। लेकिन सशक्त करने पर प्रकृति और पुरुष के बीच संतुलन में असमानता ना आ जाए, इसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। इसका उद्देश्य एक पक्ष के अधिकार को सीमित कर दूसरे पक्ष के अधिकार को बढ़ाना ठीक नहीं है। समानता के लिए यदि कदम उठाए जाएँ तो एक बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर से भेदभाव की खाई बढ़ती रहेगी तथा इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की संभावना बनी रहेगी जो समाज तथा आने वाली पीढ़ी के लिए जोड़ने का नहीं, तोड़ने का संदेश लेकर जाएगी। प्रकृति ने हमेशा ही वस्तुओं को संतुलन में रखने का प्रयास किया है। शक्ति के दुरुपयोग के कारण ही पुरुष आयोग की मांग की जाने लगी है। प्रकृति और पुरुष इस जगत के अभिन्न अंग है। एक के बिना दूसरे के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। एक पक्ष को सशक्त करना किसी भी परिस्थिति में समाज के अनुकूल नहीं है। आधी आबादी को हाशिये पर रखकर समाज की प्रगति सम्भव नहीं है।

आवश्यकता है जिन क्षेत्रों में असमानता है वहाँ इस खाई को पाटा जाए तथा एक सुंदर समाज का निर्माण किया जाए जहां लिंग के आधार पर किसी को भी ज्यादा आँका ना जाए तथा किसी में भी हीन भावना का प्रादुर्भाव न हो। कागजी स्तर पर सशक्तिकरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आशा की जाती है कि वह समय कभी तो आएगा जब इसका असर धरातल पर भी दृश्यमान होगा।

भाषा सीखने एवं इसके क्रमिक विकास में तकनीक की भूमिका

सोनू कुमार
कनिष्ठ अनुवादक

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के दशक में जहाँ तकनीकी बढ़-चढ़कर विकास कर रही है, वैसे में यह हमें भाषा सीखने के कई राह भी उजागर कर रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिना तकनीकी सहयोग के भाषा का विकास नहीं किया जा सकता। पहले हमें लगता था कि अधिकांश लोग अंग्रेज़ी की-बोर्ड का उपयोग कर अंग्रेज़ी में ही लिखकर इन्टरनेट पर ढूँढने का प्रयास करते हैं, शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि इन्टरनेट पर भारतीय भाषाओं के अनुप्रयोग के लिए ज्यादा संसाधन उपलब्ध ही न हों। आइए, आज हम इन्टरनेट के ई-जाल से आपके लिए कुछ ऐसे संसाधन खोजते हैं जो हम भारतीयों के इस भ्रमजाल को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं:

1. चैट जीपीटी (Chat GPT): चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट (Artificial Intelligence 'bot') है, जिसका विस्तृत स्वरूप, चैट जेनरेटिव प्री-ट्रेण्ड ट्रान्सफॉर्मर (Chat Generative Pre-Trained Transformer) है,जो कि गूगल (Google) की तरह ही एक सर्च इंजन (Search Engine) के समरूप है। चैट जीपीटी पूर्णतः एआई ('AI' - Artificial Intelligence) सिस्टम पर काम करता है। अर्थात्, आपके द्वारा पूछे गये प्रश्नों को यह तुरंत टाइप कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए आपको किसी दूसरे वेबसाइट या ब्लॉग (blog) का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर को बार-बार रीजेनरेट (regenerate) कर के संतोषजनक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप हिंदी में भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और सर्च इंजन आपको हिंदी में जवाब भी देता है। खाली समय में आप इसमें स्वयं को रजिस्टर करके हिंदी व इसके अतिरिक्त कोई भी भाषा सीखने का प्रयास कर सकते हैं।

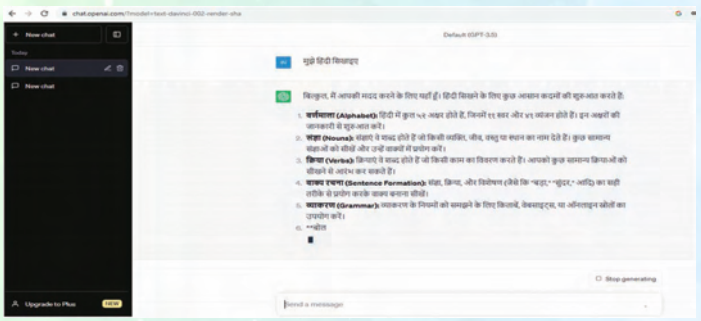

2. राजभाषा.नेट (Rajbhasha.net): इसका निर्माण कम्प्यूटर व इन्टरनेट पर हिंदी के प्रयोग को और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। ओपन सोर्स हिंदी (Open source Hindi) की सुविधाओं का समुचित प्रयोग-प्रचार करने के लिए तथा हिंदी का प्रसार बढ़ाने के लिए राजभाषा.नेट पर इस प्रकार की सुविधाओं तथा हिंदी के लिए टूल सॉफ्टवेयर (Tool Software) को अधिकतम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, कार्यालय में इस्तेमाल किये जाने वाले प्रशासनिक शब्दों की एक सूची पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध है जिसमें कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दों का एक अच्छा संकलन है।

3. माइक्रोसॉफ्ट ट्रान्सलेशन (Microsoft Translation): इस सुविधा का लाभ हम अपने-अपने कार्यालयों में उठा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कार्यालयों में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाये गये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेन्ट (Word Document) में आप जिस पंक्ति का अनुवाद करना चाहते हैं

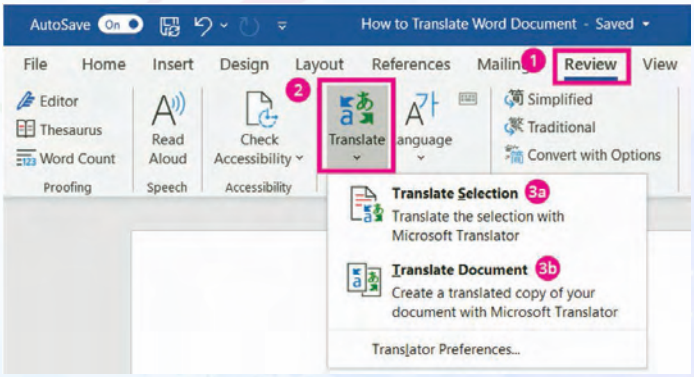

उसे पहले सिलेक्ट (Select) करें और माउस (Mouse) को राइट क्लिक (Right Click) करें। अगले बॉक्स (Box) में आप देखेंगे कि एक जगह ट्रान्सलेट (Translate) का विकल्प आ रहा है। आप जैसे ही यह विकल्प चुनते हैं, एक और विंडो (Window) उसी में खुलता है जिसमें आपको किस भाषा में अनुवाद करना है, यह पूछा जाता है। वहां एक ड्रॉप डाउन (Drop Down) बटन होता है। इस पर आप अपनी इच्छित भाषा का चयन कर सकते हैं। इसके तुरन्त बाद, अंग्रेज़ी का वह वाक्यांश आपकी चयनित भाषा में दिखायी देने लगता है। यदि आप लगभग सटीक अनुवाद चाहते हैं, तो एक-एक पंक्ति का अनुवाद करें।

4. कंठस्थ (Translation Memory): यह भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा 'सीडैक' (CDAC) के माध्यम से बनाया गया एक वेबसाइट है जिसे स्मृति-आधारित अनुवाद हेतु विकसित किया गया है। यह आने वाले समय में प्रशासनिक और कार्यालयीन अनुवाद में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इसे गूगल ट्रान्सलेट के तर्ज पर उससे भी बेहतरीन प्रणाली बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। गूगल ने जब अपने गूगल ट्रान्सलेट की शुरुआत की थी तो उन्होंने दुनियाभर के अनुवादकों को इसमें सामग्री डालन, अनूदित सामग्रियों की जांच करने एवं संशोधित करने के लिए अपने द्वार खोलें, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि गूगल ट्रान्सलेट आज किसी भी स्रोत भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है। इसी प्रकार भारत सरकार ने भी 'कंठस्थ' के द्वार सभी के लिए खोलकर रखे हैं। आप इसमें स्वयं को रजिस्टर करके भारतीय सरकारी कार्यालयों के लिए न केवल सही और सार्थक अनुवाद उपलब्ध करवा सकते हैं बल्कि आप इसमें कार्यालय में उपयोग होने वाली टिप्पणियों का सही अनुवाद भी प्राप्त कर सकते हैं। फिल्हाल यह अपने प्रारम्भिक चरण में है। अभी इसमें अनुवाद हेतु सामग्री और अनूदित सामग्री डालने की आवश्यकता है। 14 सितंबर 2022 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेल, सूरत में 'कंठस्थ 2.0' का लोकार्पण केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया गया। वर्तमान में राजभाषा विभाग 'कंठस्थ 2.0' के तहत प्रतियोगिता का आयोजन भी करवा रही है। फिलहाल, इसे आम जनता के लिए शुरू नहीं किया गया है। आइय, इसमें हम और आप कुछ समय निकालकर 'कंठस्थ' में अनुवाद सामग्री डालते हुए देश के समक्ष एक उन्नत प्रणाली के रूप में इसे विकसित करने में सहयोग करें।

वेबसाइट पर इसका सीधा लिंक: https://kanthasth-rajbhasha.gov.in/

इसके अलावा भी कई ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ हिंदी के तकनीकी अनुप्रयोग के लिए ढेर सारी सामग्री उपलब्ध है, वहां से आप आसानी से भाषा को सीख, समझ एवं काम-काज में प्रयोग में ला सकते हैं ।

नोट: कृपया ऊपरवर्णित वेबसाइट में अपनी निजी जानकारी का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करें। लेखक आपके निजता के सुरक्षा का सम्मान करता है।

नारी सशक्तिकरण

सुबोध कुमार
स.ले.प.अ./ईडीपी

"हौसले से भरती है ऊँची उड़ान,
ना कोई शिकायत न कोई थकान,
सबके जीवन का आधार है वो,
मत करना तुम नारी का अपमान "

किसी भी देश को सशक्त बनाने हेतु वहां की महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत जरूरी होता है। महिला एक मां, बहन और पत्नी के रूप में पुरुष जाति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है, तब जाकर एक सशक्त नागरिक, एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। भारत की संपूर्ण आबादी की आधी आबादी महिलाओं की है। यदि हमें अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है तो यहां की आधी आबादी यानि कि महिलाओं को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र करके उनको सशक्त बनाना ही होगा।

आज भले ही महिलाओं की उन्नति, विकास और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के बारे में चाहे कितने ही नारे लगाये जाते हैं या भाषण दिये जाते हैं; लेकिन जिस तरह से आए दिन महिलाओं पर दुराचार, शोषण, छेड़खानी और घरेलू उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, उससे सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण की मुहिम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देश की सरकार भले ही महिलाओं के हित में निरंतर कार्यरत है परन्तु जब तक देश के सभी नागरिक जागरुक होकर प्रत्येक महिला को वो इज्जत और सम्मान नहीं देंगे जो वह स्वयं के लिए उम्मीद करते हैं, तब तक न तो नारी सशक्तिकरण की मुहिम सफल हो पायेगी और न ही देश विकसित हो पाएगा। क्योंकि जहां नारी का सम्मान नहीं होगा, वहां कभी विकास नहीं होगा।

वो नारी ही है जिसकी वजह से संपूर्ण संसार गतिमान है। नारी है तो मां का आंचल है, नारी है तो पुरुष के सुख-दु:ख में नि:स्वार्थ भाव से साथ निभाने वाली जीवनसंगिनी है, नारी है तो भाई के कलाई पर सजी हुई राखी है। रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपने हक के लिए लड़ती है नारी! मदर टेरेसा बनकर दीन-दुखियों का दर्द बाँटती है नारी! नारी वास्तव में ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना है। वर्तमान में महिलाओं ने अपनी नई छवि का निर्माण किया है। वो समाज में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। लेकिन आज भी यह समाज उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाया है जिसकी वो हकदार है। अत: हम सबको मिलकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस समय मैं सभी महिलाओं से यह अपील करता हूँ कि आपको भी खुद से प्यार करना होगा, खुद को सम्मान देना होगा और आत्मनिर्भिर बनने का हर संभव प्रयास करना होगा, तभी यह समाज और आपसे जुड़े सभी लोग आपको सम्मान देंगे। इसके साथ ही आपको स्वयं पर गर्व करना चाहिए कि आपको एक महिला के रूप में जन्म मिला।

अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि-

"कोमल है पर लाचार नहीं तू
तू तो मूरत है शक्ति के अवतार की।
किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू,
तू तो बागबान है इस कायनात की।"

यदि स्त्रियाँ प्रसन्न रहें तो सारा कुल प्रसन्न रहता है।

– कहावत

स्त्री: एक सामाजिक समीक्षा

विक्की प्रसाद गुप्ता
एमटीएस

हमारे वेद पुराणों में बताया गया है:-

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:"

अर्थात्, जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। उल्लिखित पंक्ति यह दर्शाती है कि पहले समाज में स्त्री का महत्व था। इस पंक्ति में यह भी व्यक्त किया गया है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। उन्हें समाज में बराबरी के अवसर मिलने चाहिए और जब ऐसा होगा तब समाज में सच में खुशहाली होगी और जो समाज खुशहाल है देवताओं का वास वहीं होता है।

"महिला सशक्तिकरण के स्तंभ हैं चार,
सम्मान, प्रतिष्ठा, शिक्षा और समान व्यवहार।"

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोज़गार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की में बराबरी के मौके मिले- जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की हासिल कर सके। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं पुरुषों की भांति अपनी हर आकांक्षा को पूरा करने में सक्षम हो सकेगी।

मुख्य कारण:

- **पुरानी रुढ़िवादी विचारधारा:** वैसे तो हम सभी महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अक्सर ही चर्चा करते रहते हैं, मगर आज भी अधिकांश महिलाएं पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं की बेड़ियों से नहीं निकल पायी हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां आज भी पुरानी विचारधाराओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता है। परन्तु सरकार के प्रयास और शिक्षा के विकास से इस स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। आज नारी रूढ़िवाद नहीं बल्कि शक्ति की प्रतीक है।

- **सशक्तिकरण की आड़ में होने वाले शोषण**: चूँकि पहले की तुलना में अब महिलाएं अधिक शिक्षित हैं और वे अपने कदम खुद बढ़ा रही हैं, फिर भी, सशक्तिकरण की आड़ में आज भी अधिकांश महिलाओं का बहुत शोषण हो रहा है। बहुत से कार्यालयों में महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार होने जैसी खबरें आती हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आज संघ लोक सेवा आयोग जैसे बड़े परीक्षा में महिलाओं ने झंडे गाड़ दिये हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है।

- **पुरुष प्रधान समाज:**- चाहे समाज कितनी भी तरक्की कर ले,जब तक वह एक पुरुष प्रधान समाज है,लोगों के मन में पुरुष की प्रधानता की सोच प्रबल होती है। आज भी बहुत ऐसे परिवार देखने को मिल जाते हैं जहां बेटे की चाह में महिलाओं का शोषण हो रहा है। हालाँकि,बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जहां पर बेटियों को भी बेटे के समान दर्जा प्राप्त है। आज यूरोपीय संघ जैसी बड़ी संस्था का प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही हैं।

- **महिला शिक्षा दर:** शिक्षा के मामले में भी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों का शिक्षा दर 84.7 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं का शिक्षा दर 77 प्रतिशत है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर महिलाओं की शिक्षा की बात की जाये तो पहले के मुकाबले अब महिलाएं ज्यादा शिक्षित हो रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें सिर्फ घर के कामकाज ही सिखाये जाते हैं। शुरु से ही उन्हें यह बताया जाता है कि उन्हें शादी कर दूसरे घर जाना है अथवा एक पुरुष के अधीन कार्य करना है। आज सुरेखा यादव जैसी महिलाओं ने वंदे भारत जैसी रेलगाड़ी का चालक बन कर महिलाओं और समाज को गौरवान्वित किया है।

- **महिला सशक्तिकरण पर सरकारी योजना:** बेटियों की शिक्षा को मद्देनज़र रखते हुये सरकार ने कई योजनाओं का शुभारम्भ किया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना,महिला हेल्पलाइन योजना,उज्ज्वला योजना,सपोर्ट टू ट्रेनिंग एण्ड एम्प्लॉयमेन्ट प्रोग्राम फॉर वीमेन एवं पंचायती राज योजनाएं जिनमें महिलाओं ने अच्छा योगदान दिया है।

- **कन्या भ्रूण हत्या:** यह एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं को सशक्त होने से रोकने का। जब एक कन्या को गर्भ में ही मार दिया जायेगा,तो वह कैसे आगे बढ़ेगी,कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी। सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर सख़्त कानून भी बनाये गए हैं।

- **उपसंहार:** जिस तरह से भारत ने आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर स्वयं को स्थापित किया है , उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में वाकई में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध कुरीतियों के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था का परिचायक है। यह आवश्यक है कि हम महिलाओं के प्रति अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी आवश्यकतानुसार बदलाव लाएं ताकि समाज में पुरुष और महिला एक दूसरे के परस्पर सहयोग से आगे बढ़ें।

भारत में जी20 सम्मेलन का सफल आयोजन और निहितार्थ

सुनील कुमार
हिन्दी अधिकारी

जी20 की आवश्यकता, स्थापना और महत्व: जी20 विश्व की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। इस समूह के महत्व का आकलन इस तथ्य के आधार पर किया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों की सहभागिता सकल विश्व उत्पाद में लगभग 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75%, वैश्विक जनसंख्या में दो-तिहाई और विश्व के भूमि क्षेत्र में 60% है।

इस समूह में विश्व के 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकीय संघ शामिल हैं। 1997 में कई एशियाई देशों में मुद्रा के अवमूल्यन, मांग में कमी से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होने के कारण मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई। यद्यपि इस मंदी से प्रत्यक्षतः इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड जैसे केवल कुछेक एशियाई देश ही प्रभावित थे लेकिन इसका प्रभाव हांगकांग, लाओस, मलेशिया और फिलीपींस पर भी पड़ा। ब्रुनेई, चीन, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम कम प्रभावित थे, हालांकि सभी को पूरे क्षेत्र में मांग और आत्मविश्वास में कमी का नुकसान उठाना पड़ा। एशियाई देशों की इस मंदी ने पूरे विश्व के लिए वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसी आलोक में, वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रकों हेतु वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हेतु 1999 में जी20 की स्थापना एक मंच के रूप में की गई।

2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के आलोक में इस समूह को राष्ट्र/शासन प्रमुख के स्तर तक उन्नत किया गया और 2009 में इसे "अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच" के रूप में नामित किया गया। जी20 शिखर सम्मेलन को प्रतिवर्ष क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के शासन प्रमुख अथवा राष्ट्रप्रमुख, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। साथ-ही अन्य देशों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को भी शिखर सम्मेलन में सहभागिता हेतु आमंत्रित किया जाता है। प्रारंभ में जी20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु कालांतर में इसके कार्यसूची में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार-निषेध जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया।

कार्यप्रणाली: जी20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए अध्यक्ष राष्ट्र द्वारा कार्यसूची का संचालन किया जाता है जिसके तहत विभिन्न स्तर पर बैठकों के साथ शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। जी20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं: वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं।

शेरपा पक्ष की ओर से जी20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। इन दो ट्रैक के भीतर, विषयोन्मुख कार्य समूह हैं जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ आमंत्रित/अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची के विषयों पर चर्चा करते हैं और जी20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं।

इसके अतिरिक्त, जी20 सदस्य व आमंत्रित देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायियों और शोधकर्ताओं को एक साझा मंच प्रदान करता है।

भारत की अध्यक्षता में जी20 सम्मेलन का आयोजन

जी 20 की अध्यक्षता मूल रूप से 2021 में भारत, 2022 में इटली तथा 2023 में इंडोनेशिया द्वारा की जानी थी। लेकिन, 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इटली से यह आग्रह किया गया कि भारत 2022 में इसकी अध्यक्षता चाहता है जिसे इटली द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। इसी बीच, 2023 में इंडोनेशिया में आसियान की बैठकें होने के कारण उसने 2023 के बदले 2022 में जी20 की अध्यक्षता का आग्रह किया और अंततः 2023 में भारत को समूह की अध्यक्षता करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार, 01 दिसंबर 2022 को इंडोनेशियाई राष्ट्रपति द्वारा बाली शिखर सम्मेलन के अंत में भारतीय प्रधानमंत्री को जी20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से सौंपी गई।

लोगो और विषय: भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों-

केसरिया, सफेद और हरा के साथ ही नीले रंग से जी20 लोगो प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प 'कमल' को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रतिबिंबित करता है। पृथ्वी, जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य हो।

भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारत का जी20 अध्यक्षता का विषय "वसुधैव कुटुम्बकम्" के साथ ही "एक पृथ्वी · एक कुटुंब · एक भविष्य" उपनिषद से लिया गया है। यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों- मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्मजीव तथा पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड के बीच परस्पर संबंधों की पुष्टि का द्योतक है।

यह विषय (थीम) राष्ट्रीय विकास और व्यक्तिगत जीवन शैली दोनों स्तरों पर पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय और जिम्मेदार विकल्पों से संबद्ध पर्यावरण के लिए जीवन शैली (Lifestyle for the Environment/LiFE) पर भी प्रकाश डालता है, जिससे वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यों के परिणामस्वरूप एक स्वच्छ, और उज्जवल भविष्य निर्मित हो। यह विषय सामाजिक और व्यक्तिगत उत्पादन और उपभोग विकल्पों पर भी प्रकाश डालता है और पर्यावरण की दृष्टि से व्यवहार्य और संगत विकल्प अपनाने का आह्वान करता है जिससे वैश्विक स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई द्वारा मानव को अपेक्षाकृत स्वच्छ, हरित और उज्जवल भविष्य प्राप्त हो।

लोगो और विषय भारत की जी20 अध्यक्षता का एक सशक्त संदेश देते हैं, जो दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास पर जोर देता है। आज हम एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं और ऐसे में जी20 की अध्यक्षता एक अवसर प्रदान करता है कि हम पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल जीवन से संबंधित हमारे विलक्षण भारतीय नजरिये से विश्व को परिचित कराएं। हमारे देश के लिए जी20 की अध्यक्षता "अमृतकाल" की शुरुआत है, जो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक की 25 वर्ष की अवधि में एक भविष्योन्मुख, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज, जो मूल रूप से मानव-केंद्रित हो, के निर्माण का संदेश देता है।

भारत ने जी20 का भव्य और सफल आयोजन किया जिसे पूरे विश्व ने देखा भी और इसकी सराहना भी की। पूरे वर्ष के दौरान देशभर के 60 शहरों में विभिन्न स्तरों पर लगभग 200 बैठकें आयोजित की गईं। निम्नलिखित उपलब्धियाँ इस अथक प्रयास की ही परिणति हैं:

• अफ्रीकी संघ जी20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

• टिकाऊ जैव ईंधन के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने और प्रासंगिक मानकों और प्रमाणन को निर्धारित करने के लिए 'ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस' नामक एक नया संगठन बनाया गया।

• नई दिल्ली लीडर्स घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया।

• भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाले एक रेल और शिपिंग गलियारे के निर्माण के लिए एक संयुक्त समझौता, जिसे 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' के नाम से जाना जाएगा। इस समूह में भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इज़राइल और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

विश्व इस समय कठिन चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। विकसित और विकासशील देशों के बीच विकास और पर्यावरण में संतुलन, विशेषकर कार्बन उत्सर्जन को लेकर गहरे मतभेद हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों और रूस के बीच खींचतान की स्थिति है। विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं- अमेरिका और चीन के बीच भी आर्थिक मुद्दों, व्यापार और दक्षिण चीन सागर जैसे मामले तनाव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इन चुनौतियों की पृष्ठभूमि में विवादास्पद विषयों को साधते हुए जी20 का सफल आयोजन और साझा घोषणापत्र पर सहमति बना लेना निश्चित रूप से भारत की कूटनीतिक सफलता और विश्व पटल पर इसके बढ़ते प्रभाव और भावी भूमिका का द्योतक है।

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय

आशुतोष कुमार पाण्डेय
आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक

प्रस्तावना

आज के समय में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है, खासतौर से पिछड़े और प्रगतिशील देशों में क्योंकि उन्हें इस बात का काफी बाद में ज्ञान हुआ कि महिलाओं की तरक्की और सशक्तिकरण के बिना देश की तरक्की संभव नही है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य उनके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता से है, जिसे पाकर ही वे अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती है।

भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों का हनन करने वाले उन सभी कुविचारों जैसे-दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृति, मानव तस्करी इत्यादि को जड़ से समाप्त करना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण जरूरी क्यों है

लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश की उन्नति का मार्ग अवरूद्ध करता है। भारत का संविधान चाहे पुरूष हो या महिला, सभी को एक समान मानता है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही साथ महिलाएँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों, इस विषय पर भी ध्यान देना विशेष आवश्यक है।

बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्थान एवं आर्थिक स्वतंत्रता जैसे तत्वों की शुरुआत प्रारम्भिक स्तर पर शुरू करने से ही स्तर दर स्तर सुधारों की अभिव्यक्ति बढ़ सकती है। महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की जरूरत है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता-पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। इनका महिलाओं के स्वास्थ्य पर कई प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। जैसे मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति, उच्च अध्ययन एवं सरकारी सेवाओं की तैयारी के लिए उपचारात्मक शिक्षण, स्वास्थ्य तथा मुफ्त एवं पहुँच योग्य कानूनी सेवाएं इत्यादि।

इसके अतिरिक्त महिलाओं की सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकारी सेवाओं में उचित भागीदारी प्रदान करना भी आवश्यक है। हालांकि इस संबंध में सरकारें उचित कदम उठा रही हैं। कई राज्यों की सरकारी सेवाओं में उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं तथा कहीं-कहीं उन्हें बिना शुल्क आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है।

महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिये महिला आरक्षण बिल-108वाँ संविधान संशोधन का पास होना बहुत जरुरी है ये संसद में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। हालांकि, दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिये कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है। कई राज्यों में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं।

निष्कर्ष

सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिये पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहाँ की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिये लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है।

चंद्रयान 3: चंद्र अन्वेषण में भारत की अंतर्दृष्टि

समन्विता बनर्जी
पुत्री, संजय बनर्जी, व. लेखापरीक्षक

ब्रह्माण्ड के रहस्यों को जानने की कोशिश में, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी 'इसरो' चंद्रयान 3 के साथ एक और विस्मयकारी चंद्र यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। अपने पूर्ववर्ती, चंद्रयान 1 और 2 की सफलता के आधार पर, यह मिशन चंद्रमा के रहस्यमयी परिदृश्यों में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम होने की संभावनाओं से भरा है, जो वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत के कद को और ऊंचा करने में सहायक सिद्ध होगा।

चंद्रयान 3 का लक्ष्य अपने उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीक के साथ, चंद्रमा की सतह के उन अनछुए क्षेत्रों की खोज करना है, उन रहस्यों को उजागर करना है, जो वैज्ञानिकों से दूर है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर (Lander) और एक रोवर (Rover) को तैनात करना है; इसके भूविज्ञान और खनिज संरचना के बारे में हमारी जानकारी के विस्तार-क्षेत्र को बढ़ाना और संभावित जलीय अणुओं के अस्तित्व को प्रमाण सहित उजागर करना है।

चंद्रयान 3 की असाधारण विशेषताओं में से एक पिछले प्रयासों के दौरान सामने आयी चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान हुए लैंडर दुर्घटना से मिली सीख इस मिशन के लिए विसंगतिरहित लैंडिंग सिस्टम डिज़ाइन करने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग रहा है। यह, इसरो द्वारा न केवल अपनी तकनीकी कौशल, बल्कि असफलताओं के समक्ष स्वयं को मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप ढालने की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है, जो मूलत: अन्वेषण की भावना को परिलक्षित करता है।

इसके अतिरिक्त, चंद्रयान 3 का महत्व वैज्ञानिक अनुसंधान से कहीं अधिक है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के बढ़ते हुए कद का प्रतीक है, जो स्वतंत्र रूप से जटिल मिशनों को पूरा करने में देश की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय सहयोग का भी प्रतीक है, क्योंकि इसरो अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को अन्य देशों के साथ साझा करना चाहता है, जिससे कि वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा मिले तथा भविष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सामूहिक प्रगति के क्षेत्र को और अधिक विस्तारित किया जा सके।

जैसा कि दुनिया चंद्रयान 3 द्वारा किए जानेवाले खोज एवं तत्संबंधी आंकड़ों का उत्सुकता से इंतजार कर रही है, यह मिशन चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने तथा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष के स्वप्नदर्शियों की एक नयी पीढ़ी को प्रेरित करने की संभावनाओं से भरा है। इस प्रयास के माध्यम से प्राप्त तकनीकी जानकारी न केवल चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमारी समझ को अधिक व्यापक एवं गहन दृष्टिकोण प्रदान करेगी बल्कि ब्रह्मांडीय क्षेत्रों की गहराइयों में भविष्य के अन्वेषणों का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।

चंद्रयान 3 के लैंडर 'विक्रम' और रोवर 'प्रज्ञान' ने चंद्रमा के अबतक अछूते दक्षिणी ध्रुव पर साक्षात अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एक नया इतिहास रचा है और अंतरिक्ष के चमत्कारों से मंत्रमुग्ध दुनिया में इसके द्वारा उजागर किए जानेवाले रहस्य मील का पत्थर स्थापित करेंगे, जो देश की नवाचार और अन्वेषण की अदम्य भावना का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ ब्रह्माण्ड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करेगा। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण से अंतरिक्ष की दुनिया के अब तक के इतिहास में भारत ने स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत कर दी है।

स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है, जितना प्रकाश अँधेरे से।

– प्रेमचंद

भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में नारी

सुजय प्रसाद
लेखापरीक्षक

भारत के सबसे प्राचीन ग्रन्थ मनुस्मृति में नारी पर यह कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है,वहां देवताओं का निवास रहता है। इस सच्चाई को भारतीय ऋषियों ने बहुत पहले ही जान लिया था। इस बात से पता चलता है कि प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में नारी का कितना महत्व रहा है। भारतीय समाज में नारी को लक्ष्मी देवी का रूप समझा जाता है। नर और नारी जीवन के दो पहिये हैं। दोनों का समाज में समान महत्व है। प्राचीन भारत के समय नारी स्वतंत्र थी,महिलाओं पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। महिलाएं यज्ञों और अनुष्ठानों में भाग लिया करती थीं। मध्य युग में धीरे-धीरे समय बदलने पर पुरुष ने अपने अहम् के चलते संरक्षणशीलता की आड़ में नारी को एक निम्न दर्जा प्रदान किया।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि उनके बिना हर रचना अधूरी है, हर काल रंगहीन है। भारत की संस्कृति में नारियों को अत्यंत ही महिमामय एवं गरिमामय स्थान प्राप्त रहा है।

➢ **वैदिक काल में नारी:** वैदिक काल में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में नारी की उपस्थिति आवश्यक हुया करती थी। कन्याओं को पुत्रों के बराबर अधिकार प्राप्त थे,उनकी शिक्षा-दीक्षा का समुचित प्रबंध रहता था। मैत्रेयी,गार्गी जैसी स्त्रियों की गणना ऋषियों में की जाती थी। वैदिक काल में परिवार के सभी निर्णय लेने के अधिकार नारी शक्ति को प्रदान किये गये थे।

➢ **प्राचीन काल की नारी:** प्राचीन काल में कोई भी क्षेत्र नारी के लिए वर्जित नहीं था। वे रणभूमि में जौहर किया करती थीं तथापि उनका मुख्य कार्यक्षेत्र घर था। दुर्भाग्य से, नारी की स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगें।

➢ **मध्य युग की नारी:** आगे चलकर, भारतीय समाज में नारी की स्थिति बदलती गयी। वह केवल भोग्या हो गयी। पुरुषों के राग-रंग का साधन बनकर उनकी कृपा पर जीवित रहना ही उनकी नियति बन गयी। जिन स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना की थी,उन्हें वेद पाठ के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उन्हें कोमलांगी कहकर चौखट लांघने तक की इजाज़त नहीं दी गयी। मुघल युग में स्त्रियों पर और भी बंधन लाद दिये गये क्योंकि विदेशियों की दृष्टि किसी देश की धन-संपदा पर ही नहीं, वहां की स्त्रियों पर भी होती थी। मुघल शासन के दौरान,नारी के सम्मान को विशेष धक्का लगा। वह भोग-विलास की सामग्री बन गयी और उसे पर्दानशीन बनाकर रखा जाने लगा। इनसे शिक्षा व स्वतंत्रता के अधिकार भी छीन लिये गये। इसी युग में पद्मिनी,दुर्गावती,अहिल्याबाई सरीखी नारियों ने अपने बलिदान एवं योग्यता से नारियों के गौरव को और अधिक बढ़ाया।

सन् 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी को भला कौन भूल सकता है। इसी प्रकार कालचक्र के विभिन्न पहलुओं में नारियों के उभरते हुये स्थान की एक रूपरेखा अंकित की जा सकती है,जो कि इस प्रकार है:

➢ **आधुनिक युग में नारी:** आधुनिक युग में जब हम पाश्चात्य जीवन संस्कृति के अधिक निकट आए तब हमें लगा कि स्त्रियों की आधी जनसंख्या को पालतू पशु-पक्षियों की तरह बांधकर खिलाते रहना मानवता का बहुत बड़ा अपमान है। स्वतंत्रता से पहले, भारतीय समाज में नारी को कोई उचित स्थान प्राप्त नहीं था लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् जब हमारे संविधान में पुरुषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार दिये गये जब जाकर इस समस्या में सुधार हुआ। आज की तारीख में, भारतीय समाज में नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों में तेज़ी से जागरुकता बढ़ रही है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भारतीय सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलायी जा रही हैं जिनमें एक मुख्य योजना है,'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'। इस योजना के चलते भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति जागरुकता बढ़ रही है।

➢ **पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव:** आज के समय में पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगी हुयी भारतीय नारी तितली के समरूप प्रतीत हो रही है। अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों से दूर होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, परिवार टूटने लगे हैं। जीवन का सुख खत्म होने लगा है। महिला जागरण के नाम पर भारतीय नारी को उनके उत्तरदायित्व से दूर ले जा रही है। संतान व परिवार के प्रति वह अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से नहीं निभा पा रही हैं, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

➢ **वर्तमान स्वरूप:** भारतीय समाज में नारी की स्थिति अनेक प्रकार के विरोधों से ग्रस्त रही है। एक तरफ वह परंपरा में शक्ति और देवी के रूप में देखी गयी है, तो वहीं दूसरी ओर शताब्दियों से वह 'अबला'और 'माया' के रूप में देखी गयी है। दोनों ही अतिवादी धारणाओं ने नारी के प्रति समाज की समझ को,और उनके विकास को उलझाया है। नारी को एक सहज मनुष्य के रूप में देखने का

प्रयास पुरुषों ने तो किया ही नहीं, स्वयं नारी ने भी नहीं किया। भारतीय इतिहास की सारी उथल-पुथल के बाद भी भारतीय नारी के कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण वह विश्व की सभी नारियों से अलग रहीं। नम्रता, लज्जा और मर्यादा - ये विशेष गुण नारी को गौरवान्वित करती हैं।

अत: नारी आधुनिक दृष्टि से स्वतंत्र हो, शिक्षित हो, पुरुष की दासता से मुक्त हो,यह अच्छी बात है, किंतु स्वतंत्रता की अति न परुष के लिए अच्छी है और न ही नारी के लिए। दोनों को एक-दूसरे का सम्मान करते हुये परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे कठिन समय में नारी में उन गुणों के विकास की ज़रुरत है,जो उसे परंपरा द्वारा प्राप्त हुये हैं। वह सभी को खुश देखना चाहती है। वह केवल संघर्ष ही नहीं,त्याग और ममता की भी एक प्रतिमा है। वह शक्ति भी है,जो समय आने पर दानवों का विनाश भी करती है:-

"नारी माता है, बहन है, नारी जग का मूल ।
नारी चंडी रूप है, नारी कोमल फूल ।।
बिन नारी बनता नहीं, एक सुखी परिवार
नारी को सम्मान दो, यह उसका अधिकार ।।
नारी से घरबार है, हैं रिश्तों में जान ।
सबको करना चाहिए, नारी का सम्मान ।।
नारी लक्ष्मी, शारदा, नारी दुर्गा रूप।
नारी दुख को सुख करे, नारी शक्ति अनूप ।।
अबला से सबला हुई, देखो नारी आज ।
नारी के सहयोग से, उन्नत बने समाज ।।"

उपर्युक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि नारी ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका का पालन हर एक युग में किया है। नारी अपने विशेष गुणों के कारण ही आज के आधुनिक युग में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। अत: किसी भी स्थिति में, उनका तिरस्कार या अपमान कतई उचित नहीं माना जा सकता है।

जिन्दगी

रिजवान अहमद
स. ले. प. अ./तदर्थ

परेशान है बहुत फिर भी खुशी की बात करते हैं
खड़ी हो मौत सर पर जिन्दगी की बात करते हैं

उन्हें मालूम है क्या, कैसे चलाई जाती है कश्ती
कभी देखा नहीं दरिया और तैरने की बात करते हैं

जिन्हें करना नही आता वो भी सलाहें खूब देते हैं
मोहब्बत की नहीं और दिल्लगी की बात करते हैं

बनाकर मौत का तमाशा सजाई अपनी हस्ती को
सभी के सामने वही फिर जिन्दगी की बात करते हैं

बस बचे रहना हमेशा दूर तुम उनकी मेहरबानी से
जो हंसी को छीनते हैं और खुशी की बात करते हैं

ग़मों से दूर तक कभी न कोई था जिनका रिश्ता
ऐसे लोग ही अक्सर गमें जिन्दगी की बात करते हैं

जाने कौन सी मंजिल पे पहुंचेगा ये कारवां अपना
लुटेरे हैं सारे मगर सब लिडरी की बात करते हैं

भरोसा तू न कर रिजवान कभी उनकी बातों का
उजाले सब छीन कर जो रोशनी की बात करते हैं

नारी ही परिवार और समाज की केंद्रबिंदु है।

– स्वामी विवेकानंद

महिला सशक्तिकरण : एक नए समाज की शुरुआत

नवीन कुमार
आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक

"जब होगा स्त्री का हर घर सम्मान
तभी बनेगा हमारा भारत महान।"
"बेटियों को दो इतनी पहचान
बड़ी होकर बने देश की शान।"

आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि–ग्रंथों में नारी के महत्त्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि "जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं"।लेकिन विडम्बना यह है कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती है।

राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्त्व और उनके अधिकार के बारे में समाज में जागरुकता लाने के लिये मातृ दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरुरी है, जैसे – दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय।

अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित हैं। भारत में अशिक्षित लोगों में महिलाओं की संख्या अधिक है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके।

महिला एंव बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्जवला योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप), महिला शक्ति केंद्र, पंचायाती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसी योजनाएँ इस आशा के साथ चलाई जा रही हैं कि एक दिन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की ही तरह प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा।

बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़-लिखकर स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रही है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है और निर्णय प्रक्रिया में भी अपनी सहभागिता को लेकर गंभीर दिख रही है।महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

भारत में भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अन्दर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसी ही एक मिसाल बनी सहारनपुर की अतिया साबरी। अतिया पहली ऐसी मुस्लिम महिला हैं, जिन्होंने तीन तलाक के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। तेजाब पीड़ितों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली वर्षा जवलगेकर के भी कदम रोकने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। हमारे देश में ऐसे कई उदहारण है जो महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन रही है।

आज देश में नारी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज देश की महिलाएँ जागरूक हो चुकी हैं। आज की महिला ने उस सोच को बदल दिया है कि वह घर और परिवार की ही जिम्मदारी को बेहतर निभा सकती है। आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कन्धा मिला कर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का। महिलाएँ अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं।

जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तामक और पुरुष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत

आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाए।

भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हो, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, और आजादीपूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है, जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इक्कीसवीं सदी नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं की सदी है। महिलाएँ अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। आज की नारी अब जाग्रत और सक्रिय हो चुकी है। **महिलाओं की इस सक्रियता, सहभागिता के कारण महिलाओं में हो रही प्रगति देश के विकास के लिए भी बहुत जरुरी है।**

जय हिंदी

संजय कुमार सिंह
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

युग बीते अंग्रेज़ गये, क्यों अंग्रेजी अब भी रानी?
दासी बनकर हिंदी बोलो, भरेगी कब तक उसका पानी?
गैरों के न हम कपड़े पहने, न औरों के भोजन खाते।
क्यों चोट न लगे स्वाभिमान को, गैरों की भाषा अपनाते?

नाम लंच है खाते मगर, हिन्दुस्तानी खाना यारों।
'हाय-हलो' है आना उनका, "सी यू" है जाना यारों।
मातृभूमि की मिट्टी की अब, सौंधी महक तुम पहचानो।
"रश्मिरथी" पर बैठ ज़रा, "भारत भारती" को जानो।

"कामायनी" से "ऊर्वशी" तक, काव्यरस का पीले प्याला।
जो हो तेरा "आकुल अंतर", "मधुशाला" में "मधुबाला"।
रहीम, मीरा, कबीर, जायसी, सूर, केशव, तुलसीदास।
है "सतसईया" के दोहे, पढ़ो जितना बढ़ेगी प्यास।

देश अपना, भाषा अपनी, चिर-स्वतंत्र जल-थल अपने।
बुरा नहीं है कोई ज्ञान, ईंग्लिश जानो, अरबी जानो।
पर अपनी मिट्टी अपनी होती है, हिंदी को ही अपना मानो।
बंगाली, मराठी समझो और मद्रासी, सिंधी भी।
हिंद देश की हिंदी भाषा, जय हिंद ही नहीं, जय हिंदी भी।

नारी पुरुष की गुलाम नहीं, सहधर्मिणी, मित्र, अर्धांगिनी (पत्नी) है।

– महात्मा गाँधी

महिला सशक्तिकरण

राजेश चौधरी
आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को सूचित निर्णय लेने और जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उपकरण, संसाधन, अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करने की प्रक्रिया से है। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने, लिंग-आधारित भेदभाव को खत्म करने और पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण का एक अनिवार्य पहलू भी है।

महिला सशक्तिकरण का महत्व:महिला सशक्तिकरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं को हाशिए पर रखा गया है और उन्हें समान अवसरों से वंचित किया गया है। हालाँकि, महिलाओं को सशक्त बनाने से महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं:

आर्थिक विकास:जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो वे कार्यबल में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं, जिससे उत्पादकता और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। महिला उद्यमियों और श्रमिकों को सशक्त बनाकर, समाज प्रतिभा और रचनात्मकता के विशाल भंडार का लाभ उठा सकता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य:सशक्त महिलाएं अपने परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने की अधिक संभावना रखती हैं, जिससे गरीबी का चक्र टूट जाता है और समग्र कल्याण में सुधार होता है। शिक्षित महिलाएं अपने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में भी बेहतर रूप से सक्षम हैं।

सामाजिक सद्भाव:महिलाओं को सशक्त बनाने से लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव कम हो सकता है, सामाजिक सद्भाव और एकजुटता को बढ़ावा मिल सकता है। जब महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो यह एक अधिक समावेशी और दयालु समाज का निर्माण करता है।

महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ:महिला सशक्तिकरण के महत्व के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो प्रगति में बाधक हैं:

हिंसा और भेदभाव: महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर असमान व्यवहार सहित विभिन्न प्रकार की हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।भारत में महिला सशक्तिकरण ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी काफी चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति को विभिन्न पहलुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

कानूनी ढाँचा: भारत ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाने में पर्याप्त प्रगति की है। भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर की गारंटी देता है। दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और लिंग भेदभाव जैसे मुद्दों के समाधान के लिए कानून लागू किए गए हैं। 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम की शुरूआत महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम था।

शिक्षा और स्वास्थ्य:शिक्षा महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और भारत ने इस क्षेत्र में सुधार देखा है। सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं, जिनमें स्कूली शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए छात्रवृत्ति और कार्यक्रम शामिल हैं। जबकि शिक्षा में लिंग अंतर कम हो गया है, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर, उच्च शिक्षा और कुछ क्षेत्रों में असमानताएँ बनी हुई हैं। दुनिया के कई हिस्सों में, महिलाओं को अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, जो व्यक्तिगत विकास और विकास के उनके अवसरों को सीमित करता है।

आर्थिक भागीदारी: भारतीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। हालाँकि, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में कम बनी हुई है, और कम वेतन वाली और अनौपचारिक नौकरियों में महिलाओं की एकाग्रता है। लैंगिक वेतन अंतर भी बना हुआ है, जो दर्शाता है कि समान काम के लिए महिलाओं को अक्सर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व: भारत ने पंचायतों (स्थानीय सरकारी निकायों) में महिलाओं के लिए आरक्षण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सुधार करने की दिशा में

प्रगति की है। हालांकि इससे जमीनी स्तर पर निर्वाचित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षाकृत कम है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा: भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। मातृ मृत्यु दर, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग आधारित हिंसा जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण चिंताएँ बने हुए हैं। हालाँकि इन मुद्दों के समाधान के लिए उपाय किए गए हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में कार्यान्वयन एक चुनौती बनी हुई है।

सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक कारक: गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक मानदंड, पारंपरिक लिंग भूमिकाएं और सांस्कृतिक प्रथाएं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती रहती हैं। कानूनी प्रावधानों के बावजूद, ये मानदंड महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डाल सकते हैं और उनकी निर्णय लेने की स्वायत्तता को सीमित कर सकते हैं।

जागरूकता और सशक्तिकरण पहल: भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना (महिलाओं के लिए एलपीजी सब्सिडी), और प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (मातृत्व लाभ कार्यक्रम) जैसी पहल लागू की गई हैं।

निष्कर्ष:महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक विचार नहीं है; यह एक निष्पक्ष, समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य है। महिलाओं को सशक्त बनाकर और जीवन के सभी पहलुओं में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करके, हम आधी आबादी की क्षमता को उजागर करते हैं, जिससे आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और सतत विकास होता है। सरकारों, संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों को बाधाओं को तोड़ने और एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जहां महिलाएं आगे बढ़ सकें, इस प्रकार सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक न्यायसंगत भविष्य का निर्माण हो सके।

नारी जाति को खाली हाथ कभी नहीं बैठना चाहिए।

– शरतचंद

हमारे कार्यालय का एक रोचक लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रत्येक वर्ष कई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित किये जाते हैं, जो कि कार्यालय द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा कार्यों की उत्कृष्टता के परिचायक हैं। इनमें से कुछेक प्रतिवेदन के विषय-वस्तु बड़े रोचक हैं।

इन प्रतिवेदनों में से एक रोचक लेखापरीक्षा निष्कर्ष, **"दक्षिण 24 परगना ज़िला में प्रयोज्य सभी पर्यावरण कानूनों की विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा"** है, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के वर्ष 2021 के लिए रिपोर्ट सं. 4 के तहत विधानसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा जिसकी विषय-वस्तु कुछ इस प्रकार है:

☞ **लेखापरीक्षा के उद्देश्य :**

"दक्षिण 24 परगना में प्रयोज्य सभी पर्यावरण कानूनों" की विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य इसका मूल्यांकन करना था कि पर्यावरण विभाग एवं इसकी **पैरास्टेटल एजेंसियों (parastatal agencies)** ने यह सुनिश्चित किया है या नहीं कि सभी हितधारकों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण एवं अपशमन (abatement) हेतु अधिनियमों, नियमों, सरकारी नीतियों तथा अनुदेशों का अनुपालन किया गया है।

इस कार्यालय द्वारा निष्पादित उक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान कई दिलचस्प लेखापरीक्षा निष्कर्ष उभर कर आये जिनमें से एक रोचक प्रकरण निम्नवत् है:

प्लास्टिक अपशिष्ट : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने फरवरी 2011 में प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2011 अधिसूचित किया, जिसे तदनंतर मार्च 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा नीति एवं कार्ययोजना भी बनायी गयी (जनवरी 2018)।

प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग : प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार, **नवीन (virgin) या पुनरावर्तित (recycled)** प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैग 50 माइक्रॉन (micron) से कम के नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल नगरपालिका अधिनियम, 1993 के अनुसार, 50 माइक्रॉन से कम के प्लास्टिक थैली का उपयोग प्रतिबंधित है।

नमूना जाँच की गईं नगरपालिकाओं में अभिलेखों के परीक्षण से निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:

- बज-बज नगर पालिका में **बोर्ड ऑफ काउन्सिलर्स (Board of Councillors) (बीओसी) (BOC)** संकल्प (दिसम्बर 2017) के होते हुए भी उसके द्वारा ऐसे प्लास्टिक के उपयोग पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया जबकि यह निश्चित किया गया था कि 50 माइक्रॉन से कम के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोगकर्ता और ऐसे प्लास्टिक के विक्रेता पर क्रमश: ₹ 50 एवं ₹ 500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
- पीडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 के प्रावधानों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महेशतला नगरपालिका ने उत्पादन इकाइयों का दौरा करने हेतु एक **सतर्कता दल** का गठन किया (दिसम्बर 2017) तथा दल के सदस्य 50 माइक्रॉन से कम के कैरी बैग, उन व्यक्तियों को एक ज़ब्ती की सूची देने के पश्चात् ज़ब्त करने हेतु विधिवत प्राधिकृत थे, जिनसे यह निषिद्ध वस्तुएं बरामद होनी थी।
- नमूना जाँच की गयीं दोनों नगरपालिकाओं में से किसी के भी उपलब्ध अभिलेखों में छापेमारी, प्रतिबंधित प्लास्टिक की ज़ब्ती से संबंधित ब्यौरे नहीं पाये गए।

वर्तमान मामले में एक विचित्र स्थिति दृष्टिगोचर होती है जिसमें कि पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रतिबंधित प्लास्टिक थैली के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग पर प्रतिबंध और इनपर रोक हेतु नगरपालिका प्राधिकारियों के विधिवत अधिकृत होने के बावजूद किसी भी नगरपालिका में पश्चिम बंगाल नगरपालिका अधिनियम, 1993; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2011 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के उल्लंघन एवं तत्संबंधी कार्रवाई का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया।

कार्यालय में वर्षभर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ

लेखापरीक्षा सप्ताह, 2022 के दौरान कार्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ

रंगोली प्रतियोगिता

चित्रांकन प्रतियोगिता

पोस्टर अंकन प्रतियोगिता

अतिथि वक्ता के रूप में डॉ राजेश कुमार, आई.पी.एस. अधिकारी

विशेष अतिथि वक्ता के रूप में श्री ए. एन चटर्जी,
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (से.नि.)

अधिकारियों द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान

लेखापरीक्षा सप्ताह 2022 के दौरान पोस्टर प्रदर्शनी

लेखापरीक्षा सप्ताह के अनुसरण में महालेखाकार महोदय द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण

कार्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ

प्रतियोगिता के दौरान विशेष अतिथि के रूप में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मौमा दास

टेबल टेनिस प्रतियोगिता की प्रतिभागी टीमें

टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दौरान जोरदार प्रदर्शन करतीं महिला खिलाड़ी

प्रतियोगिता के विजेताओं को महालेखाकार महोदय व समूह अधिकारियों द्वारा पुरस्कार वितरण

कार्यालय में आयोजित स्वास्थ्य वार्ता

कार्यालय में आयोजित आन्तर कार्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता

कार्यालय में आयोजित महिला दौड़ प्रतियोगिता के विजेता

हिंदी पखवाड़ा, 2022

महालेखाकार महोदय का स्वागत

महालेखाकार महोदय द्वारा उद्‌बोधन

हिंदी पत्रिका नूतन क्षितिज के चतुर्दश अंक का विमोचन

श्रुतिनाटक का प्रस्तुतिकरण

पुरस्कार वितरण

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

सुनील कुमार
हिन्दी अधिकारी

भारत जैसे विकासशील और विशाल आबादी वाले देश में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने परिवर्तन एवं आर्थिक उन्नयन की एक जीवंत, सशक्त गाथा लिखी है। सामुदायिक सहयोग की प्राचीन परंपराओं में निहित, ये समूह पिछले कुछ वर्षों से व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को आर्थिक व सामाजिक रूप से परिवर्तित करने की परंपरा को समृद्ध कर रहे हैं। ये समूह आकार, संरचना और उद्देश्यों में भिन्न हैं, जो भारत की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाते हैं। कुछ स्वयं सहायता समूह कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प जैसी आय-सृजन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तत्पर हैं।

भारत में स्वयं सहायता समूहों की यात्रा उल्लेखनीय परिवर्तनों के दौर से गुजरी है। मूलतः, यह महिलाओं के सशक्तिकरण की यात्रा है, विशेषकर पितृसत्तात्मक समाजों में। एसएचजी ने महिलाओं को कौशल विकसित करने, खुद को मुखर करने और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने के लिए एक मंच प्रदान किया है। महिलाएं जब अपनी वित्तीय और सामाजिक नियति को नियंत्रित करती हैं, पूरे समुदाय को लाभ होता है। इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि वित्तीय समावेशन है। एसएचजी ने स्थानीय साहूकारों द्वारा लगाए गए ऋण के चक्र को तोड़ते हुए वंचित वर्ग के लिए ऋण तक पहुंच को सुगम बनाया है। उन्होंने संकट के समय सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करते हुए वित्तीय अनुशासन और बचत की आदतों को भी प्रोत्साहित किया है।

एसएचजी की यात्रा के क्रम में पिछले दो दशकों के सरकारी और सहकारी प्रयासों ने भी इनके मार्ग की कठिनाइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय संदर्भ में इसके सर्वाधिक उल्लेखनीय उदाहरण जसवंतीबेन जमनादास पोपट के साथ अन्य छः महिलाओं द्वारा स्थापित **श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़,** इला भट्ट द्वारा स्थापित **स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA)** और **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)** द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे प्रयास हैं। अन्य उदाहरणों में **धर्मपुरी हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड (DHOPCO)** तमिलनाडु, छोटे पैमाने के फल और सब्जी किसानों का एक सहकारी है, केरल स्थित **कुडुम्बश्री** भारत में सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता समूहों में से एक है जो कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प सहित विभिन्न आय-सृजन गतिविधियों में संलग्न होकर गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

इला भट्ट द्वारा 1972 में स्थापित स्व-रोज़गार महिला संघ एक प्रमुख एसएचजी है जो अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल विकास सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। ऐसे ही, 1959 में सात महिलाओं और मात्र 80 रुपये के उधार से मुंबई में शुरू श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ आज 45000 महिलाओं के सहकारी समूह के साथ ही 1600 करोड़ रुपये का विशाल संगठन बन गया है, जो कि सहकारिता आधारित सफलता की अप्रतिम गाथा है। उपरोक्त दृष्टांत इस धारणा को बल प्रदान करते हैं कि भारत में स्वयं सहायता समूह केवल जमीनी स्तर के संगठन नहीं हैं; वे महिला सशक्तिकरण के इंजन हैं, जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तृतीय बहुतलीय कार्यालय भवन,
पांचवां तल, साल्टलेक, कोलकाता - 700064